खण्ड–26, अंक–04
गुरूवार, 25 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(16 जुलाई, 2009 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

–: 0 :–
(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 26 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति..	'क'
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की मांग	1–3
प्रश्नोत्तर..	4–53
नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)..	53–55
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	
पुलिस विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य पुलिस कर्मियों की भांति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..............	55–56
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना.............	56
उत्तराखण्ड के केदारनाथ के आस–पास घोड़े, खच्चरों में फैली बीमारी फ्लू से मरने तथा सरकार द्वारा कोर्ट राहत राशि वितरित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	57
जनपद देहरादून के वि0ख0 रायपुर अन्तर्गत न्याय पंचायत सरोना के अन्तर्गत प्रा0वि0 चमसारी, नालीकला, खालेंच क्यारा, बुरांश खण्डा, छमरोली तथा भैंसवाड़ा सौड़ में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	57–58
विधान सभा क्षेत्र गरुड़ के राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत विषयों के सापेक्ष पद सृजित कर स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना.........	58
जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 ऊखीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	58–59
राज्य में मोटर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित तथा घायलों को दी जाने वाली अनुमन्य राजकीय सहायता न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	59
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2009 के प्रथम सत्र में प्राप्त नियम–300 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाई का विवरण..	59

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)..........	60
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)................................	60–62
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं..	62–79
वित्तीय वर्ष, 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	79–135
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	
जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालय में भवन आदि न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, स0वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य..	135
जनपद उत्तरकाशी में वन विभाग द्वारा इमारती प्रकाष्ठ की बिक्री न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, स0वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य..	136
नत्थियाँ..	137–176

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डेय
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. सुश्री कैरन मेयर
9. श्री किशोर उपाध्याय
10. श्रीकेदार सिंह रावत
11. श्री केदार सिंह फोनिया
12. श्री खजान दास
13. श्री खड़क सिंह बोहरा
14. श्री गगन सिंह
15. श्री गणेश जोशी
16. श्री गोपाल सिंह राणा
17. श्री गोपाल सिंह रावत
18. श्री गोविन्द लाल
19. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21. श्री चन्दन राम दास
22. श्री जोगा राम टम्टा
23. श्री जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. श्री दिनेश अग्रवाल
27. श्री दिवाकर भट्ट
28. श्री दिवान सिंह
29. श्री नारायण पाल
30. काजी मौ0 निजामुद्दीन
31. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32. श्री प्रकाश पन्त
33. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
34. श्री प्रीतम सिंह
35. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36. श्री प्रेमानन्द महाजन
37. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38. श्री बलवीर सिंह नेगी
39. श्री बिशन सिंह चुफाल
40. श्री बृज मोहन कोटवाल
41. श्री भगत सिंह कोश्यारी
42. श्री मदन कौशिक
43. श्री मनोज तिवारी
44. श्री मयूख सिंह
45. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
46. श्री मातबर सिंह कण्डारी
47. श्री यशपाल आर्य
48. श्री यशपाल बेनाम
49. चौ0 यशवीर सिंह
50. श्री रणजीत रावत
51. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
52. श्री राजकुमार
53. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
56. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57. श्रीमती वीना महराना
58. श्री शहजाद
59. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61. श्री सुरेन्द्र राकेश
62. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63. श्री सुरेश चन्द जैन
64. डा0 हरक सिंह रावत
65. श्री हरभजन सिंह चीमा
66. श्री हरिदास
67. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

श्री नारायाण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के अन्तर्गत मेरी एक सूचना है।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार की घटना के सम्बन्ध में हमारी नियम–310 में सूचना है।..

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना हे, आज प्रदेश में विद्यालय शिक्षक विहीन हो गये हैं।.................................

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के श्री बलवीर सिंह नेगी एवं श्री जोत सिंह गुनसोला और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घार व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से कोई भी सूचना नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने योग्य नहीं हैं। अतः मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

जब तक माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर नहीं चले जाते और जब तक किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–1, अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मानननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है, कल जब माननीय सदस्यों ने सदन के सम्मुख अपनी बात को रखा था।............................

श्री अध्यक्ष–

मैंने कल इस सूचना को ग्राह्यता पर सुन लिया था, उसे अग्राह्य कर दिया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपके कक्ष में, आपकी अध्यक्षता में विधान मण्डल दल के नेताओं की बैठक में जो सहमति बनी थी। सरकार हमेशा वायदाखिलाफी करती है, जिससे इस सदन के अन्दर गतिरोध होता हैं उसके लिये सरकार जिम्मेदार है, जिससे बार–बार यहाँ पर गतिरोध होता है, अव्यवस्था होती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह नियमों में नहीं है, किसी सूचना के अग्राह्य होने के बाद उसे दोबारा सुनने का कोई प्राविधान नहीं है।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार वायदाखिलाफी करती है और हमेशा विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करती है, इसी कारण सदन में गतिरोध होता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो प्राविधान नियमों में हैं, वह मैंने बता दिया है। यदि इसका प्राविधान नियमों में है तो बता दीजिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार वायदाखिलाफी करती है इससे सदन में गतिरोध पैदा होता है, इस स्थिति को सरकार उत्पन्न करती है।

('वेल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस नहीं चले जाते, उनकी कोई भी बात अंकित नहीं की जायेगी।

('वेल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियमों में कहीं प्राविधान है तो बता दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बलवीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के पर्वतीय जिलों के अंदर अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। इससे पूरे प्रदेश के छात्रों का, विशेष तौर से पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय। (व्यवधान) जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते, अपना स्थान नहीं ग्रहण करते, किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय। (घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

चार धाम यात्रा के कारण गढ़वाल मण्डल के विभिन्न मार्गों की बसों का संचालन बन्द होने से यात्रियों को कठिनाई

**1. श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत चार धाम यात्रा प्रारम्भ होने के कारण गढ़वाल मण्डल के किन–किन बस सेवाओं का संचालन बन्द किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि गढ़वाल मण्डल में स्थित परिवहन कम्पनियों के नियंत्रण में संचालित अधिकाँश बसों को यात्रा में भेजे जाने के कारण स्थानीय यात्रियों को यातायात की अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो परिवहन समस्याओं के समाधान हेतु क्या सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

यदि नहीं, तो नियमित बस सेवाओं के संचालन के स्थान पर संचालित परिवहन सेवाओं का विवरण क्या है ?

परिवहन, सहकारिता एवं वन मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

गढ़वाल मण्डल में चार धाम यात्रा प्रारम्भ होने के कारण पूर्व में संचालित कुल 82 दैनिक सेवाओं में से 39 सेवायें चार धान यात्रा हेतु यात्रियों की सेवा में लगाई गई हैं।

जी नहीं। इन सभी मार्गों पर काफी संख्या में जीप, टैक्सी व मैक्सी कैब प्रकार की वाहनें संचालन हेतु उपलब्ध हैं। यात्रा समाप्ति पर चार धाम यात्रा में लगी बसें पुनः उक्त मार्गों पर संचालित हो जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तराखण्ड में पेयजल संकट एवं निदान हेतु उपाय

**2. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में इस वर्ष पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण रहे हैं।

क्या सरकार पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ठोस कदम उठायेगी ?

नोटः–उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

पेयजल मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

जी हाँ।

शीतकाल में कम हिमपात/सामान्य से कम वर्षा के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हुआ है।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40 (2) के अन्तर्गत स्थगित ताराँकित प्रश्न

कृषि मण्डी एक्ट न बनने के कारण प्रदेश की हुई आर्थिक क्षति एवं स्थिति

*1. श्री प्रीतम सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश का मण्डी एक्ट बन चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मण्डी एक्ट न बनने से प्रदेश को कोई आर्थिक क्षति हुई है ?

यदि हाँ, तो कितनी ?

पशुपालन एवं कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, उत्तराखण्ड में यथा उपान्तरित एवं अनुकूलित लागू है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत को वर्ष, 2006 से 2009 तक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत बजट एवं उपयोग

*2. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत को वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 एवं 2008–09 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितना बजट स्वीकृत हुआ ?

क्या स्वीकृत बजट का पूरा उपयोग कर लिया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई व समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जनपद चमपावत को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत बजट का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

(रुपये लाख में)

वर्ष 2006–07 हेतु आवंटित धनराशि	वर्ष 2007–08 हेतु आवंटित धनराशि	वर्ष 2008–09 हेतु आवंटित धनराशि
1336.68	1090.74	550.27

जी नहीं।

बजट उपयोग का विवरण निम्नवत् है :–

(रुपये लाख में)

वर्ष 2006–07 हेतु व्यय धनराशि	वर्ष 2007–08 हेतु व्यय धनराशि	वर्ष 2008–09 हेतु व्यय धनराशि
1150.68	1090.74	440.19

कुछ विभाग अपने बजट का पूर्ण उपयोग कतिपय कारणों से नहीं कर पाये।

ताराँकिन प्रश्न

वित्तीय वर्ष, 2007–08 और 2008–09 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अरबी, फारसी मदरसों के विकास हेतु उपलब्ध धनराशि एवं खर्च

*1. काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष, 2007–08 और 2008–09 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अरबी, फारसी मदरसों के विकास के लिए कोई धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ?

यदि हाँ, तो उपलब्ध करायी गयी धनराशि कहाँ–कहाँ खर्च की गयी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की कमी दूर करने हेतु कार्ययोजना

*2. काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की काफी कमी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास मंत्री (मदन कौशिक)–

जी हाँ।

जी हाँ।

शहरी स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के संरचनात्मक अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के संरचनात्मक ढाँचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्थानीय निकाय में स्वच्छकों की कमी को पूर्ण करने के लिए मौहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत देहरादून नगर के कूड़े के प्रसंस्करण एवं भूमिभरण हेतु भूमि का चयन तथा योजना का क्रियान्वयन

*3. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत देहरादून नगर के कूड़े के प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक भूमिभरण हेतु शीशम बाड़ा, पछवादून में 8.323 हैक्टेयर भूमि चयनित है ?

यदि हाँ, तो इस भूमि पर शहर का कूड़ा डाले जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं एवं योजना को कब तक पूर्ण कराकर क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ,

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत देहरादून के कूड़े के प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु प्लांट के निर्माण हेतु अर्हता निर्धारित करने हेतु, राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवी फर्मों से प्रस्ताव माँगे गये थे, जिनके परीक्षणोपरान्त अर्ह फर्मों से क्रियान्वयन हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित किये जायेंगे। योजना को क्रियान्वित करने हेतु दिसम्बर, 2009 का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारिता विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया

*4. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहकारिता विभाग में लम्बे समय से भर्ती पर रोक लगने के कारण सैकड़ों पद रिक्त चले आ रहे हैं, जिस कारण सहकारिता कार्य प्रभावित हो रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में सहकारिता विभाग के समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

विभाग में विभिन्न संवर्ग के सीधी भर्ती के 244 शासकीय रिक्त चल रहे पदों पर चयन हेतु कोई रोक नहीं है।

जी हाँ।

चयन परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु राज्य के विश्वविद्यालयों से सम्पर्क किया जा रहा है एवं उनकी सहमति प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के छात्रों हेतु संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों की संख्या तथा अध्यापक संख्या एवं छात्र संख्या का अनुपात

*5. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के छात्रों हेतु कितने आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं एवं उक्त आश्रम पद्धति विद्यालयों में कौन सी कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जा रही है ?

क्या मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विद्यालयों में कितने छात्र अनु0 जाति के तथा कितने छात्र अनु0 जनजाति के अध्ययनरत् हैं एवं छात्रों को कौन–कौन सी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ? इन विद्यालयों में छात्र संख्या तथा अध्यापक संख्या का अनुपात क्या है ?

क्या इन विद्यालयों के उच्चीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

उत्तराखण्ड में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु कुल 22 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उक्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

उक्त विद्यालयों में अनुसूचित जाति के 297 तथा अनुसूचित जनजाति के 2474 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत् हैं। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, वस्त्र एवं पाठ्य पुस्तकों की सुविधा प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित जाति के विद्यालयों में छात्र संख्या तथा अध्यापक संख्या का अनुपात 20:1 तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों में 27:1 है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विभिन्न शहरों में जल भराव की समस्या के उपाय व नालियों पर अवैध अतिक्रमण पर कृत कार्यवाही

*6. श्री प्रीतम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में जल भराव का समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सत्य है कि प्रदेश में जल निकासी के लिए बनी नालियाँ आदि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है ?

यदि हाँ, तो अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

निकायों द्वारा वर्षाकाल से पूर्व विशेष सफाई अभियान चलाकर नालों एवं नालियों आदि की सफाई का कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुल 17 नगर निकायों से अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

उक्तानुसार अतिक्रमणों का चिन्हीकरण करते हुए शीघ्र हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड के बुक्सा, थाऊ जनजाति के लोगों को ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत अच्छी नस्ल की गाय, भैंस क्रय करने हेतु छूट

*7. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या पशु पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व में उत्तराखण्ड के बुक्सा, थारू जनजाति के लोगों को ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अच्छी नस्ल की गाय सरकारी छूट में प्रदान की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पुनः राज्य में थारू, बुक्सा जनजाति को ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अच्छी नस्ल की गाय, भैंस क्रय करने में छूट प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

वर्तमान में राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है।

जनपद ऊधमसिंह नगर में यूरिया एवं एम0पी0के0 खाद की खपत एवं आपूर्ति न होने से प्रतिकूल प्रभाव

*8. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में यूरिया एवं एम0पी0के0 खाद की कितनी खपत है एवं खपत के अनुसार जिले को खाद की पर्याप्त आपूर्ति की जाती है ?

क्या यह सत्य है कि गत वर्ष रबी की फसल में जनपद में खाद की आपूर्ति न होने के कारण घोर संकट उत्पन्न हो गया, जिससे गेहूँ की बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा वर्तमान में धान की फसल हेतु एम0पी0के0 एवं यूरिया खाद की खपत के अनुसार समुचित व्यवस्था कर ली गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जनपद ऊधमसिंह नगर में 154124 मै0 टन यूरिया एवं 40030 मै टन, एम0पी0के0 की खपत वर्ष, 2008–09 में हुई, जिले की खपत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की गई।

जी नहीं।

यूरिया एवं एम0पी0के0 खाद की समुचित व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा फसलों के नुकसान हेतु कृषि संकट निधि योजना

*10. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में समय–समय पर बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, भूस्खलन के द्वारा काश्तकारों की फसलों को नुकसान होता रहता हैं ?

यदि हाँ ? तो क्या सरकार प्रभावित किसानों की सहायता के लिये कृषि संकट निधि योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

दैवीय आपदाओं से होने वाले हानि के लिए प्रदेश में गेहूँ, धान, मण्डुआ, आलू एवं अदरक फसलों के लिए फसल बीमा योजना लागू है। जिसमें इन फसलों पर क्षति होने की दशा में बीमित कृषकों के फसलों पर उत्पादकता के आधार पर बीमा क्लेम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा होने पर राज्य सरकार की सहमति से भारत सरकार दैवीय आपदा क्षेत्र में घोषित करती है तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। अतः पृथक से कृषि संकट निधि बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

विधायक निधि के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी नियमावली में शामिल करना

*11. श्री यशपाल बेनाम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार विधायक निधि के अन्तर्गत वर्तमान में कराये जा रहे निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त भी अन्य कार्य भी एतद्‌विषयक नियमावली में सम्मिलित किए जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कौन–कौन से कार्य और कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

जी नहीं।

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों पर मान्यता) अधिनियम, 2006, नियम–2007 के तहत गठित विभिन्न समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण तथा बिन्दु

*13. श्री केदार सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, 2008 से लागू अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों पर मान्यता) अधिनियम, 2006, नियम–2007 के तहत गठित वन अधिकार समिति, उप खण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्यों को प्रश्नाँकित तिथि तक प्रशिक्षण दे दिया गया है ?

यदि हाँ, तो किस स्तर की समितियों के सदस्यों को कानून एवं नियम से सम्बन्धित किन–किन विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं प्रशिक्षण के बिन्दु क्या होंगे ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रश्न नहीं उठता।

{अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी अधिनियम के नियम–2008 में उल्लिखित विभिन्न स्तर की समितियों के अधिकार, उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के विषय में प्रशिक्षण चार चरणों में दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बिन्दु मुख्यतः

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी अधिनियम के नियम–2008 की विस्तृत जानकारी दिया जाना तथा अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न समितियों के अधिकार उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।}

बी0पी0एल0 श्रेणी के लिए बी0पी0एल0 कार्डो के मानक, पात्र लोगों को लाभ एवं कार्डो की नियमित जाँच

*14. श्री गणेश जोशी–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों के लिये सरकार द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड बनाये गये हैं ?

क्या यह सत्य हैं कि बनाये गये बी0पी0एल0 कार्ड मानकों के अनुरूप नहीं हैं जिससे पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं पहुँच रहा हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा बी0पी0एल0 कार्डो की नियमित जाँच एवं बी0पी0एल0 कार्डो का पुनः सर्वेक्षण करवाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जी हाँ।

बी0पी0एल0 राशन कार्ड भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाये गये हैं तथा पात्र लोगों को ही लाभान्वित किया गया है।

बी0पी0एल0 राशन कार्डो की नियमित जाँच की जा रही हैं। बी0पी0एल0 कार्डो का सर्वेक्षण भारत सरकार के निर्देशों पर किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर बी0पी0एल0 कार्डो का पुनः सर्वेक्षण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

परित्यक्त एवं आवारा पशुओं हेतु पुनर्वास नीति एवं कांजी हाऊस का निर्माण

*15. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि परित्यक्त एवं आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु सरकार की कोई नीति हैं ?

यदि हाँ, तो उस नीति के आधार पर अब तक कितने परित्यक्त और आवारा जानवरों का पुनर्वास किया गया हैं ?

यदि नहीं,

तो क्या सरकार इस हेतु शीघ्र ही किसी नीति का निर्धारण करते हुये प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर कांजी हाऊस के निर्माण पर विचार करेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

सम्प्रति लगभग 2000 परित्यक्त एवं आवारा जानवरों को पुनर्वास किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्प्रति विकास खण्ड स्तर पर कांजी हाऊस के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारॉकिन प्रश्न

अस्थाई राजधानी देहरादून में लोगों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए विकसित पार्क

1. चौ0 यशवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की अस्थाई राजधानी बनने के बाद देहरादून में लोगों के स्वास्थ्य लाभ तथा मनोरंजन के लिए कौन–कौन से पार्क विकसित किये गये और कौन–कौन से प्रस्तावित हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सहस्त्रधारा रोड में डांडा लखौड़ की 4.047 हैक्टेयर कूड़ा निस्तारित किये जा रही भूमि में पार्क निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम द्वारा राजपुर पार्क, कोचर कालोनी पार्क, घंटाघर स्थित पटेल पार्क, बुद्धा पार्क, कचहरी स्थित पार्क, कनक सिनेमा के सामने स्थित पार्क, डालनवाला पार्क, दून विहार में पूर्वी एवं सेन्टर पार्क, मन्नूगंज स्थित हकीकत राय पार्क, राजेन्द्र नगर स्ट्रीट नं0–4 में स्थित पार्क, सहस्त्रधारा योजना स्थित पार्क, पटेल नगर उद्योग कार्यालय के पास स्थित पार्क, टिहरी हाउस राजपुर रोड स्थित पार्क, सर्वे चौक रोटरी एवं फाउण्टेन, राम विहार पार्क, साकेत कालोनी, धर्मपुर स्थित सती पार्क, प्रकाश विहार लेन नं0–5 में स्थित पार्क, राम विहार, बल्लूपुर पार्क, गाँधी पार्क में फव्वारा स्थापना/सौन्दर्यीकरण, टैगोर विला पार्क, इन्दिरा नगर में पार्क, नेहरु कालोनी, वाटर टैंक सी–ब्लाक के पास 2 पार्क, विद्या विहार में पार्क मरम्मत

कार्य, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड पर 2 पार्कों का विकास, नेहरु कालोनी, बी–ब्लाक में पार्क, दून विहार में पार्क विकास, नेहरु कालोनी, डी–ब्लाक में 2 पार्क, नेहरु कालोनी, आई–ब्लाक में विकसित किये गये तथा प्रेमनगर में स्थित पार्क, हरि विहार, विजय पार्क एक्स्टेंशन, केदारपुरम स्थित पार्क, दून विहार मन्दिर के साथ स्थित पार्क, शक्ति विहार, माजरा स्थित पार्क का कार्य निर्माणाधीन है। इन्दिरापुरम योजना स्थित पार्क, राजेन्द्र नगर स्ट्रीट नं0–3 स्थित पार्क, आनन्द विहार, राजपुर रोड, प्रकाश लोक, शिमला बाईपास, गाँधी पार्क का पुनर्विकास, सालावाला में पार्क, बृजलोक कालोनी में पार्क, पथरियापीर में पार्क, निरंजनपुर में मच्छी तालाब पर वाटर पार्क, डिफेन्स कालोनी के निकट एम0डी0डी0ए0 के सहयोग से नगर निगम की भूमि पर गौरा देवी वाटर पार्क तथा बीएसयूपी योजनान्तर्गत काठ बंगला, खाला बस्ती, चकशाह नगर, शान्ति कुष्ठ आश्रम में पार्कों का निर्माण प्रस्तावित है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में उक्त स्थान पर नगर निगम द्वारा ट्रेचिंग ग्राउण्ड चलाया जा रहा है।

जनपद पौड़ी में निर्मित लघु सिंचाई योजनाओं की अनुरक्षण व्यवस्था एवं मानक

2. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निर्मित लघु सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण की क्या व्यवस्था है तथा किस एजेन्सी के द्वारा इन योजनाओं का अनुरक्षण किए जाने का प्राविधान है और विगत दो वर्षों से अनुरक्षण के लिए स्वीकृत धनराशि तथा निर्धारित मानकों का विवरण क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

शासनादेश संख्या–338/II–2004/2005, दिनांक 31.03.2005 के द्वारा जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से अनुरक्षण कराये जाने की व्यवस्था है। विगत दो वर्षों में अनुरक्षण हेतु कुल रुपया 40.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

विगत वर्षों की माँग/आवश्यकता/धनराशि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये विशेष रूप से क्षतिग्रस्त योजनाओं के अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद पौड़ी के ग्राम खाण्डा के खाण्डासैंण की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु हाईड्रम योजना का निर्माण व प्रगति

3. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लघु सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के ग्राम खाण्डा के खाण्डासैंण स्थित कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु हाईड्रम योजना का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण

अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी को सम्बोधित मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून के पत्रांक–228/ल0सिं0/प्रकरण/08–09, दिनांक 22 मई, 2008 के द्वारा दिये गये निर्देशों पर की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

तथा कब तक प्रस्तावित हाईड्रम योजना का निर्माण कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि यहाँ योजना का निर्माण किया जाना फिजिबिल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

फिजिबिलिटी न होने के कारण योजना का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

पौड़ी के ग्राम सरोड़ा में राज0 पशु चिकित्सालय के लिए भूमि दान करने वाले श्री प्रताप सिंह नेगी की पुत्रवधु को चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति

4. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत स्थान सरोड़ा में राजकीय पशु चिकित्सालय सरोड़ा–मरोड़ा के लिये भूमि दान देने वाले श्री प्रताप सिंह नेगी के परिवार की विधवा पुत्र वधू श्रीमती जयस्वरी देवी को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो तत्कालीन उप निदेशक, पशुपालन द्वारा दिए गए आश्वासन की पूर्ति कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं।

भूमि दान दिए जाने वाले परिवार को सेवायोजित किए जाने का कोई प्राविधान नियमों में नहीं है। इस कारण शासनादेश संख्या–145/XV/पशुपालन/2004, दिनाँक 15.05.2004 के द्वारा श्रीमती जयस्वरी देवी पत्नी स्व0 चन्द्रमोहन सिंह नेगी का विभाग में सेवायोजन सम्बन्धी दावे को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः तत्कालीन उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के द्वारा नियमों के विपरीत दिये गये आश्वासन की पूर्ति की जानी सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत निर्मित लघु सिंचाई योजनाओं का लाभ कृषकों को मिलने हेतु कार्ययोजना

5. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अब तक ऐसी कौन–कौन सी लघु सिंचाई योजनायें निर्मित हैं जिनसे कृषकों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि असिंचित भूमि को योग्य बनाये जाने तथा लघु सिंचाई योजना का लाभ कृषकों को उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्य योजना बनायी गई है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

ऐसी कोई भी लघु सिंचाई योजना निर्मित नहीं है जिनसे कृषकों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है।

सिंचित तथा असिंचित क्षेत्र सम्बन्धी आँकड़ों के आधार पर पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जाती है, जिसमें प्रति वर्ष धनराशि की उपलब्धता के आधार पर निश्चित सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तथा उसी के अनुरूप लघु सिंचाई योजनायें निर्मित की जाती है।

पशु सेवा केन्द्र, बहेड़ाखाल (पौड़ी) के आवासीय भवनों में कार्मिकों की निवास अवधि एवं किराये का विवरण

6. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के संदर्भ में पशुपालन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 1989 से पशु सेवा केन्द्र, बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल के आवासीय भवन में निवास कर रहे कार्मिकों की निवास अवधि सहित विवरण क्या है ?

तथा इन कार्मिकों से काटे गए आवासीय किराया राशि का विवरण क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

पशु सेवा केन्द्र, बहेड़ाखाल में वर्ष, 1989 से दो आवासीय भवन निर्मित है। टाईप–3 का एक एवं टाईप–1 का एक।

टाईप–3 में अध्यासित पशुधन प्रसार अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है :–

1. श्री सतकुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी, 4/1990 से 6/1991 तक।
2. श्री दर्शन कुमार विहानी, प0प्र0अ0, 12/1993 से 7/1994 तक।

3. श्री आर0पी0 कपटियाल, प0प्र0अ0, 7/1994 से 7/2000 तक।
4. श्री नरेश कुमार, प0प्र0अ0, बहेड़ाखाल, 10/2000 से 3/2003 तक।
5. श्री कलम सिंह नेगी, प0प्र0अ0 बहेड़ाखाल, 4/2003 से 7/2004 तक।
6. श्री सते सिंह बिष्ट, प0प्र0अ0, बहेड़ाखाल, 7/2004 से 8/2006 तक।
7. श्री राजेश कुमार, प0प्र0अ0, बहेड़ाखाल, 28.05.08 से वर्तमान तक रहे हैं।

टाईप–1 के भवन में अध्यासित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है :–

1. श्री अनिल कुमार,, 4/1990 से 7/1994 तक।
2. श्री सुरेश चन्द्र मंमगाई, 7/1994 से 7/2000 तक
3. श्री सुरेन्द्र सिंह बुटोला, 7/2000 से 7/2004 तक।
4. श्री ध्यान सिंह, 7/2004 से वर्तमान तक रह रहे हैं।

टाईप–3 के भवन में अध्यासित पशुधन प्रसार अधिकारियों से माह जुलाई, 2000 तक रु0 215.00 प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता की कटौती की गई।

उपरोक्त अवधि के अतिरिक्त शेष अवधि (12/1989 से 3/1990, 7/1991 से 21/1991, 1/1992 से 11/1993, 8/2000 से 9/2000, 8/2006 से 05/2008 तक) में समीप के पशु सेवा केन्द्र, दौन्दल, घिन्डवाड़ा, बसन्तपुर के पशुधन प्रसार अधिकारी अतिरिक्त प्रभार में रहने के कारण टाईप–3 का भवन रिक्त रहा।

शासनादेश संख्या–1188/दस 270/88, दिनांक 22.12.1988 के अनुसार आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों को निःशुल्क आवास देय हाने के कारण उक्त पशुधन प्रसार अधिकारी से माह अगस्त, 2000 से मकान किराये की कटौती नहीं की जा रही है और न ही पशुधन प्रसार अधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल (पौड़ी) के अन्तर्गत वर्ष, 2002 से 2009 तक विधायक निधि से स्वीकृत योजनायें एवं प्रगति

7. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2002–2003 से वर्ष

2008–2009 तक विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधायक निधि से चयनित/स्वीकृत ऐसी कौन–कौन सी योजनाएं हैं जिनका अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है ?

इन योजनाओं का स्वीकृत वर्ष/स्वीकृत धनराशि तथा निर्माण न किए जाने के कारणों का विवरण क्या है तथा कब तक इन योजनाओं का निर्माण कर दिया जायेगा ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधायक निधि से चयनित/स्वीकृत ऐसे कार्य जिन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्य की भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्राम सुन्ना में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	2003–04	एकेश्वर	1.00	0.75	अना0
2.	ग्राम गुराड़ मल्ला में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	2006–07	एकेश्वर	1.25	1.25	अना0
3.	ग्राम बड़ेथा में बारातघर का निर्माण	2006–07	एकेश्वर	1.50	1.50	अना0

उक्त स्वीकृत योजनाओं में मा0 विधायक जी द्वारा संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जाने के उपरान्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिये जायेंगे।

जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत सिमतोली की विशेष लेखा परीक्षा जाँच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही

8. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर की ग्राम पंचायत सिमतोली की विशेष लेखा परीक्षा जाँच रिपोर्ट जिलाधिकारी,

बागेश्वर की प्रश्नकर्ता के पत्रांक–1286/सभापति/41–लोकलेखा/2008–09, दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 के साथ कब प्राप्त हुई है और जाँच रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जनपद बागेश्वर की ग्राम पंचायत सिमतोली की विशेष लेखा परीक्षा जाँच रिपोर्ट जिलाधिकारी, बागेश्वर को पत्रांक–1286/सभापति/41–लोक लेखा/2008–09, दिनाँक 8–12–2008 के साथ दिनाँक 16–12–2008 को प्राप्त हुई है।

ग्राम पंचायत सिमतोली के विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को परिपालन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को खण्ड विकास अधिकारी, बागेश्वर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

खण्ड विकास अधिकारी, बागेश्वर द्वारा उक्त विशेष लेखा प्रतिवेदन का परिपालन ग्राम पंचायत से कराकर परिपालन आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर को प्रेषित किया गया, जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर द्वारा लेखाधिकारी/पीआरआई/कार्यालय, महालेखाकर, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्राप्त आपत्तियों का परिशोधन करने हेतु प्रेषित किया गया है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत सतपुली–व्यास घाट मोटर मार्ग स्थित मरोड़ा गाँव के लिए नयार नदी से निर्मित हाईड्रम योजना की जाँच, कार्यवाही एवं परिणाम

9. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग पर स्थित मरोड़ा गाँव के लिए नयार नदी से निर्मित हाईड्रम योजना की जाँच करवाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी को सम्बोधित कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–107/ल0सिं0/सा.सि.यो.जाँच/2008–09, दिनाँक 28 अप्रैल, 2008 पर की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

तथा कब तक ग्रामवासियों को हाईड्रम योजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–107, दिनाँक 28 अप्रैल, 2008 के अनुपालन में, मरोड़ा गाँव के लिए नयार नदी से निर्मित हाईड्रम योजना की जाँच करायी गयी, जिसमें यह पाया गया कि वर्ष, 2005–06 में नयार नदी में आयी बाढ़ से योजना का मुख्य

हैड एवं सप्लाई चैनल क्षतिग्रस्त होने के कारण योजना बन्द है।

योजना की मरम्मत/पुनरूद्धार हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत मरोड़ा गाँव हेतु नयार नदी से निर्मित हाईड्रम लघु सिंचाई योजना का निर्माण, निर्माण का माध्यम, अनुरक्षण धनराशि एवं सुविधा

11. श्रीमती अमृता रावत–

क्या लघु सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत नयार नदी से ग्राम मरोड़ा के लिए निर्मित हाईड्रम लघु सिंचाई योजना एक लम्बी अवधि से बन्द पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना का निर्माण कब और किसके माध्यम से करवाया गया है।

तथा योजना के निर्माण और तब से अब तक योजना के अनुरक्षण पर व्यय की गई धनराशि का विवरण क्या है ?

तथा इस योजना से कब से कब तक ग्रामीणों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गई है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

योजना का निर्माण वर्ष, 1990–91 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया गया।

योजना के निर्माण पर कुल रुपया 8.00 लाख तथा अनुरक्षण पर रुपया 3.286 लाख व्यय किया गयां

योजना निर्माण के वर्ष, 1990–91 से 2004–05 तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड बीरोंखाल में विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं की कार्य प्रगति

12. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि खण्ड विकास अधिकारी, बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक–122/2 विधायक, दिनाँक 22.05.2008 के साथ विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की कार्य प्रगति में 45 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ न होने की जानकारी दी गई है और पत्रांक–521/3–लेखा वि0नि0/2008–09,

दिनाँक 12.11.2008 के द्वारा मात्र 08 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ न होने की बात कही गयी है ?

यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के पत्रांक–1308/विधायक/39–विधायक निधि/2008–09, दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 के साथ प्रस्तुत 30 योजनाओं का निर्माण कब और कितनी–कितनी धनराशि से किया गया ?

योजनावार स्वीकृत धनराशि और व्यय की गयी धनराशि तथा निर्मित की गयी योजना का विवरण क्या है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी हाँ।

स्वीकृत/प्रस्तावित 30 योजनाओं में से 26 योजनाओं का कार्य मार्च, 2009 तक पूर्ण कर लिया गया है। जिन पर 14.49 लाख की धनराशि व्यय की गई है। शेष 04 योजनाओं में भूमि आदि उपलब्ध न होने के कारण धनराशि वापस की गई।

संलग्न विवरणानुसार।●

ऊधमसिंह नगर में बेमौसमी धान के उचित मूल्य का निर्धारण

13. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि ऊधमसिंह नगर में बे–मौसमी धान की खेती होती है,

यदि हाँ, तो बे–मौसमी धान की पैदावार का उचित मूल्य दिये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

धान का क्रय भारत सरकार के प्राइस कमीशन द्वारा निर्धारित मानकों/मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय पशु चिकित्सालय, सरोड़ा–मरोड़ा में अधिग्रहित आवास एवं किराया

14. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुपालन मंत्री यह बताने का

● (देखिये नत्थी "क" पृष्ठ 137–139 पर)

कष्ट करेंगे कि राजकीय पशु चिकित्सालय, सरोड़ा–मरोड़ा में श्रेणीवार (टाइप) के कितने आवास विभाग द्वारा कब–कब अधिग्रहित किए गए हैं और तब से अब तक इन आवासों में कौन–कौन कर्मचारी/अधिकारी किस–किस अवधि में निवास करते रहे हैं ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अध्यासित कर्मियों से प्रति माह की दर से काटे गये मकान किराये का विवरण क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

पशु चिकित्सालय, सरोड़ा–मरोड़ा में टाईप–4 का एक एवं टाईप–1 के दो आवासीय भवन दिनांक 29.02.96 को विभाग को हस्तानतरित किये गये।

टाईप–4 का आवास पदस्थापना न होने के कारण वर्तमान तक खाली है।

टाईप–1 के 2 आवास चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए हैं, जिसमें निम्न कार्मिक निम्न अवधि में अध्यासित रहे–

1. श्री उमेश चन्द्र द्विवेदी, पत्रवाहक, दिनाँक 29.02.96 से वर्तमान समय तक
2. श्री राजे सिंह, पत्रवाहक, फरवरी, 1996 से 2000 तक।
3. श्री भगत सिंह, पत्रावाहक, 2000 से 2004 तक
4. श्री राजे सिंह, पत्रवाहक, 2004 से वर्तमान तक।

उपरोक्त कार्मिक, शासनादेश सं0–1188/दस–270/88, दिनाँक 22.12.88 के अनुसार आवश्यकीय सेवा के अन्तर्गत आते हैं, जिस कारण उक्त कार्मिकों से भवन किराये की कटौती नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र बैजरों, दुनाव, मैठाणाघाट, भरोलीखाल दांथा एवं देवराजखाल की स्थापना

15. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–29 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय, कोलदरिया एवं पशु सेवा केन्द्र, बैजरों, दुनाव, मैठाणाघाट, भरोलीखाल दांथा एवं देवराजखाल की स्थापना कब–कब की गई ?

और भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने/करवाने की दिशा में किये गये प्रयासों तथा उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

और कब तक भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

विधान सभा क्षेत्र, बीरोंखाल के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय, कोलदरिया की स्थापना दिनांक 22 सितम्बर, 1992 एवं पशु सेवा केन्द्र बैंजरों दिनांक 8 अप्रैल,1987, दुनाव दिनांक 28 नवम्बर, 1977, मैठाणाघाट 19 फरवरी, 1977, भरोलीखाल 19 फरवरी, 1977, दांथा 22 जनवरी, 1983 तथा देवराजखाल 19 फरवरी, 1977 को स्थापित किया गया।

पशु सेवा केन्द्र, देवराजखाल हेतु निःशुल्क प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव पशुपालन विभाग के नाम पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है। शेष पशु सेवा केन्द्रों के लिए भूमि हेतु ग्राम स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है।

भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त।

नगरपालिका मंगलौर में कूड़ा प्रबन्धन हेतु आवंटित स्थान

16. काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि नगरपालिका मंगलौर के पास एकत्रित कूड़े को डालने के लिए कोई स्थान नहीं है ?

यदि हाँ तो, नगरपालिका द्वारा एकत्रित कूड़े को प्रतिदिन कहाँ डाला जाता है ?

क्या सरकार नगरपालिका को कूड़ा डालने के लिए कोई स्थान आवंटित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और कहाँ ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

नगरपालिका क्षेत्र के बाहर सड़कों के किनारे खाली स्थान एवं गड्ढों में कूड़ा डाला जाता है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरिद्वार को कूड़ा निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बहेड़ाखाल (पौड़ी) के 51 गाँवों की पशु गणना एवं पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानक

17. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–20 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान बहेड़ाखाल के अन्तर्गत पाँच कि0मी0 की परिधि में क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख के पत्रांक–बहेड़ाखाल/5–पशुपालन/2007–08, दिनाँक 20.08.2007 में वर्णित 51 गाँवों की पशुगणना के अनुसार पालतू पशुओं की संख्या क्या है तथा पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानक क्या हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख के पत्राँक–बहेड़ाखाल/5-पशुपालन/2007–08, दिनाँक 20.08.2007 में वर्णित 51 गाँवों में बहेड़ाखाल के समीप 5 कि0मी0 की परिधि में पड़ने वाले कुल 6 ग्राम सभाओं का सर्वे कराया गया जिसमें कुल पशुधन संख्या 3088, पक्षियों की संख्या 365 है।

पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु एक पशु चिकित्सालय से दूसरे पशु चिकित्सालय की दूरी 8 कि0मी0 एवं पशुधन सं0 10000 होनी आवश्यक है।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड पोखड़ा अन्तर्गत विकास योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कार्यवाही

18. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कतिपय विकास योजनाओं का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्राँक–6388/13–1/माँग पत्र/2007–08, दिनाँक 01.12.2007 के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी तथा खण्ड विकास अधिकारी, पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किया गया है ?

यदि हाँ, तो उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी के पत्राँक 1733, दिनाँक 19–6–2009 के अनुसार अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए अनुसूचित जाति के 40 प्रतिशत जनसंख्या वाले ग्रामों में योजना लागू किये जाने का प्राविधान है जबकि विकास खण्ड, पोखड़ा के अनुसूचित जाति वाले ग्रामों की जनसंख्या निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	योजना का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसूचित जाति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	घड़ियाल/कुमरखोला, पोखड़ा	अनु0जा0 बस्ती घड़ियाल में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	284	104	36.6
2.	भदुली, पोखड़ा	अनु0जा0 बस्ती, ग्राम भदुली में प्रसूति गृह का निर्माण	207	60	29
3.	तिलखोली सल्ट	अनु0जा0 बस्ती, तिलखोली में स्नानागार का निर्माण	228	46	20.2
4.	गडरी (कौलागाड़)	अनु0जा0 बस्ती गडरी में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	2512	238	9.5

उक्त ग्रामों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या निर्धारित मानक 40 प्रतिशत से कम हाने के कारण उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त निम्न योजनाओं को आगामी वित्तीय वर्ष में क्षेत्र पंचायत निधि एवं राज्य वित्त कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना सम्भव होगा :–

क्र0 सं0	ग्राम	बस्ती	आगामी वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4
1.	ग्राम गवाण म0	अनु0 बस्ती में	पानी निकासी हेतु नाली निर्माण का कार्य राज्य वित्त की कार्य योजना से
2.	ग्राम बांसई त0	अनु0 बस्ती में	सी0सी0 निर्माण राज्य वित्त की कार्य योजना से
3.	ग्राम जजेड	अनु0 बस्ती में	शौचालय निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत विकास निधि से
4.	ग्राम सकनोली	अनु0 बस्ती में	शौचालय निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत विकास निधि से

1	2	3	4
5.	ग्राम गुडिण्डा	अनु0 बस्ती में	जलाशय का निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत विकास निधि से
6.	देवराड़ी	अनु0 बस्ती में	जलाशय का निर्माण कार्य राज्य वित्त कार्य योजना से

लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचित क्षेत्र की गणना हेतु निर्धारित मानक

19. श्री मनोज तिवारी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित एक किमी0 लम्बी नहर/मूल कितने हैक्टेयर/एकड़ कृषि क्षेत्र को सिंचित करती है ? क्या सिंचित क्षेत्र की गणना का कोई मानक निर्धारित है ?

क्या इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मूलतः एक किलोमीटर लम्बी नहर/गूल 6 हेक्टेयर/15 एकड़ कृषि क्षेत्र को सिंचित करती है किन्तु सिंचित क्षेत्र की गणना का मानक उपलब्ध जल स्राव, गूल के सेक्शन व उपलब्ध स्लोप के आधार पर निर्भर करता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जो मानक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित था उसी के अनुरूप उत्तराखण्ड में भी कार्य कराया जा रहा है।

लघु सिंचाई तथा सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित नहर निर्माण परियोजनाओं के मानकों में भिन्नता

20. श्री मनोज तिवारी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री अवगत है कि लघु सिंचाई विभाग में नहर निर्माण परियोजनाओं के मानक प्रति हेक्टेयर लगभग 15 लाख रु0 है ?

जबकि सिंचाई विभाग में ये मानक लगभग 3 लाख प्रति हेक्टेयर है ?

यदि हाँ, तो मानकों में भिन्नता के क्या कारण है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

लघु सिंचाई विभाग में योजनाओं के निर्माण का मानक भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या– /No. 27/14/2002–PR(Vo.II), दिनाँक 10.10.2007 के द्वारा रुपया 1.50 लाख (रुपया एक लाख पचास हजार) प्रति हैक्टेयर की दर निर्धारित किया गया है।

जी नहीं। सिंचाई विभाग में भी मानक 1.50 लाख रुपया प्रति हैक्टेयर है।

मानकों में भिन्नता नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष, 2006 से 2009 तक निर्मित सिंचाई योजनायें तथा योजनाओं की फिजिबिलिटी

21. श्री मनोज तिवारी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कितनी लागत की कितनी सिंचाई योजनायें वर्ष, 2006–07, वर्ष, 2007–08 एवं वर्ष, 2008–09 तक किस मद में निर्मित की गई हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजनाओं के निर्माण से योजनावार कितने कृषि योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि हुई और किन ग्रामों की योजनाओं को लाभ मिला ?

क्या विभाग द्वारा योजनाओं की फिजिबिलिटी का अध्ययन कराया जाता है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष, 2006–07 में ए0आई0बी0पी0 योजनान्तर्गत रुपया 1440.00 लाख व्यय कर 352 योजनायें एवं स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान मद अन्तर्गत रुपया 14.41 लाख व्यय कर 12 योजनायें निर्मित की गई।

वर्ष, 2007–08 में ए0आई0बी0पी0 योजनान्तर्गत रुपया 1404.69 लाख व्यय कर 301 योजनायें तथा स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान अन्तर्गत रुपया 137.49 लाख व्यय कर 12 योंजनायें निर्मित की गई।

वर्ष, 2008–09 में ए0आई0बी0पी0 योजनान्तर्गत रुपया 2370.00 लाख व्यय कर 443 योजनायें निर्मित की गई हैं।

उक्त योजनाओं के निर्माण से वर्ष, 2006–07 में 1738.52 हैक्टेयर ए0आई0बी0पी0 से, 92.52 हैक्टेयर एस0सी0एस0पी0 मद से सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। वर्ष, 2007–08 में 1325.35 हैक्टेयर ए0आई0बी0पी0 से, 274.91 हैक्टेयर एस0सी0एस0पी0 मद से सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

वर्ष, 2008–09 में 2744.69 हेक्टेयर ए0आई0बी0पी0 मद के अन्तर्गत सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

उक्त योजनाओं के निर्माण से वर्ष, 2006–07 में 352, वर्ष, 2007–08 में 313 एवं वर्ष, 2008–09 में 443 ग्रामों को लाभ दिया गया।

विभाग द्वारा योजना निर्माण से पूर्व उसकी फिजिबिलिटी का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में पं0 दीन दयाल आवास योजना के लाभार्थी

22. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में पं0 दीन दयाल आवास योजना के अन्तर्गत आवास हेतु वर्ष, 2007–2008 व वर्ष, 2008–2009 में कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं एवं कुल कितने लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धित विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

विधान सभा क्षेत्र, भिक्यासैंण में दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष, 2007–08 एवं 2008–09 में कुल प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों एवं इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	लाभान्वित हुए लाभार्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	2007–08	301	172	129 अपात्र
2	2008–09	153	08	शासनादेश संख्या–566/XI/0856 (01)2007, दिनांक 26–5–2008 के अनुसार बी0पी0एल0 में चयनित परिवारों में से आवास विहीन परिवार जो प्रतीक्षा सूची में छूट गये हों, को आवास दिये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं परगनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण किये जाने के बाद चयनित परिवारों की सूची का मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन से पूर्व अवशेष 145 प्रार्थना पत्रों का खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन/संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही गतिमान है।
	योग–	454	180	

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत ग्राम रैतोला के पंचायत घर का पुनर्निर्माण

23. श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड गंगोलीहाट जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा रैतोला के ध्वस्त पंचायत घर के पुनर्निर्माण हेतु ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव विकास खण्ड गंगोलीहाट में प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त भवन बनकर तैयार हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट (अल्मोड़ा) अन्तर्गत वर्ष, 2007 में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना अन्तर्गत किये गये कार्य

24. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2007 से अब तक क्या–क्या कार्य कराये गये हैं ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना जनपद अल्मोड़ा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ की गयी है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत जनपद अल्मोड़ा की विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में 01 अप्रैल, 2008 से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कराये गये कार्यों की संख्या
1.	जल संरक्षण एवं जल सम्भरण कार्य	104
2.	जल संरक्षण खाल निर्माण कार्य	134
3.	वनीकरण कार्य	12
4.	गुल निर्माण कार्य	12
5.	तटबन्ध कार्य	02
6.	टैंच निर्माण कार्य	07
	योग–	271

वर्ष, 2008—09 में कन्याधन के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि एवं लाभार्थी

25. श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष, 2008—09 में प्रदेश को कन्याधन के रूप में कितनी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई।

जिलेवार कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिला ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

कन्या धन योजना चूँकि राज्य सरकार की योजना है। अतः वित्तीय वर्ष, 2008—09 में कन्याधन के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।

कुल 7245 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। जनपद पौड़ी गढ़वाल में 648, टिहरी गढ़वाल में 701, चमोली में 347, रुद्रप्रयाग में 220, उत्तरकाशी में 433, देहरादून में 945, हरिद्वार में 558, नैनीताल में 833, अल्मोड़ा में 836, पिथौरागढ़ में 532, बागेश्वर में 306, चम्पावत में 177, ऊधमसिंह नगर में 709।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत धनारी गाड़ क्षेत्र में जलागम प्रबन्धन कार्ययोजना

26. श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत धनारीगाड़ जल समेट क्षेत्र में, जलागम प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार सम्बन्धित आगणन वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है ?

यदि हाँ, तो उक्त आगणन कब तक स्वीकृति किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत धनारीगाड़ जल समेट क्षेत्र हरियाली योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2006—07 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2693 है0 तथा लागत रु0 161.58 लाख है, जिसके अन्तर्गत 22 ग्राम पंचायतों के 34 ग्राम आच्छादित हैं प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 40.39 लाख प्राप्त हो चुकी है। कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना की रूपरेखा

27. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना की विस्तृत रूपरेखा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी हाँ,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देश प्रस्तर सं0 11.2 के अनुसार योजना की वार्षिक रिपोर्ट आगामी वर्ष के दिसम्बर माह तक रखे जाने का प्रावधान है जिसमें योजना की रूपरेखा भी सम्मिलित होगी, तत्सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं, जो यथासमय प्रस्तुत की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

उत्तराखण्ड में अनु0 जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन एवं प्रगति

28. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रथम विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड में अनु0 जनजाति सलाहकार परिषद् के गठन का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया है ?

यदि हाँ, तो उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनु0 जनजाति सलाहकार परिषद् के गठन की प्रगति क्या है तथा अनु0 जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन कब तक हो जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं। (दिनाँक 29 नवम्बर, 2005 को माननीय मंत्रिमण्डल के निण्र्योपरान्त संविधान के भाग–10 के अनुच्छेद–244 के भाग–ख के पैरा–4 में दिए गए प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद् के गठन के लिए माननीय मंत्रिमण्डल की सहमति के पश्चात् महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।)

भारत सरकार के पत्र दिनाँक 04 अगस्त, 2006 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव पर कानून एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से जनजातीय कार्य मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत बरसात में सड़कों के बन्द होने के कारण दारमा–चौदास व्यास वैलियों में राशन कोटे की व्यवस्था

30. श्री गगन सिंह–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत वि0ख0–धारचूला, मुनस्यारी में बरसात के दिनों में सड़कें महीनों तक बन्द रहती हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा दारमा–चौदास व्यास वैलियों क्षेत्र के लिये गोदामों में पर्याप्त राशन का कोटा जमा कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जी हाँ।

विकास खण्ड धारचूला के व्यास वैली में प्रवासी गोदाम गुन्जी तथा दारमा वैली में प्रवासी गोदाम दुग्तु तथा विकास खण्ड मुनस्यारी के जौहार वैली में प्रवासी गोदाम बुर्फू में प्रवास में जाने वाले सभी परिवारों के लिये उनके प्रवास काल के लिये खाद्यान्न/चीनी का संग्रहण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0ख0 धारचूला, मुनस्यारी (पिथौरागढ़) में भेड़, बकरी पालन केन्द्रों की स्थापना

31. श्री गगन सिंह–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला, मुनस्यारी में सैकड़ों की संख्या में काश्तकार भेड़–बकरियों का व्यवसाय करते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा भेड़, बकरियों को अज्ञात बीमारी होने पर तत्काल इलाज मुहैया कराये जाने हेतु ग्रामीण अंचलों में भेड़, बकरी पालक केन्द्रों की स्थापना की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य में ग्राम विकास पंचायत अधिकारियों की कमी से राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना पर कुप्रभाव

32. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में ग्राम्य विकास पंचायत अधिकारियों की कमी के कारण ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर बुरा असर पड़ रहा है ?

क्या सरकार ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारी शिक्षित बेरोजगारों को ग्राम विकास पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त उ0 प्र0 ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) सेवा नियमावली, 1980 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नियमावली, 2006 (संशोधन) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण विकास में स्नतकोत्तर डिप्लोमाधारियों को ग्राम विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी में वर्ष, 2007–08 व 2008–09 में हाईड्रम सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण/रख–रखाव एवं संचालन

33. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ष, 2007–08 व 2008–09 में हाईड्रम सिंचाई योजनाओं के रख–रखाव/अनुरक्षण पर कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में कुल कितनी योजनायें संचालित हैं ?

और कौन सी योजनायें बन्द पड़ी है ?

क्या सरकार बन्द पड़ी हाईड्रम योजनाओं का अनुरक्षण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी में वर्ष, 2007–08 व 2008–09 में हाईड्रम सिंचाई योजनाओं के रख–रखाव/अनुरक्षण पर कुल 40 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

वर्तमान में कुल 46 हाईड्रम योजनाएं, जिन पर 105 यूनिटें लगी हैं, संचालित हैं।

19 हाईड्रम योजनाएं, जिन पर 44 यूनिटें लगी हैं, बन्द हैं।

जी हाँ।

बजटीय व्यवस्था हेतु प्रयासरत है, प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री (उत्तरकाशी) में कृषि विपणन हेतु नवीन मण्डियों की स्थापना

34. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री, जनपद उत्तरकाशी में कृषि विपणन हेतु नवीन कृषि मण्डियों की स्थापना की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी के किन–किन स्थानों पर नवीन कृषि मण्डियाँ स्थापित करवाई जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव में मण्डी स्थल के निर्माण हेतु वन भूमि का चयन किया जा चुका है। चयनित वन भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

वि0ख0 भटवाड़ी (उत्तरकाशी) के ग्राम द्वारी में कृषि विज्ञान केन्द्र की योजना

35. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत ग्राम द्वारी के कृषि फार्म को कृषि विज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उसको कब तक क्रियान्वयन किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विज्ञान केन्द्र भारत सरकार की एक योजना है जो प्रत्येक जनपद में एक स्थान पर स्थापित किया जाता हैं जनपद उत्तरकाशी में कृषि विज्ञान केन्द्र चिन्यालीसौड़ में स्थापित किया जा चुका है जो विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) के अन्तर्गत है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित भवनविहीन आश्रम पद्धति विद्यालयों हेतु भवन निर्माण योजना

36. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कितने ऐसे आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, जिनके अपने सरकारी भवन नहीं है ?

क्या सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों में सरकारी भवन निर्माण की कोई योजना बनाई जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

समाज कल्याण विभागान्तर्गत संचालित ऐसे आश्रम पद्धति विद्यालय जिनके सरकारी भवन नहीं हैं, की संख्या 6 हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में राज0 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा का भवन निर्माण

37. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में रा0 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा के भवन निर्माण हेतु ग्राम अमाऊँ के सरकारी बाग में लगभग सात बीघा भूमि आवंटित हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो रा0 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा भवन के निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष, 2009–10 में केन्द्राँश रुपये 342.16 लाख की मांग का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया हैं केन्द्राँश की प्राप्ति होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा ग्राम प्रधान व ब्लॉक प्रमुखों को प्रदत्त मानदेय

38. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में ग्राम प्रधान, प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख व कनिष्ठ प्रमुख को सरकार द्वारा कितनी–कितनी राशि प्रतिमाह मानदेय के रूप में दी जा रही है ?

क्या सरकार दी जा रही मानदेय राशि बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रदेश में ग्राम प्रधान को 600.00 रुपये, प्रमुख को 3000.00 रुपये तथा ज्येष्ठ प्रमुख (उप प्रमुख) को 500.00 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया गया है। कनिष्ठ प्रमुख को मानदेय दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर, भगवानपुर एवं अन्य ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव

39. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर, भगवानपुर एवं राज्य की अन्य ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्राम पंचायतों को वर्ष, 2009 में ही नगर पंचायत बना दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड चकराता व कालसी में राज्य निर्माण के पश्चात् विभिन्न मदों में प्राप्त धन एवं निर्मित नहर

40. श्री प्रीतम सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य निर्माण के पश्चात् लघु सिंचाई विभाग को विकास खण्ड चकराता व कालसी ए0आई0बी0पी0, भारत निर्माण व अन्य मदों में किस–किस वित्तीय वर्ष में कितना धन उपलब्ध हुआ तथा उसके सापेक्ष कितनी किलोमीटर नहरों का निर्माण हुआ/होना है तथा इससे कुल कितने हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता व कालसी में राज्य निर्माण के पश्चात् वर्ष, 2008–09 तक कुल रुपया 6324.88 लाख की धनराशि निम्न प्रकार प्राप्त हुई :–

(धनराशि लाख रु0 में)

वर्ष	ए0आई0बी0पी0	जि0यो0	एस0सी0एस0पी0	टी0एस0पी0	योग
2000–01	–	–	–	–	–
2001–02	–	65.97	–	–	65.97
2002–03	49.46	–	–	–	49.46
2003–04	143.66	–	–	–	143.66
2004–05	231.96	22.19	9.30	18.95	282.40
2005–06	206.01	–	–	–	206.01
2006–07	880.38	–	–	–	880.38
2007–08	647.95	–	–	–	647.95
2008–09	4049.05	–	–	–	4049.05
योग	6208.47	88.16	9.30	18.95	6324.88

उपलब्ध धनराशि व्यय कर 553.044 किलोमीटर गूल तथा 247 हौज का निर्माण किया गया।

योजनाओं का निर्माण कर 5081.724 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

प्रदेश में नये आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने पर विचार तथा चकराता के विनसौण में विद्यालय भवन की निर्माण प्रगति

41. श्री प्रीतम सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में नये आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विनसौण में आश्रम पद्धति विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक विद्यालय भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभागान्तर्गत पूर्व से ही 22 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है।

जी नहीं।

विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राज्याँश के रूप में कुल रुपये 153.50 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जा चुकी है। केन्द्राँश के रूप में रुपये 165.385 लाख की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

जनपद ऊधमसिंह नगर सीमान्त एवं जनजाति क्षेत्र खटीमा में मृदा परीक्षण केन्द्र की स्थापना

42. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के सीमान्त एवं जनजाति क्षेत्र खटीमा में मृदा परीक्षण हेतु स्थाई रूप से कोई व्यवस्था की गई है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सीमान्त जनजाति क्षेत्र में थारु जनजाति किसानों के लिये मृदा परीक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में खटीमा क्रय–विक्रय समिति के पास उपलब्ध भूमि तथा वफर गोदाम का निर्माण

43. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में खटीमा क्रय–विक्रय समिति के पास अपनी कितनी भूमि उपलब्ध है ?

क्या सरकार खटीमा क्रय–विक्रय समिति ऊधमसिंह नगर की भूमि में स्थानीय कृषकों के हित में खाद के वफर गोदाम निर्माण की योजना बनाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

खटीमा क्रय–विक्रय समिति, ऊधमसिंह नगर के नाम प्लाट नं0 38 में 3920 वर्गफीट भूमि जो थारु गंज में स्थित है, भू–खण्ड अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के पत्र, दिनाँक 27.05.2009 द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई है।

प्लॉट नं0 137 में 202–1/32 वर्गगज, प्लॉट नं0 15 में 28–1/6 वर्गगज तथा खसरा नं0 173 में 373–1/3 वर्गगज भूमि तहसील रोड पर समिति के पास लीज पर है, जिसका नवीनीकरण शुल्क जमा हो चुका है। उक्त भूमि पर खटीमा क्रय–विक्रय समिति के 4 गोदाम व 8 दुकानें तथा द्वितीय मंजिल में दो आवास हैं।

ग्राम महोलिया में खेत नं0 1026 में 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि है, जिस पर सन् 1952 से समिति का कब्जा है। उक्त भूमि पर उत्तरी खटीमा लैम्प्स एवं दक्षिणी खटीमा लैम्प्स का गोदाम, कार्यालय व सचिव निवास क्रमशः वर्ष 1981–82 एवं वर्ष, 82–83 में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत एन0सी0डी0सी0 द्वारा निर्मित हुये हैं। उक्त भूमि पर जिला योजना अन्तर्गत वर्ष, 2002–03 में 4 छोटे गोदाम 11.5 × 5.5 फीट के निर्मित हैं, जो पानीपात खटीमा मुख्य मार्ग पर स्थित है।

समिति के पास वर्तमान में 8 गोदाम 600 मै0टन की क्षमता के उपलब्ध है जो वर्तमान में खाद के भण्डारण के लिये पर्याप्त है। यदि आवश्यकता हुई तो और गोदाम निर्मित किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

गौ वंश संवर्द्धन के अन्तर्गत क्रय–विक्रय प्रतिबन्धित होने से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव एवं नीति निर्माण

44. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि पर्वतीय भू भाग में बछड़ों को कृषि के अनुरूप ट्रैन्ड कर बैलों के रूप में तैयार कर कृषि कार्य के लिए खरीदे व बेचे जाते हैं जो गाँवों में रोजगार सृजन के साथ लोगों की आर्थिक मदद भी करते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सत्य है कि गौ वंश संवर्धन के अन्तर्गत यह क्रय–विक्रय प्रतिबंधित होने के कारण कृषि कार्य के साथ–साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छोटी–छोटी जोतों व स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए सम्यक् नीति निर्माण कर प्रतिबंधों को हटाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा–6 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार राज्य के अन्तर्गत गौवंश के परिवहन पर प्रतिबन्ध नहीं है बल्कि राज्य के बाहर परिवहन पर प्रतिबन्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0आई0सी0 वर्कर्स को0 हाउसिंग सोसाइटी के कर्मचारियों का वेतन रोकने का विधिक आधार एवं वेतन का भुगतान

45. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि एल0आई0सी0 वर्कर्स को–आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, देहरादून द्वारा वर्ष 2007 में उ0प्र0 को0ओ0 सोसाइटीज सर्विसेस रेगूलेशन्स, 1975 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों का वेतन माह सितम्बर, 2008 से रोक दिया गया है ?

यदि हाँ, तो वेतन रोके जाने का विधिक आधार क्या है और क्या जनपद की अन्य किसी सोसाइटी के कर्मचारियों का भी वेतन उक्त आधार पर रोका गया है ?

यदि नहीं, तो उक्त सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ विभेदकारी कार्यवाही किए जाने का क्या औचित्य है तथा रोके गये वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

एल0आई0सी0 वर्कर्स को–आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, देहरादून के किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद की अन्य किसी सोसाइटी के कर्मचारियों का वेतन नहीं रोका गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

खण्ड विकास अधिकारी, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) को सरकारी वाहन उपलब्ध न होने से राजकीय कार्य में बाधा

46. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर जनजाति बाहुल्य सीमान्त क्षेत्र के विकास खण्ड क्षेत्र खटीमा के खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सरकारी कार्य हेतु कोई सरकारी वाहन उपलब्ध न होने के कारण विकास खण्ड में सरकारी एवं विकास कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनजाति बाहुल्य एवं सीमान्त क्षेत्र विकास खण्ड खटीमा ऊधमसिंह नगर हेतु सरकारी वाहन क्रय करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी नहीं।

विकास खण्ड खटीमा हेतु वित्तीय वर्ष, 2008–07 में वाहन आवंटित किया गया था। जिला स्तर पर जिला विकास अधिकारी का वाहन निष्प्रयोज्य हो जाने से स्थानीय व्यवस्था के तहत विकास खण्ड खटीमा का वाहन जिला विकास अधिकारी द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हैं। जिला विकास अधिकारी को नया वाहन उपलब्ध होते ही विकास खण्ड खटीमा का वाहन वापस कर दिया जायेगा। वर्तमान में विकास खण्ड सितारगंज का वाहन प्रत्येक माह में 15 दिन के लिए विकास खण्ड खटीमा को उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी विकास विभाग द्वारा अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न निकायों के प्रस्ताव स्वीकृति तथा द्वाराहाट (अल्मोड़ा) नगर पंचायत के भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

47. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शहरी विकास विभाग द्वारा अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न निकायों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण किया गया है ?

यदि हाँ, तो कब और क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सत्य है कि दिनाँक 26 दिसम्बर, 2006 को जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट नगर पंचायत के हित चिंतक भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है,

यदि हाँ, तो अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री मदन कौशिक–

नीति निर्धारण का कार्य विचाराधीन है।

सरकार द्वारा गत दिनों घोषित मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत ही अवस्थापना विकास निधि की नीति का निर्धारण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

नीति निर्धारण के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

मा0 विधायक श्रीमती अमृता रावत के क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थलीय निरीक्षण में अनुपस्थित रहे अधिकारियों पर की गई कार्यवाही

48. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1236/विधायक/36–भ्रमण /2008–09, दिनाँक 15 नवम्बर, 2008 के द्वारा अपने दिनाँक 03 से 07 दिसम्बर, 2008 तक के क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकास एवं निर्माण योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण में विभागीय अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किए जाने का अनुरोध जिलाधिकारी, गढ़वाल से किया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र भ्रमण के दौरान कौन–कौन अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं और उनके प्रति की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी हाँ।

किन्तु उक्त पत्र के द्वारा अधिकारियों को उपस्थित रहने की अपेक्षा नहीं की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में वर्ष, 2006–07 से अब तक विकलांग, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन भुगतान में विलम्ब के कारण

49. श्रीमती अमृता रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष, 2006–07 से अब तक विकलांग, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान कब–कब कितनी अवधि के बाद किया गया है ?

विलम्ब से भुगतान के क्या कारण रहे है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि छः माही किश्त भेजने का प्राविधान है। वर्ष, 2006–07, वर्ष, 2007–08 में पेंशन की धनराशि समय से मनीआर्डर द्वारा भेजी गयी है। वर्ष, 2008–09 में लाभार्थियों के डाकघर/बैंक में खोले गये खातों में हस्तान्तरित करने की नयी प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। जिन लाभार्थियों ने समय से खाता संख्या उपलब्ध कराये हैं, उनके खातों में छः–छः माह की धनराशि हस्तान्तरित की गई है। जिन लाभार्थियों के खाता संख्या कार्यालय में अप्राप्त थे, उन्हें पेंशन की धनराशि चैक द्वारा माह मार्च 2009 में भुगतान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री अन्तर्गत वि0ख0 भटवाड़ी एवं डुण्डा में वर्ष, 2007–08 तथा 2008–09 में भारत निर्माण योजना में निर्मित गूलों व हौजों के निर्माण का विकास खण्डवार विवरण

50. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भटवाड़ी तथा डुण्डा में वर्ष, 2007–08 तथा 2008–09 में भारत निर्माण योजना में किन–किन गाँवों/तोकों में सिंचाई गूलों तथा हौजों का निर्माण करवाया गया ?

क्या सरकार निर्मित योजनाओं की सूची विकास खण्डवार ग्राम व तोक सहित योजना लागत सहित उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भटवाड़ी तथा डुण्डा में भारत निर्माण योजना में वर्ष, 2007–08 तथा 2008–09 में संलग्न सूची में उल्लिखित गाँवों/तोकों में सिंचाई गूल तथा हौजों का निर्माण कराया गया।

जी हाँ।

सूची संलग्न है।●

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल (पौड़ी) अन्तर्गत विधायक निधि से स्वीकृत/चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में कार्यवाही एवं परिणाम

51. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की विधान सभा बीरोंखाल के अन्तर्गत विधायक निधि से स्वीकृति/चयनित योजनाओं का निर्माण करवाए जाने के बावजूद भी जिला विकास अधिकारी, पौड़ी के कार्यालय के अवशेष धनराशि अवमुक्त करने/करवाने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्राँक–767/विधायक/39–विधायक निधि/2008–09, दिनाँक 17.04.08, पत्राँक–1151/विधायक/39–विधायक निधि/2008–09, दिनाँक 25.09.08 तथा पत्राँक–1587/विधायक/39–विधायक निधि/2008–09, दिनाँक 05 मार्च, 2009 विभाग में कब प्राप्त हुए हैं ?

और उक्त संदर्भित पत्रों में वर्णित तथ्यों पर अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विधायक निधि से स्वीकृत/चयनित योजनाओं का अवशेष भुगतान करवाए जाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत ऐसी योजनाओं का विकास खण्डवार विवरण क्या है जिनका अभी तक अंतिम भुगतान नहीं किया गया है ?

● (देखिये नत्थी "ख" पृष्ठ 140–150 पर)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

संदर्भित पत्र क्रमशः दिनाँक 23–04–2008, 15–10–2008 तथा 18–03–2009 को प्राप्त हुए हैं।

पत्र दिनाँक 17–04–2009 पर की गई कार्यवाही का उत्तर पत्र दिनांक 05–05–2008 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा को वस्तु स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रेषित की गई तथा पत्र दिनाँक 25–09–2008 के क्रम में पत्र दिनाँक 20–10–2008 द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा के निस्तारण के निर्देश दिये गये एवं मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनाँक 05–03–2009 तथा शासन के पत्र दिनाँक 07–05–2009 के क्रम में जिला विकास अधिकारी के पत्र दिनाँक 23–05–2009 द्वारा वस्तु स्थिति से मा0 सदस्य, विधान सभा को अवगत कराया गया है।

अवशेष भुगातन कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं एवं खण्ड विकास अधिकारियों को ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में शीघ्र माँग पत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत ऐसी योजनाओं का विकास खण्डवार विवरण संलग्न है।●

रवाँल्टा एवं जौनसारी समुदाय को केन्द्रीय अनुसूची में जोड़ने की संस्तुति

52. श्री केदार सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि सरकार द्वारा सदन में गत वर्ष, 2008 में रवाँल्टा व जौनपुरी समुदाय को केन्द्रीय अनुसूची में जोड़े जाने हेतु केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संस्तुति प्रेषित किये जाने हेतु आश्वासन दिया था ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष, 2005–06 से 2008–09 तक राज्य को केन्द्र सरकार से आवंटित राशन एवं रसोई गैस का तुलनात्मक विवरण

53. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2005–06 तक राज्य को केन्द्र से कुल कितना सरकारी राशन प्राप्त होता था और वर्तमान में कुल कितना सरकारी राशन चावल, गेहूँ, चीनी, मिट्टी तेल तथा गैस सिलैण्डर का कोटा प्राप्त हो रहा है ?

● (देखिये नत्थी "ग" पृष्ठ 151–176 पर)

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद उत्तरकाशी को वर्तमान में कुल कितना सरकारी राशन चावल, गेहूँ, चीनी, मिट्टी तेल तथा गैस सिलैण्डर का कोटा आवंटित किया जा रहा है ?

क्या सरकार वर्ष, 2005–06 तक मिल रहे कोटे व वर्ष, 2006–07, 2007–08 व 2008–09 का तुलनात्मक विवरण उपलब्ध करायेगी ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2005–06 में राज्य को केन्द्र से निम्नवत् खाद्यान्न (मी0 टन में) आवंटित किया गया :–

(1)	ए0पी0एल0	गेहूँ	140592.000 मी0टन
		चावल	192960.000 मी0टन
(2)	बी0पी0एल0	गेहूँ	56624.000 मी0टन
		चावल	109800.000 मी0टन
(3)	अन्त्योदय	गेहूँ	12768.000 मी0टन
		चावल	29980.000 मी0टन
(4)	चीनी	72396.000 मी0टन	
(5)	मिट्टी तेल	114039.00 के0एल0	
(6)	एल0पी0जी0 गैस	8854021 सिलिण्डर में	

जबकि वर्तमान में प्रतिमाह निम्नवत् खाद्यान्न (मी0टन में) आवंटित किया गया :–

(1)	ए0पी0एल0	गेहूँ	14766.00 मी0टन
		चावल	2324.00 मी0टन
(2)	बी0पी0एल0	गेहूँ	4043.00 मी0टन
		चावल	8095.00 मी0टन
(3)	अन्त्योदय	गेहूँ	1582.00 मी0टन
		चावल	3711.00 मी0टन
(4)	चीनी	6033.00 मी0टन	
(5)	मिट्टी तेल	9591.00 के0एल0	
(6)	एल0पी0जी0 गैस घरेलू	798248 सिलिण्डर में	

वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद को प्रतिमाह निम्नवत् कोटा (मी0टन) आवंटित किया जा रहा है–

(1)	ए0पी0एल0	गेहूँ	435.100 मी0टन
		चावल	56.700 मी0टन
(2)	बी0पी0एल0	गेहूँ	202.990 मी0टन
		चावल	490.210 मी0टन
(3)	अन्त्योदय	गेहूँ	90.340 मी0टन
		चावल	211.919 मी0टन
(4)	चीनी	209.000 मी0टन	
(5)	मिट्टी तेल	404.00 के0एल0	
(6)	एल0पी0जी0 गैस घरेलू	15176 सिलिण्डर में	

तुलनात्मक विवरण निम्नवत् हैं–

वर्ष 2005–06 में

(1)	ए0पी0एल0	गेहूँ	140592.00 मी0टन
		चावल	192960.00 मी0टन
(2)	बी0पी0एल0	गेहूँ	56624.00 मी0टन
		चावल	109800.00 मी0टन
(3)	अन्त्योदय	गेहूँ	12768.00 मी0टन
		चावल	29980.00 मी0टन
(4)	चीनी	72396.00 मी0टन	
(5)	मिट्टी तेल	114039.00 के0एल0	
(6)	एल0पी0जी0 गैस घरेलू	8854021 सिलिण्डर में	

वर्ष 2006–07 में

(1)	ए0पी0एल0	गेहूँ	65802.00 मी0टन
		चावल	211968.00 मी0टन
(2)	बी0पी0एल0	गेहूँ	50826.00 मी0टन
		चावल	104340.00 मी0टन
(3)	अन्त्योदय	गेहूँ	16674.00 मी0टन
		चावल	39132.00 मी0टन
(4)	चीनी	72396 मी0टन	
(5)	मिट्टी तेल	121092.00 के0एल0	
(6)	एल0पी0जी0 गैस घरेलू	9408899 सिलिण्डर में	

वर्ष 2007–08 में

(1)	ए0पी0एल0	गेहूँ	59141.00 मी0टन
		चावल	78228.00 मी0टन
(2)	बी0पी0एल0	गेहूँ	48516.00 मी0टन
		चावल	97140.00 मी0टन
(3)	अन्त्योदय	गेहूँ	18984.00 मी0टन
		चावल	44532.00 मी0टन

(4)	चीनी	72396 मी0टन	
(5)	मिट्टी तेल	115068.00 के0एल0	
(6)	एल0पी0जी0 गैस घरेलू	9585769 सिलिण्डर में	
		वर्ष 2008–09 में	
(1)	ए0पी0एल0	गेहूँ	122792.00 मी0टन
		चावल	30288.00 मी0टन
(2)	बी0पी0एल0	गेहूँ	48516.00 मी0टन
		चावल	97140.00 मी0टन
(3)	अन्त्योदय	गेहूँ	18984.00 मी0टन
		चावल	44532.00 मी0टन
(4)	चीनी	72396 मी0टन	
(5)	मिट्टी तेल	115092.00 के0एल0	
(6)	एल0पी0जी0 गैस घरेलू	8816341 सिलिण्डर में	

सरकारी स्थानीय निकायों में केन्द्रीयत सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति

55. श्री यशपाल बेनाम–

क्या शहरी विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार स्थानीय निकायों में केन्द्रीयत सेवा के विभिन्न रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियाँ करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

पालिका केन्द्रीयत सेवा के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड को शासन के पत्र संख्या–647/IV–08–01(12)/2007, दिनाँक 24.04.2008 द्वारा प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय अंचल में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के रख–रखाव हेतु बजट एवं जनपद चम्पावत में सड़कों का डामरीकरण

56. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय अंचल में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत/डामरीकरण व रख–रखाव हेतु विभाग द्वारा बजट का प्राविधान किया हुआ है ?

यदि हाँ, तो जनपद चम्पावत की किन–किन सड़कों में अभी तक मरम्मत/डामरीकरण का कार्य किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं।

जनपद चम्पावत में मण्डी परिषद् द्वारा पूर्व निर्मित सड़कों की मरम्मत/डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं कराया गया है।

पर्वतीय अंचल में सड़कों का निर्माण पूर्व निर्मित सड़कों की मरम्मत/डामरीकरण का कार्य सम्बन्धित मण्डी समिति के प्रस्तावानुसार एवं मा0 जनप्रतिनिधियों की माँग पर विकास सैस मद में धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाता है।

न्याय पंचायत क्षेत्र सरोना (देहरादून) व जौनपुर थत्यूड़ क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध

57. श्री गणेश जोशी–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राजधानी देहरादून से मात्र 20 किमी0 की दूरी पर अवस्थित सरोना न्याय पंचायत क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है ?

क्या यह सत्य है कि सरोना न्याय पंचायत क्षेत्र से लगा क्षेत्र जौनपुर थत्यूड़ पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सरोना न्याय पंचायत क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी,

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज के निर्धन परिवारों एवं धोबी समाज को आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकारी योजना

58. श्री गणेश जोशी–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि समाज के निर्धन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धित कोई योजना शासन में लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा धोबी समाज के निर्धन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक योजना पर काम शुरू किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना बी0एस0यू0पी0 तथा आई0एच0एस0डी0पी0 का संचालन किया जा रहा है, जो कि मलिन बस्तियों के उन्नयन से सम्बन्धित है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा "अटल आवास योजना" संचालित की जा रही है, जिसमें अनुसूचित जाति के सभी निर्धन परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता है।

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–212/VXII–1/2009719 (09)/2009, दिनाँक 24–02–2009 के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बांधाट स्थित राजकीय खाद्यान्न डिपो से बहेड़ाखाल तक विक्रेता को वास्तविक दूरी से अधिक भाड़े का भुगतान

59. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित अतारॉकित प्रश्न संख्या–01 के उत्तर के क्रम में क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बांघाट में स्थित राजकीय खाद्यान्न डिपों से बहेड़ाखाल की वास्तविक दूरी मात्र 25 किलोमीटर है जबकि विक्रेता को 52 कि0मी0 का भाड़ा दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो अधिक दूरी दिखाकर अधिक भाड़ा दिये जाने का कारण क्या है तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा क्या वास्तविक दूरी के आधार पर नियंत्रित खाद्यान्न की बिक्रीदर निर्धारित की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय अन्न भण्डार, बांघाट से बहेड़ाखाल की दूरी वर्ष, 2002 में तत्कालीन सहायक खाद्यान्न निरीक्षक, बांघाट/तत्कालीन उप जिलाधिकारी, बांघाट, पौड़ी द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर बांघाट–कांसखेत–नाहसैण मोटर मार्ग से बहेड़ाखाल की दूरी 52 कि0मी0 है जो वर्तमान में यथावत् है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी एवं लोक

निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बांघाट–खाण्डा मार्ग से बहेड़ाखाल की दूरी 27.5 किलोमीटर हैं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण (आर0टी0ए0) द्वारा उक्त मार्ग में भारी वाहनों हेतु जुलाई, 2008 से परमिट निर्गत किये गये हैं।

वर्ष, 2008 से नये मार्ग के अस्तित्व में आने के बाद भी उपभोक्ताओं को पुरानी दूरी की दरों से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के कारण सम्बन्धित सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

वर्तमान में बांघाट–खाण्डा मार्ग से बहेड़ाखाल की वास्तविक दूरी 27.5 किलोमीटर के आधार पर नियंत्रित खाद्यान्न की बिक्रीदर निर्धारित कर दी गई है।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत एक नये विकास खण्ड जालली का निर्माण

60. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोड़ा की द्वाराहाट तहसील के अन्तर्गत एक नये विकास खण्ड जालली के निर्माण की माँग क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है ?

क्या मंख्यमंत्री जी अवगत हैं कि पूर्ववर्ती उ0प्र0 सरकार द्वारा जालली विकास खण्ड की घोषणा करते हुये 1 माह तक विकास खण्ड का कार्य संचालित किया गया था ?

यदि हाँ, तो जनहित में उत्तराखण्ड सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से इस विकास खण्ड का निर्माण करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी हाँ।

तत्कालीन मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा वर्ष, 1997 में जनपद अल्मोड़ा के भ्रमण के दौरान जालली नामक पृथक विकास खण्ड की स्थापना किये जाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के उपरान्त अस्थायी रूप से सहायक विकास अधिकारी (बहुफसली) के निर्देशन पर विकास खण्ड से सम्बन्धित पत्रों का निस्तारण होता रहा।

जी नहीं।

योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या–एम–13018/27/96–आर0डी0, दिनाँक 25–7–1997 द्वारा नये विकास खण्डों के सृजन हेतु कोई सहायता न दिये जाने तथा राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत नये विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

मार्शल, विधान सभा–

मानननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मेरा नियम–310 का प्रश्न था।

*मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, जिस घटनाक्रम पर कल से अभी तक चर्चा हो रही है, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बसपा ने जो चिन्ता व्यक्त की, वह हमको भी चिन्ता है और हम भी चाहते हैं कि कभी किसी कीमत पर दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। श्रीमन्, हरिद्वार जिसका पूरे देश और दुनिया के अन्दर नाम है, उस हरिद्वार की शान्ति और कानून व्यवस्था हर हाल में बनाये रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। श्रीमन्, इसलिए माननीय नेता बसपा भी यही चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उसको बख्शा नहीं जाए और हरिद्वार की शालीनता और शान्ति व्यवस्था का विशेषकर ध्यान रखा जाए। जो घटना घटित हुई है वह निश्चित रूप में दुःखद है और पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से वहाँ पर काम किया है और जिसकी प्रशंसा माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बसपा ने भी अपने वक्तव्य में भी कहा है और व्यक्तिगत वार्ता में भी कहा है। श्रीमन्, इसलिए सदन भी व्यवस्थित चले, कानून व्यवस्था बनी रहे, शालीनता और सौहार्दता बनी रहे। श्रीमन, जो घटनाक्रम है उसकी जाँच चल रही है, हमने तय किया है कि उस घटना की जो जाँच हो रही है, वह पुलिस द्वारा जाँच होती रहे, लेकिन कहीं न कहीं हरिद्वार को अव्यवस्थित करने का, हरिद्वार के माहौल को बिगाड़ने का कोई न कोई षड़यंत्र नजर आता है और सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हरिद्वार का यह जो माहौल है, जो लोग खराब करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद 2,3,4,5,6 घटना लगातार होती चली गई हैं और उसमें किसी समुदाय विशेष का कोई व्यक्ति नहीं था और ऐसा लगता है कि हरिद्वार किसी साजिश का शिकार हो सकता है, इसलिए सारे परिदृश्य को देखते हुये भविष्य में वह माहौल बना रहे इसके लिए अलग से मैजिस्ट्रीयल जाँच के भी आदेश दे दिये जायेंगे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह मामला सदन में आया है, तो एक विषय की दो–दो जाँच, पुलिस जाँच और मैजिस्ट्रीयल जाँच कैसे हो सकती है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विषय अलग–अलग हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, यह विषय अलग–अलग हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, विषय अलग–अलग कैसे हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"

श्रीमन्, माननीय नेता बसपा ने नियम–310 में उठाया है और मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ कि सदन में बात हो चुकी है, लेकिन हम लोग बैठकर तय कर चुके हैं, यह तय कर चुके हैं कि उस घटना विशेष की जाँच पुलिस करती रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे हरिद्वार का वायुमण्डल गलत करने की कोशिश हो रही है, कोई न कोई जो इस तरीके के लोग हैं, जो पूरे हरिद्वार को अशान्ति में झौंकना चाहते हैं, इसलिए पूरे परिदृश्य को देखते हुये इस घटना की जाँच, जो पुलिस कर रही है वह करती रहेगी, लेकिन पूरे परिदृश्य को देखते हुए उसमें एक घटना ही नहीं अन्य घटना भी जो होगी उसकी मैजिस्ट्रीयल जाँच होगी जिससे भविष्य में इस तरीके का माहौल खराब न हो सके। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि तय कर चुके हैं तो कहाँ तय कर चुके हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैंने कहा मैं इस बात को घोषित कर रहा हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह बहस का मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप तय कर चुके हैं, क्या सदन के बाहर कोई चीज तय हुई है ? (व्यवधान)

- वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

नहीं "तय" नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्‌बोधन में अभी कहा भी था।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं पुनः माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि हमने बातचीत की है, यह मैंने कहा है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने यह नहीं कहा है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, तो मैंने कह दिया है, हमने घोषित किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शब्दों का चयन अलग हो सकता है, परन्तु मंशा यह नहीं है।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री गणेश जोशी, श्री चन्दन राम दास तथा श्रीमती आशा नौटियाल की कुल 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

पुलिस विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य पुलिस कर्मियों की भाँति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमानन्द महाजन–

[मान्यवर, शासनादेश संख्या–7793/आई–1–5/1979 दिनाँक 7 दिसम्बर, 1979 के अनुक्रम में ही उत्तराखण्ड राज्य में भी पुलिस संगठन में नियुक्त समस्त कान्स्टेबिल, हे0का0, फायर सर्विस में नियुक्त समकक्षीय कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए जनपदीय शाखा (जी0आर0पी0) नागरिक पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस के सहायक उप निरीक्षकों, निरीक्षकों, जिसमें पी0एस0सी0 के प्लाटून कमाण्डर भी सम्मिलित हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानेदय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के समस्त कार्मिकों को भी वर्ष, 1996 से एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने की स्वीकृति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी की गयी है। परन्तु चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी न किये जाने के कारण इन्हें यह लाभ अनुमन्य नहीं किया जा सका है। जबकि पुलिस विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कार्यकारी बल की भाँति थाना/चौकी, पुलिस लाइन्स एवं पीए0सी0 वाहिनियों में स्थित भाजनालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत रहते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करते आ रहे हैं, जिस कारण इन्हें भी न तो सामान्य अवकाश ही मिल पाता है और न ही राजपत्रित अवकाश मिल पाता है। साथ ही इनकी कार्य अवधि भी 8 घण्टे से अधिक पड़ती है, जिसका इन कार्मिकों को अलग से कोई प्रतिकर भत्ता आदि भी भुगतान नहीं किया जाता हैं इस कारण एक ही संगठन में नियुक्त कार्मिकों में यह दोहरी नीति की व्यवस्था से पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों में रोष व्याप्त है। यद्यपि पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा भी इन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को उनकी माँग को उचित ठहराते हुए अन्य पुलिस कार्मिकों की भाँति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान की संस्तुति भी अपने पत्र संख्या–डी0जी0–एक–262(1)/2004, दिनाँक 22 सितम्बर, 2004 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गयी हैं परन्तु अभी तक इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से आवश्यक कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद का सबसे पिछड़ा ब्लॉक भगवानपुर, जिसमें 53 गॉव पंचायत तथा 95 गाँव हैं, जिसे घाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। घाड़ क्षेत्र का अर्थ है, जहाँ समस्त समस्याएं हैं, इनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या है, राजकीय डिग्री कालेज न होने के कारण इस क्षेत्र के बालक–बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र बहुत पिछड़ा रहा है। यदि इस ब्लॉक के हैडक्वार्टर भगवानपुर में डिग्री कॉलेज का निर्माण हो जाये तो इस क्षेत्र की एक मूलभूत समस्या का समाधान हो जायेगा और क्षेत्र के बालक–बालिकाएं उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर पायेंगे। इसलिए इस पिछड़े विकास खण्ड में यदि राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण हो जायेगा तो इस क्षेत्र का शिक्षा के कारण पिछड़ापन दूर हो जायेगा।

इसलिए इस अविलम्बनीय अति लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

उत्तराखण्ड के केदारनाथ के आस–पास घोड़े खच्चरों में फैली बीमारी फ्लू से मरने तथा सरकार द्वारा कोर्ट राहत राशि वितरित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, उत्तराखण्ड के केदारनाथ और उसके आस–पास के क्षेत्र में घोड़े–खच्चरों में फैली बीमारी फ्लू से मरने वाले अश्वपालकों की दयनीय स्थिति हो गयी है। जनपद–टिहरी से भी अपने रोजगार हेतु मेरे क्षेत्र घनसाली–बूढ़ाकेदार से भारी संख्या में अश्वपालक केदारनाथ यात्रियों की सेवा हेतु जाते हैं, किन्तु बीमारी के कारण कई अश्वपालक अपने घर वापस आ गये और कई गाँव के अश्व व खच्चरों को उक्त फ्लू बीमारी के चपेट में आ गये, कितने ही अश्वपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्षेत्र के कई घोड़े, खच्चर संक्रमित होकर मर गये। इनका घनसाली के पशु चिकित्सकों द्वारा फ्लू का उपचार किया गया इसकी सूचना स्थानीय पशु चिकित्सकों को दी गयी किन्तु इनके द्वारा सूचना दर्ज नहीं की गयी। इनके सैम्पल का निगेटिव होने की लापरवाहीपूर्ण जवाब दिया गया जबकि संक्रमित फ्लू का उपचार ही करवाया गया है। अश्वपालक (1) भारत सिंह, ग्राम–मरवाड़ी, (2) हरदेव सिंह, ग्राम–मेड़, (3) ध्यान सिंह, ग्राम–मेड़, (4) कुँवर सिह, ग्राम–मेड़, (5) जेठू सिंह, ग्राम–मेड़, (6) प्रमोद सिंह, ग्राम–अगुण्डा के घोड़े व खच्चर इस गम्भीर फ्लू बीमारी से मर गये किन्तु सरकार द्वारा आज तक कोई भी राहत राशि वितरित नहीं की गयी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर नियम–300 के अन्तर्गत चर्चा की माँग करते हैं।

जनपद देहरादून के वि0ख0 रायपुर अन्तर्गत न्याय पंचायत सरोना के अन्तर्गत प्रा0वि0 चमसारी, नालीकला, खालेंच क्यारा, बुरांश खण्डा, छमरोली तथा भैंसवाड़ासौड़ में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत न्याय पंचायत सरोना के अन्तर्गत प्रा0वि0 चामासारी में 93 छात्र/छात्रायें, प्रा0वि0 नालीकला में 56 छात्र/छात्रायें, प्रा0वि0 खालेंच क्यारा में 55 छात्र/छात्रायें, प्रा0वि0 चलचला में 70 छात्र/छात्रायें, बुराँशखण्डा में 65 छात्र/छात्रायें, प्रा0 वि0 छमरोली में 45 छात्र/छात्रायें, प्रा0वि0 भैंसवाड़ा सौड़ में 40 छात्र/छात्रायें हैं जो एक–एक शिक्षक/शिक्षामित्र के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक/शिक्षा मित्रों के आकस्मिक अवकाश पर चले जाने से विद्यालय अधिकतर बंद रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय सरोसा व प्रा0वि0 नालीकला–II में गत

• वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सितम्बर–अक्टूबर से कोई भी शिक्षक नहीं हैं। जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्राम सभा क्यारा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय क्यारा व प्राथमिक विद्यालय खालेंज में क्रमशः 93 और 73 बच्चे हैं जो एक–एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहे हैं। क्या एक शिक्षामित्र 93 बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी विषयों को पढ़ा सकता है ? विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की माँग को लेकर क्षेत्र प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विभाग को लिखित एवं मौखिक रूप से सूचना दी गई किन्तु कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

विधान सभा क्षेत्र गरूड़ के राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत विषयों के सापेक्ष पद सृजित कर स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र गरूड़ में राजकीय महाविद्यालय, गरूड़ में स्वीकृत विषयों के सापेक्ष पद सृजन न होने से वहाँ के विद्यार्थियों को पूर्व की भाँति बागेश्वर व अन्य स्थानों पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की वजह से क्षेत्रवासियों में जन आक्रोश है तथा क्षेत्र की जनता आन्दोलनरत् हैं जबकि भवन एवं साज–सज्जा की व्यवस्था मैंने विधायक निधि से कर रखी है।

अतः अविलम्ब उक्त महाविद्यालय में स्वीकृति के सापेक्ष विषयों के पद सृजन कर स्टाफ की नियुक्ति के आदेश सरकार को दिये जाने एवं इस लोक महत्व की सूचना को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ऊखीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा–

[मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा के विकास खण्ड ऊखीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की ओर ले जाना चाहती हूँ। वर्ष, 2005–06 में स्वीकृत इस स्वास्थ्य भवन निर्माण की धीमी प्रगति के कारण स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है।

मान्यवर, विकास खण्ड मुख्यालय पर बन रहे इस अस्पताल भवन का समय पर निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज कर रहे लोगों को अगस्त्यमुनि या रुद्रप्रयाग जाना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था को कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश देते हुए, जनता की सुविधा हेतु सामुदायिक भवन को शीघ्र संचालित किया जाना आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

राज्य में मोटर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित तथा घायलों को दी जाने वाली अनुमन्य राजकीय सहायता न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, राज्य में आये दिन अधिकाँशतः पर्वतीय मार्गों पर मोटर वाहन दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं जिसमें से कुछ लोग असामयिक रूप से मौत पाते हैं, कुछ लोग गम्भीर रूप से घायल तथा कुछ आंशिक घायल हो जाते हैं। ऐसी विकट स्थिति में सरकार द्वारा मृतक परिवार के आश्रित को 50,000 रुपये, घायलों को 25,000 रुपये तथा आंशिक रूप से घायलों को 5000 रुपये सहायता के रुप में दिये जाते हैं, जो कि महंगाई के इस दौर में अत्यधिक कम है, ऐसे कई दुःखद अवसरों पर पीड़ितों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुमन्य सहायता बढ़ाये जाने की माँग की गई है और उपरोक्त अनुमन्य सहायता बढ़ाया जाना न्यायोचित व उचित भी प्रतीत होता है। महंगाई एवं दुःखद स्थिति में ऐसे परिवारों को मृतक आश्रित को एक लाख, गम्भीर घायल को पचास हजार रुपये तथा आंशिक रूप से घायलों को पच्चीस हजार रुपये दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर मोटर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन में सवार सरकारी लोक सेवकों, जिनकी लाशें नदियों में बहने से खोजबीन के पश्चात् भी नहीं मिल पाती है और वह पीड़ित परिवार सात वर्ष तक समस्त लाभों से वंचित रहते हैं। इस दौरान वह परिवार भारी मानसिक तथा आर्थिक पीड़ा से गुजरता है, दिनाँक 4–7–2009 को भटवाड़ी से आगे थिराँग जनपद उत्तरकाशी में दुर्घटनाग्रस्त मोटर में सवार शिक्षकों तथा सेना के जवानों की लाशें नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति मे उनके आश्रित व परिवार सात वर्षों तक समस्त लाभों से वंचित रहेंगे, इस पर पुनर्विचार कर समायावधि तीन वर्ष की जानी आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को नियम–300 में लेकर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2009 के प्रथम सत्र में प्राप्त नियम–300 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2009 के प्रथम नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009

*आबकारी एवं गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थपित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन कौशिक–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 15 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनाँक 16 एवं 17 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

जुलाई, 2009

16, (गुरूवार)

1. वित्तीय वर्ष, 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

17, (शुक्रवार)

1. असरकारी संकल्प

(क) श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा तृतीय सत्र, 2008 में दिनाँक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय ताकि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रूचि बढ़ सके"

(ख) श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2009 में दिनाँक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय"

2. विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (पन्द्रह मिनट)

2. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (एक घण्टा)

3. वित्तीय वर्ष, 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष :–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्यों की पेंशन और उपलब्धियों में दिया गया है कि इसके सदस्यों को 5 लाख रुपये का लोन वाहन और प्लॉट के लिये दिया जाता है। कोई भी विधायक गाड़ी के लिये या प्लॉट के लिये लोन ले सकता है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप अवगत ही हैं कि इस पर एक समिति बनी है।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हम लोन लेने के लिये गये थे, उन्होंने बताया है कि एक विधायक को एक ही बार लोन दिया जाता है, उसमें दोबारा प्राविधान हो ही नहीं सकता हैं हम पाँच साल पहले विधायक रहे, उसमें हमने गाड़ी ली, अब गाड़ी तो इतनी चलेगी नहीं। अब हम लोग दोबारा विधायक चुनकर आये हैं, तो क्या हमको यह लोन नहीं दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी, इस पर विचार हेतु एक समिति का गठन किया गया है, उसके सभापति, माननीय अनिल नौटियाल जी हैं, आप इस प्रकरण को समिति को सन्दर्भित कर दें। वह इस पर निर्णय कर लेगी, उसके बाद इसे देख लिया जायेगा।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना चौ0 यशवीर सिंह, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री तस्लीम अहमद, तीसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन, चौथी सूचना कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", पाँचवीं सूचना श्री किशोर उपाध्याय, छठी सूचना श्री तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद तथा श्री हरिदास, सातवीं सूचना श्री मनोज तिवारी, आठवीं सूचना श्री केदार सिंह रावत, नौंवी सूचना श्री तिलक राज बेहड़, दसवीं सूचना श्री रणजीत सिंह रावत, ग्यारहवीं सूचना श्री राजेश जुवाँठा, बारहवीं सूचना श्री प्रीतम सिंह, तेरहवीं सूचना श्री नारायण पाल, चौदहवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री गोपाल सिंह राणा की कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

मैं इनमें से पहली सूचना चौ0 यशवीर सिंह की, जो सहारनपुर–छुटमलपुर मार्ग पर देहरादून आने हेतु मन्दिर के पास भारी/हल्के सभी वाहनों को सुरंग (टनल) से आने में हो रहे जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश की है, जो जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में खानपुर रेंज में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन भूमि भू–माफियाओं को दिये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री तिलक राज बेहड़ तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल की है, जो प्रदेश के किसानों को पूर्व सरकार द्वारा कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी मुक्त योजनान्तर्गत एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया था, किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा उक्त योजना को 31 मार्च, 2009 के बाद लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री मनोज तिवारी की है, जो दिनाँक 27–05–2009 को हल्द्वानी में नौशीन को जलाकर मार दिये जाने व आन्दोलन कर रहे लोगों पर मुकदमें दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में है तथा पाँचवी सूचना श्री प्रीतम सिंह की है, जो जनपद देहरादून में राजकीय महाविद्यालय, त्यूनी में शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने पर भी शिक्षकों तथा प्राचार्य की तैनाती न हाने से क्षुब्ध स्थानीय जनता द्वारा तालाबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में है, को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा चौ0 यशवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैंने कल भी निवेदन किया था समस्त विपक्षी नेताओं से, माननीय सदस्यों से कि नियम–58 के अन्तर्गत या तो आप सूचनाएं अपनी दे दिया करें। अगर आपने मेरे सुपुर्द करी है तो मैं उसे अपने विवेक से स्वीकार करूँ, अस्वीकार करूँ, यह अधिकार मेरा हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरी नियम–310 की सूचना थी, उसके बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

उसमें नहीं आ पायीं, क्या करें ? मुझे सीमित सूचनाएं लेनी हैं। 15 सूचनाओं में से मुझे 5 स्वीकार करना है, (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य को जिसको अनुमति न दी जाये और जिनका नाम यहाँ से न बोला जाय उनकी बात का संज्ञान नहीं लेना है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, नियम–310 की मेरी सूचना थी, उसके बारे में पीठ से कोई विनिश्चय नहीं दिया गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह अधिकार आपको भी देना चाहिए, आप अपने आप छाँट कर दे दिया करें। जब आप 15 सूचनाएं देंगे, 5 मुझे लेनी हैं, 10 तो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार होंगी। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

*श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कल के लिए तो आश्वासन दे दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कल देख लेंगे जो भी होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत अहम है मान्यवर, विधान सभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, उसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

वो प्रकरण समाप्त हो गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं उस प्रकरण पर नहीं बोलना चाह रहा। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के कारण रोज विधान सभा की कार्यवाही नहीं हो रही है और इसके कारण रोजाना विधान सभा में कभी सत्ता पक्ष के कारण और कभी विपक्ष का आरोप बराबर चलता रहता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर नियम–310 में कोई सुनवाई नहीं होनी है और नियम–310 पर कोई चर्चा ही नहीं होनी है तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसको प्रश्न समिति को दे दिया जाय और 310 को हटा दिया जाय, ताकि सदन की कार्यवाही तो चले। मान्यवर, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ व्यवस्था के माध्यम से।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करे। (व्यवधान) मेरा पक्ष आने दें। आपका सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहूँगा कि इस पर विचार कर लें परन्तु यह भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि नियम–310 की कोई सूचना नहीं ली जाती है, ऐसी बात नहीं है। जो नियम–310 की परिधि में आयेगी, उसका संज्ञान लिया जाता है। कल माननीय शहजाद जी और उनके सदस्यों ने नियम–310 की सूचना दी थी, वह ग्राह्यता पर स्वीकार हुई और उसमें माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे। सुना गया है। (व्यवधान) जो 310 की परिधि में नहीं आयेगी, तो नहीं आयेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जब से राज्य बना है आज तक नियम–310 पर कभी भी प्रश्न काल से पहले चर्चा नहीं हुई। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, इसको प्रश्नकाल के बाद रख लिया जाय। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो विषय उठाया गया, यह निश्चित रूप से हमारे सदन के लिए अत्यन्त विचारणीय विषय है। जो नियमावली का नियम–310 है वह नियम–310 अपरिहार्य परिस्थितियों के लिये नियमावली में प्राविधानित किया गया है और निश्चित रूप से यह कार्य व्यवहार में देखने में आ रहा है, इसकी वजह से निश्चित रूप से अत्यन्त असुविधा का सामना भी कतिपय परिस्थितियों में करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके माध्यम से इसकी प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ निदेश इस प्रकार से सदन के अन्दर हो जाय और विस्तृत रूप से इसे नियम संदर्भ समिति को प्रेषित करने का विधिवत् प्रस्ताव हम लेकर के आयेंगे, लेकिन इसकी प्रक्रिया सम्बन्धी, इसमें प्रक्रिया क्या होगी और किस समय सूचना ली जा सकती है, उसको लेने के लिए क्या–क्या होमवर्क होगा ? क्योंकि नियमावली में विस्तृत रूप से इसका प्राविधान नहीं है। इसके सम्बन्ध में अगर आपकी पीठ से निदेश जारी हो जायं तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक राज बेहड़ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं समझता हूँ कि यह उचित होगा कि जो प्रातः 9:30 बजे तक सूचना ली जाती हैं उसमें अब नियम–310 की सूचना नहीं ली जायेगी, उसमें नियम–58, नियम–53 (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह तो हमारे अधिकारों का हनन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरी पूरी बात तो आ जाय। माननीय गुनसोला जी, अभी पूरी बात नहीं आयी है। नियम–310 की जो सूचना प्रातः 9:30 बजे से पहले दी जाती थी, उसमें नहीं आयेगी, उसके अतिरिक्त किसी भी समय सूचना दी जा सकती है, अगर वह नियम–310 के परिधि में आयेगी। जैसे कल माननीय शहजाद जी ने 11:50 पर सूचना दी थी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कल माननीय शहजाद जी ने लगभग 11:30 बजे के बाद सूचना दी, उसका उत्तर आया और सूचना ली गई। आप किसी भी समय उसे दे सकते हैं और माननीय अध्यक्ष जी के पीठ से निर्देश होगा कि हम सूचना ले रहे हैं, ताकि सदन को व्यवस्थित चलाने में सुविधा हो।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है, जो लोग उत्तर प्रदेश से देहरादून में प्रवेश करते हैं, उनके सिर्फ दो ही रास्ते हैं या तो हरिद्वार से आते हैं या जो सुरंग है भगवानपुर, छुटमलपुर मार्ग से आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रोजाना का यह कार्य हो गया कि जो यह सुरंग है उसमें भारी जाम लगा रहता है। कोई भी भारी वाहन जब इसके अन्दर प्रवेश करता है, वह उसी में फंस जाता है और वहाँ पर जाम लग जाता है और यहाँ से देहरादून आने के लिये 8–8 घंटे लग जाते हैं। दूसरा कोई विकल्प मार्ग देहरादून आने के लिए है ही नहीं। हरिद्वार में इस टाइम काँवड़ियों का मेला लगा हुआ है, वहाँ से आदमी देहरादून नहीं आ सकता। इस रोड से भी आदमी देहरादून नहीं आ सकता, यह जो सुरंग है मैं समझता हूँ कि इसका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसकी अवधि समाप्त हो गयी है। अगर किसी दिन इसमें अन्दर जाम लग गया और सुरंग नीचे बैठ गयी तो अपार जनहानि होगी। इतनी जनहानि होगी कि सदन भी उसका उत्तर नहीं दे पायेगा। इसको दूर करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, या कोई वैकल्पिक मार्ग हो या इस सुरंग को हटाया जाय या तो दूसरा रास्ता वहीं बनाया जाय, इससे आने–जाने वाला व्यक्ति जो देहरादून में आता है उसको आने में दिक्कत न हो। यह जो प्रश्न है अविलम्बनीय है, महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसमें कोई आदेश देने का कष्ट करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय सदस्य बसपा चौधरी यशवीर सिंह जी द्वारा छुटमलपुर–देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 'अ' के कि0मी0 33.00 में डाटकाली मन्दिर के निकट 88.00 मीटर लम्बी सुरंग के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि डाट काली मन्दिर के निकट 880.00 मीटर लम्बीसुरंग बनी हुई है, वह भारी वाहनों के एक मार्गीय यातायत हेतु ही पर्याप्त है तथा दोनों ओर से भारी वाहनों के सुरंग में प्रवेश कर जाने की स्थिति में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जाम लग जाने के कारण यात्रियों को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा सुरंग का स्थलीय निरीक्षण किया गया और स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् यह संज्ञान में आया कि सुरंग के ऊपर 2–3 मीटर की ऊंचाई में मिट्टी का भरान किया गया है। यातायात के जाम लगने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के रूप में उस समस्या का निस्तारण करने के लिए

एक अतिरिक्त सुरंग अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई की सुरंग बनाये जाने की बात भी सामने आई है। इसके निकट ही एक अन्यत्र संरेखण करके एक और टनल निर्माण हेतु भी विचार किया जा सकता हैं चूँकि प्रश्नगत स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अतः उक्त संदर्भित कार्यों के सम्पादन हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति आवश्यक है। उक्त संदर्भित कार्यों के सम्बन्ध में संभाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधान हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी वार्षिक योजना वर्ष, 2009–10 में संशोधन करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा और संशोधित वार्षिक योजना भारत सरकार से अनुमोदित होने के पश्चात् ही संभाव्यता अध्ययन हेतु निविदायें आमंत्रित कर कन्सलटैन्ट का चयन किया जा सकेगा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है तथा स्थल के समीप ही राजाजी नेशनल पार्क की सीमा भी प्रारम्भ होती है। ऐसी स्थिति में किसी भावी संरेखन के सम्बन्ध में विचार करते समय राजाजी नेशनल पार्क की सीमा को ध्यान में रखने के साथ–साथ उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भी समन्वय करना आवश्यक होगा। तद्नुसार संभाव्यता अध्ययन के परिणाम के आलोक में कार्य के विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी यशवीर सिंह जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत अपनी बात को कहने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, हरिद्वार जनपद, ब्लॉक भगवानपुर में एक वन विभाग की रेंज है खानपुर रेंज, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़ा घोटाला करते हुए उत्तर प्रदेश के भू–माफिया को लगभग 300 बीघा जमीन, जो वन विभाग की थी, जिसमें आज से 15 साल पहले वन विभाग द्वारा वृक्ष लगाये गये थे, उसकी पैमाइश की गई थी। उस व्यक्ति ने वन विभाग से मिलती हुई जमीन उत्तराखण्ड में खरीदी और वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर, वहाँ के जिलाधिकारी और डी0एफ0ओ0 से मिलकर एक आदेश कराया पुनः सर्वे का और डी0एफ0ओ0 ने आदेश दिया रेंजर को, कि दिनाँक 29.01.2009 को एस0डी0एम0 को साथ लेकर इसका पुनः सर्वे
किया जाए। लेकिन खेद का विषय है, माननीय अध्यक्ष जी, कि वहाँ के रेंजर ने एस0डी0एम0 साहब को साथ न लेकर स्वयं ही एक पटवारी को साथ लेकर वहाँ पर सर्वे किया और उस सर्वे में मान्यवर, वन विभाग की लगभग तीन सौ बीघा जमीन वहाँ के भू–माफिया को सौंप दी और वहाँ से वृक्ष हटा दिये गये और वृक्ष हटाने के बाद वह सूचना डी0एफ0ओ0, हरिद्वार को दी गयी। डी0एफ0ओ0,

हरिद्वार ने उनकी कार्यवाही पर दिनाँक 05.02.09 को निरीक्षण किया और निरीक्षण में डी०एफ०ओ०, हरिद्वार ने जो कृत रेंजर ने किया था ऐसा कृत जो वन विभाग की करोड़ की जमीन को, सरकार की जमीन को, उसने भू–माफिया को देने का काम किया था, उसने उसे ओ०के० कर दिया और उसे सही मान लिया। इस बारे में जब क्षेत्र के लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पर सागौन के पेड़ खड़े और वन विभाग के पेड़ खड़े हैं। वहाँ पर हजारों पेड़ उस भू–माफिया द्वारा काट दिये गये, जो लगभग 60–70 लाख के थे।

जब यह मामला वहाँ के क्षेत्रीय जनता के सामने आता है तो क्षेत्रीय जनता देहरादून में आकर पी०सी०सी०एफ० से मिलकर और उनसे यह शिकायत करती है। उनकी शिकायत पर वह एक ए०सी०एफ०, रुड़की को जाँच अधिकारी नियुक्त करते हैं। मान्यवर, ए०सी०एफ०, रुड़की अपनी रिपोर्ट देते हैं, उस जाँच रिपोर्ट को डी०एफ०ओ० द्वारा दबा दिया जाता हैं इसलिए दबा दिया जाता हे कि इस मामले में वहाँ जिला वन प्रभाग अधिकारी और रेंजर उस भू–माफिया से मिला हुआ है। क्योंकि करोड़ों का लेन–देन इस मामले में उन अधिकारियों द्वारा हुआ है। मान्यवर, इसमें लाखों के पेड़ काटे गये हैं, जिसमें अधिकारियों द्वारा उस भू–माफिया को लाभ पहुँचाने का काम किया है। सरकार को नुकसान देने के लिए यह कृत किया है। यह वह कृत है जिसमें वन विभाग के उच्च अधिकारी भी लिप्त हैं। जब उनके संज्ञान में आ गया तो इस पर क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? जब अखबारों के माध्यम से पूरे उत्तराखण्ड में यह मामला उछाला गया तब जाकर उन्होंने एक छोटी से कार्यवाही की। माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वहाँ के जो डिप्टी रेंजर थे, फोरेस्टर थे और जो सिपाही थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया जिनका कुछ दोष भी नहीं था। दोष तो वहाँ उस रेंजर का है जिसने सर्वे किया है, दोष तो उस डी०एफ०ओ० का है, जिसने उस सर्वे को ओके किया है, उन पर विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तराखण्ड में बहुत बड़ा घोटाला है और करोड़ों का घोटाला है। इस घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। उस डी०एफ०ओ० और रेंजर को जिसने भू–माफिया से मिलकर सरकार की जमीन को हड़पने का काम किया है। मान्यवर, हो सकता है वह सच हो, इसलिए उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाय, उसे तत्काल निलम्बित किया जाय, इसमें उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय। मान्यवर, यही निवेदन करूँगा कि यह अति लोक महत्व का विषय है, इस सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ। धन्यवाद

*हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है कि जो वन विभाग से मिली हुई जमीन है और किसानों के जो पट्टे हैं, उनसे कुछ बैनामा लेकर ये भू–माफिया और सरकार की जमीन पर कुछ अधिकारियों से मिलकर कब्जा करते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। ऐसा लगता है कि ये भू–माफिया मात्र 100 बीघा रकवा जमीन खरीदते हैं और कई सौ बीघा जमीन पर कब्जा करते हैं। मान्यवर, वन विभाग के जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं और इस घटना में साजिश है, इसकी जाँच कराकर उनको निलम्बित किया जाय। मैं यही माँग करता हूँ।

वन मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत जो सूचना, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी और हाजी तस्लीम अहमद जी ने जो विषय इस सदन के सामने अपने रखे। जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर के खानपुर रेंज के सिकरोड़ा के खानपुर पूर्वी में जो जमीन है, वह श्री कमरूज्जुमा की निजी जमीन है। सम्बन्धित पटवारी के समक्ष सीमांकन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं मौके पर कुछ सीमा स्तम्भ वन विभाग द्वारा निर्मित किये गये। इस बीच इस सम्बन्ध में श्री कमरूजमा द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कटान की शिकायत प्राप्त होने पर वन विभाग द्वारा मामले की जाँच ए0सी0एफ0 से करायी गयी और उप प्रभागीय वनाधिकारी की जाँच रिपोर्ट दिनाँक 26.06.2009 के अनुसार मौके पर श्री कमरूजमा द्वारा कुल काटे गये वृक्षों एवं झाड़ियों की संख्या लगभग 1883 है। जिसमें 83 विभिन्न व्यास के वृक्ष हैं, जिसमें 0–20 सेमी0 व्यास वर्ग के वृक्षों की संख्या–57 है। 20–30 सेमी0 व्यास वर्ग के 16, 30–40 के 05, 40–50 के 04 तथा 50–60 सेमी0 व्यास वर्ग का 01 वृक्ष है। इसके अलावा लगभग 300 विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ व अन्य प्रकार के प्राकृतिक पौधे हैं। वन विभाग के द्वारा 2004–05 में रोपित लगभग 1500 पौधों को नष्ट किया गया है। वन भूमि से लगे हुए बाग के स्वामी श्री कमरूजमा की भूमि के वास्तविक सीमांकन को मौके पर निर्धारित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा जिलाधिकारी, हरिद्वार से अनुरोध किया जा चुका है। ए0सी0एफ0 की रिपोर्ट दिनाँक 20.06. 2009 के आधार पर विवादित भूमि पर काटे गये पेड़ों का संज्ञान लेते हुए वन अपराध केस जारी किये गये हैं तथा इन पेड़ों के काटे जाने की सूचना तत्काल न दिये जाने की लापरवाही को देखते हुए उक्त क्षेत्र के 02 वन आरक्षी, 01 वन दरोगा को प्रथम दृष्टया मानते हुए निलम्बित करके उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

मान्यवर, प्रश्नगत भूमि को वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है तथा वन विभाग द्वारा 3.0125 घ0मी0 प्रकाष्ठ जुर्म केसों में जब्त किया गया, इसके अलावा वन क्षेत्राधिकारी, खानपुर का स्पष्टीकरण भी माँगा गया है, इसी के साथ ही साथ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उक्त क्षेत्र में कैम्प करना तथा खानपुर रेंज में रात्रि गश्त व औचक निरीक्षण करने व अवैध पातन व वन भूमि पर अतिक्रमण में प्रभावी रोक लगाने हेतु सभी सम्भव कार्यवाही भी प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मामले में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की स्वतंत्र जाँच हेतु मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल द्वारा वन संरक्षक गढ़वाल, पौड़ी की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी

गयी हैं इस समिति में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून एवं प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी इसके अन्य सदस्य हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस जमीन पर पेड़ लगे हैं, वह किसके आदेश से काटे गये। उसको निलम्बित किया जाना चाहिए। जबकि निलम्बित किया गया छोटे अधिकारियों को, जिनका उसमें कोई दोष नहीं है। मान्यवर, यह करोड़ों का मामला है और अधिकारियों की मिलीभगत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से बोलने लगे।)

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जाँच के आदेश जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दे दिए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुख्य वन संरक्षक बड़ा अधिकारी है और जाँच के आदेश दे दिये गये हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, डी0एफ0ओ0 ने पेड़ों के काटने की अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल द्वारा वन संरक्षक, पौड़ी की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी हैं। जो विभाग का शीर्षस्थ अधिकारी है, उनसे जाँच कराई जा रही है। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य पूर्ववत् एक साथ बोलते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति अपना पेड़ काट लेता है तो उसे जेल में ठूँस दिया जाता है, उसे जेल में ढकेल दिया जाता है और वहाँ पर इतने पेड़ काटे गये तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, 1800 पेड़ कटवाये हैं और कोई व्यक्ति एक पेड़ काट लेता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, यह कैसी विडम्बना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दो आरक्षी और एक वन दरोगा निलम्बित किया जा चुका है, उनको सस्पेंड किया गया है, कार्यवाही हुई है उसमें, इससे ज्यादा क्या कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जाँच का विषय है और यह जाँच में आयेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पहले उनको हटाया जाना चाहिए, वहाँ के रेंजर को हटाया जाए वरना जाँच प्रभावित करेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाए। अग्राह्य कर चुके हैं, विनिश्चय आ चुका है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, 3 कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये निलम्बित कर दिया गया है, केस दर्ज कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसमें वृक्षारोपण किया गया था।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इनके कहने से कोई दोष प्रमाणित नहीं होगा, दोषी तो जाँच के बाद प्रमाणित होगा और बड़े से बड़ा अधिकारी भी दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, विभाग के द्वारा लीपापोती की जा रही है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, यह जाँच में आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरिदास–

मान्यवर, एक भू–माफिया ने 1800 पेड़ काट दिया है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसकी जाँच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, हल्द्वानी में श्रीमती नौसीन को दिनाँक 27.05.2009 को उसके ससुराल वालों के द्वारा जला दिया गया और जिस वजह से इलाज के दौरान दिनांक 30.05.2009 को उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद मृतक के पिता ने मृतक के पति, उसकी ननद, ननद के पति और अन्य के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद अल्मोड़ा में आंदोलन हुआ, धरना–प्रदर्शन हुआ, उनके बाद नैनीताल के उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद, दबाव देने के बाद मात्र उसके पति की गिरफ्तारी हुई। अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके बाद फिर अल्मोड़ा के लोगों ने अल्मोड़ा की जनता ने। मान्यवर, पुलिस द्वारा उस जनता के खिलाफ पुनः वहाँ पर मुकदमें दर्ज कर दिये गये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बात आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि एक ओर तो यह सरकार कहती है कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहे हैं और दूसरी बात यह कही जाती है कि हम इस प्रदेश को भयमुक्त समाज दे रहे हैं। दूसरी तरफ जिस महिला को जला दिया गया है, जिन पर मुकदमें दर्ज किये गये, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गयी, बल्कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिये गये। यह बहुत ही संवदेनशील और महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी द्वारा हल्द्वानी में श्रीमती नौशीन को जलाकर मार दिये जाने व आन्दोलन कर रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सम्मानित सदन में यह बात रखी है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि श्री शदाब पुत्र श्री गुलजार अंसारी, निवासी राजपुरा, थाना कोतवाली, अल्मोड़ा द्वारा दिनाँक 31–05–2009 को थाना हल्द्वानी, जनपद नैनीताल पर तहरीर सूचना अंकित कराई कि उसकी बहिन नौशीन की शादी मार्च, 2008 में शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र संजू, निवासी बरेली रोड, हल्द्वानी के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के साथ हुई। मान्यवर, शादी के बाद नौशीन के पति शहनवाज, ननद आरजी, नन्दोई बबलू व देवर सन्नी द्वारा दहेज के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। दहेज की माँग पूरी न होने पर उसे दिनाँक 27 मई, 2009 को एक कमरे में बन्द कर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगायी गयी, जिससे नौशीन की मृत्यु सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में दिनाँक 30–05–2009 को उपचार के दौरान हो गई।

मान्यवर, सूचना के आधार पर थाना हल्द्वानी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–249/09, धारा ए–498/304बी/342, भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम शहनवाज उर्फ शानू आदि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। अभियोग के मुख्य अभियुक्त शहनवाज उर्फ शानू को दिनाँक 05–06–2009 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष तीन अभियुक्तों के विरुद्ध नॉन बेलेबल वारण्ट एवं धारा–82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु विवेचक द्वारा आख्या प्रेषित कर दी गई है। मान्यवर, चूँकि श्रीमती नौशीन का मायका अल्मोड़ा में था। अतः दिनाँक 08–06–2009 को अल्मोड़ा में चौघानपाटा स्थान पर थाना हल्द्वानी में पंजीकृत उक्त अभियोग में शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफतारी को लेकर मुख्य मार्ग को अवरूद्ध करने के फलस्वरूप थाना कोतवाली अल्मोड़ा पर मु0अ0सं0 914/09, धारा 147/341, भा0दं0वि0 एवं धारा–07 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेंट एक्ट के अन्तर्गत उमर हुसैन आदि 16 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। इस अभियोग में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनाँक 25–06–2009 को आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। सम्प्रति प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इस सदन के अन्तर्गत इस मामले पर चर्चा नहीं हो सकती है। अतः माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना को निरस्त माना जाय।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मेरा यह निवेदन है कि लगभग डेढ़ माह हो चुका है और उसके पति के अलावा और किसी की गिरफतारी नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। दूसरी ओर जो मुकदमें दर्ज किये गये हैं, उनके द्वारा सिर्फ पुतला जलाया गया था और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चक्का जाम हो गया था। कम से कम सरकार चाहे तो उनके मुकदमें वापस ले सकती है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, जिनके परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, उनके समर्थन में लोग ऐसा करते ही हैं। यदि उनके परिवार के लोगों या शुभचिन्तकों ने जाम लगाया या धरना प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट चली गयी हे, तो सरकार चाहे तो उनके मुकदमें को वापस ले सकती है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। विवेचना की रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। अब न्यायालय जो निर्णय देगा उसी के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, एक ओर तो अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। डेढ़ माह हो गये हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और दूसरी ओर जो अपनी न्यायोचित माँगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ी देर का चक्का जाम निश्चित हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार अगर चाहे इनको वापस ले सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य मनोज तिवारी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। माननीय मंत्री जी............

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) पूरी बात आने दें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करेंगे तभी तो बात आएगी।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी तुरन्त गिरफ्तारी के बारे में देखिये कि मामला क्या है ? (व्यवधान)

*श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मुकदमें भी वापस हों। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, दो फॉल्ट हैं, एक तो मुजरिम गिरफ्तार किये जाएं और दूसरा जिनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है, उनको वापस लिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह मुकदमे न्यायालय में किस स्तर पर हैं, उसको दिखवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत—

मान्यवर, सरकार इनको वापस ले सकती है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको देख लेंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य मनोज तिवारी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री तिलक राज बेहड़—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के किसानों को पूर्व सरकार द्वारा कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी मुक्त योजना के अन्तर्गत सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गयी थी और उसकी समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2009 तक थी। मान्यवर, उसके पश्चात् आज तक वह समय सीमा नहीं बढ़ाई गयी। किसान जो ऋण लेते हैं, उसमें स्टाम्प ड्यूटी के रूप में उन्हें अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, इससे किसानों का शोषण होता है। मान्यवर, पूर्व सरकार ने भी इसीलिए इस योजना को लागू किया था कि किसानों का कम से कम उत्पीड़न हो, उन्हें कम से कम स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़े। मान्यवर, पिछले 3 महीने से लगातार सरकार कह रही है कि हम इस योजना को बढ़ाएंगे, इसकी समय सीमा बढ़ाई जाएगी किन्तु अभी तक इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई गयी हैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

मान्यवर, यह सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है, जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा 73 हजार करोड़ रुपये की एक ऋण माफी योजना लाई गई। वहीं यह सरकार, जो पूर्व सरकार के द्वारा दी गई सहूलियतें हैं, उनको भी वापस लेकर पता नहीं क्या कहना चाहती है। इसमें 3 लाख की छूट थी, जिसे 1 लाख कर दिया गया है, जब कि किसानों की माँग है कि इसे 5 लाख किया जाय। किसानों की जितनी भी योजनायें हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के लिये इस सरकार के समय 2007–08 में केन्द्र सरकार से लगभग 50 करोड़ रुपये मिले। उसका भी यूटिलाईजेशन इस सरकार ने नहीं किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप विद्वान सदस्य हैं, क्या यह विषय इसकी परिधि में आता है ?

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, अभी इसकी अवधि समाप्त होने वाली है और इस पर सरकार द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ जी और डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षित किया है मैं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 31 मार्च, 2008 के आदेश पर आँशिक संशोधन करते हुये कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी मुक्त योजना के अन्तर्गत जो छूट दी जा रही थी। चूँकि वर्तमान में किसानों को सूखे की वजह से अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुये 3 लाख रुपये तक ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार न किये जाने की स्वीकृति कर दी गई है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह तीन लाख रुपये तो पहले ही था, सूखा पड़ा है, किसान धान नहीं लगा पा रहा है, इसलिये इसे पाँच लाख रुपये कर दिया जाय।

(माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री प्रेमानन्द महाजन 'वेल' के समीप आ गये तथा कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

कृपया, स्थान ग्रहण करें, इस पर विनिश्चय आ गया है।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

माननीय तिलक राज बेहड़ जी तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, आप अपनी सूचना को एक बार पढ़ लीजिये, आपने सूचना में इसका जिक्र ही नहीं किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नोटिस में इस बात का उल्लेख नहीं है।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसा न करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री प्रकाश पन्त–

आपने जो अपनी नोटिस में कहा है कि 3 लाख के कर पर स्टाम्प ड्यूटी मुक्त करने की योजना ....।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप एक बार अपनी सूचना पढ़ तो लीजियें।

(माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये और अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान)

अगर आपका मकसद अव्यवस्था फैलाना, शोर–शराबा करना है तो अलग बात है। आप सूचना पढ़ लीजिए, सूचना में क्या लिखा है आपने। माननीय पूर्व मंत्री जी और कई बार पुराने विधायक माननीय तिलक राज बेहड़ जी, डा0 शैलेन्द्र मोहन जी, आप भी राज्य मंत्री का दर्जाधारी रह चुके हैं और वर्तमान में भी आप वरिष्ठ विधायक हैं। जो आपने सूचना दी है, उसे पढ़ लीजिए, क्या लिखा है आपने ? सिर्फ हल्ला–गुल्ला करना ही आपका मकसद है तो अलग बात है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) (माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" द्वारा कुछ कहे जाने पर) यह आपका विषय नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहे जाने पर।) सभी किसान हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, 80 प्रतिशत किसान हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मेरी सूचना नियम–58 के अन्तर्गत स्वीकृत की और उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि वर्तमान समय में शिक्षा का जो सत्र है, नया सत्र प्रारम्भ हो चुका है और जनपद देहरादून के जनजाति क्षेत्र त्यूनी में जो राजकीय महाविद्यालय है, उस राजकीय महाविद्यालय में न तो अध्यापक हैं और न ही वहाँ पर प्राचार्य की नियुक्ति हुई है। जिस कारण राजकीय महाविद्यालय त्यूनी के छात्र और उनके अभिभावक आन्दोलनरत हैं। महाविद्यालय में तालाबन्दी छात्रों ने की है। बहुत ही गम्भीर विषय है, शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, छात्रों के भविष्य का प्रश्न है और जनजाति क्षेत्र में शिक्षा को दूसरा कोई विकल्प न होने की वजह से मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की आपसे अपेक्षा करता हूँ।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। यह उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी द्वारा राजकीय महाविद्यालय त्यूनी, जनपद देहरादून में शिक्षकों की और प्राचार्य की कमी का उल्लेख करते हुए आज यह ध्यानाकर्षित किया गया। श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में मैं अवगत कराऊँगा कि लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से नियमित नियुक्ति न होने के कारण, क्योंकि अत्यन्त कठिनाई का सामना हमको करना पड़ रहा था और लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति से नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और इसके फलस्वरूप राजकीय महाविद्यालय त्यूनी में 4 संविदा शिक्षकों के माध्यम से अस्थाई व्यवस्था के तहत वहाँ के पठन–पाठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी और उसका प्रभार राजकीय महाविद्यालय चकराता के जो प्रभारी प्राचार्य है, उनको सौंपा गया था और वर्तमान में हमें 43 नियमित प्रवक्ताओं का चयन लोक
सेवा आयोग के माध्यम से प्राप्त हो चुका है और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। मैं माननीय सदस्य को तथा इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में ही शीघ्र ही राजकीय महाविद्यालय त्यूनी में नियमित प्राचार्य और शिक्षक नियुक्त कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियमित प्रवक्ताओं का चयन लोक सेवा आयोग ने कर लिया है, वो सूची हमको प्राप्त हुई है, अब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, चकराता से त्यूनी लगभग 80 किलोमीटर है। चकराता महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनको ही त्यूनी महाविद्यालय का कार्यभार सौंपा गया है। मान्यवर, पवर्तीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियाँ होती हैं, आप भी इससे भलीभाँति परिचित हैं। वहाँ पर शिक्षा की दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वहाँ पर अलग से प्राचार्य की नियुक्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष–

वहाँ पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 43 शिक्षक आ रहे हैं उसमें से हम वहाँ पर तत्काल भेज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कल दिनाँक 15 जुलाई, 2009 के उपवेशन में जाति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने में आ रही कठिनाईयों के विषय पर मैंने आज चर्चा कराने को कहा था। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यगणों, श्री तिलक राज बेहड़ तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल से नियम–54 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, जिसको स्वीकार करके कार्य–मंत्रणा समिति के समक्ष समय निर्धारण के लिए रखा जायेगा।

(अब हम अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए उठते हैं।)

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष, 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट की सामान्य चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके परिपेक्ष्य में मुझे यह कहना है कि सरकार ने पिछले वर्ष भी बजट इस सदन के सम्मुख और प्रदेश के

सम्मुख रखा था, उसमें दो बातों का विशेषकर उल्लेख किया गया था, पहली बात यह कि लाभ का बजट है, और दूसरी बात यह कि जैण्डर बजट है। इन दो मुख्य बातों का उल्लेख पिछले बजट में किया गया था। पिछले बजट में इस सरकार ने सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए सरप्लस बजट दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह रु0 828.22 करोड़ घाटे का बजट है। यह जो विरोधाभास है, एक वर्ष पहले सरकार सरप्लस बजट प्रस्तुत करती है। इस वर्ष घाटे का बजट प्रस्तुत करती है पर इस रु0 800 करोड़ के बारे में सरकार ने कहा कि इस घाटे को लोक–लेखा से समायोजित करने की बात कही है। सार्वजनिक क्षेत्र से ऋण लेकर, बाजार से ऋण लेकर सरकार ने जो घाटा दिखाया है उसको समायोजित करने की बात की है। सरकार की इस नियत में भी संदेह बनता है। सरकार की मंशा इस मामले में सही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार सदन के अन्दर और सदन के बाहर एक अलाप हमेशा अलापती रही है कि केन्द्र सरकार प्रदेश को विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त धनराशि स्वीकृत नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं इरीगेशन में ए0आई0बी0पी0 आऊट ले सरकार का 33 लाख रुपये था, मान्यवर, एक्सपेंडेचर 24354.29 रुपये यह वर्ष, 2007–08 का था, माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष, 2008–09 में सिंचाई विभाग में आउट ले रुपये 51 हजार लाख था और रुपये 35368 लाख सरकार ने खर्च किया।

वर्ष, 2009–10 में आउट ले रुपये 2602 सौ लाख है, अरबन डेवलपमैंट में सरकार को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत भारत सरकार से वर्ष, 2007–08 में 14958 लाख रुपये मिला, खर्च रुपये 21498 सरकार ने किया, जो शून्य एक्सपेंडिचर हुआ है। मान्यवर, वर्ष, 2008–09 में सरकार ने आउट ले 21498 लाख रुपये था, उसके विरुद्ध सरकार ने रुपये 1793 लाख खच्र किया है, जो केवल 8 प्रतिशत है। जो भारत सरकार से आउट ले था, उसके केवल आठ प्रतिशत हुआ। इसी तरह ऊर्जा में ए0डी0बी0आर0पी0 में रुपये 03 हजार लाख भारत सरकार से आउट ले स्वीकृत हुआ है, उसके विरुद्ध शून्य प्रतिशत एक्सपेंडिचर हुआ है। वर्ष, 2008–09 में रुपये 2339 लाख आउट ले था, उसके विरुद्ध में भी खर्च बहुत कम हुआ है। मान्यवर, सोशियल वैलफियर में भी एन0एस0ए0पी0 में रुपये 3217 लाख वर्ष, 2007–08 में एक्सपेंडिचर हुआ है, वह रुपये 1617 लाख, जो कि 52 प्रतिशत था। वर्ष, 2008–09 में रुपये 3539 लाख एक्सपेंडिचर था, रुपये 3342 लाख जो कि 94 प्रतिशत था। इसी तरह से आई0सी0डी0एस0 में एन0पी0ए0जी0 के तहत 110 लाख रुपये वर्ष, 07–08 में मिला प्रदेश सरकार को, वर्ष, 08–09 में रुपये 121 लाख मिला। इसी प्रकार पी0डब्ल्यू0डी0 के सी0आर0एफ0 में रुपये 1907 लाख था, वर्ष, 2007–08 में, आउट ले था। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, इन्फोरमेंशन टैक्नोलॉजी में भी, पंचायती राज में भी, वैलफेयर ऑफ ट्रबिलस में भी एस0सी0टी0 के तहत और वैलफियर ऑफ ट्रायल में भी एस0सी0 वर्ष, 2007–2008 के तहत प्रदेश में जो आउट ले था, वह 63496 लाख रुपये था,

जिसके विरुद्ध प्रदेश सरकार वर्ष, 2007–08 में केवल 27615.16 लाख रुपये खर्च कर पायी। भारत सरकार से जो प्रदेश सरकार का कुल रुपया मिला उसके विरुद्ध 43.49 प्रतिशत ही भारत सरकार से मिले पैसा का सदुप्रयोग प्रदेश सरकार जनता के हित में कर पायी। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष, 2008–09 में जो केन्द्र सरकार से पैसा मिला प्रदेश सरकार को इन तमाम योजनाओं में वह 87757 लाख रुपये मिला, उसके विरुद्ध सरकार केवल खर्च पायी 42526 लाख रुपये। जो कि कुल मिले रुपये का केवल 48.45 प्रतिशत है। मान्यवर, यह आँकड़ा इस बात को साबित करती है कि जो प्रदेश सरकार चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो इस सरकार के या चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो इस सरकार के। इस सरकार के मंत्रीगण व विधायकगण प्रदेश की जनता में घूम–घूमकर इस बात को कहते रहे कि प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा पैसा नहीं मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार ने बिना राजनैतिक भेदभाव किये हुए या बिना सौतेला व्यवहार किए हुए इस सरकार को, प्रदेश के विकास के लिए चाहे वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के लिए हो या चाहें गाँवों के विकास के लिए हो, चाहे शहरों के विकास के लिए हो, नालियाँ बननी हो, सीवर लाईन लगनी हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था होनी हो, उसके लिए प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार ने, डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने, माननीय सोनिया गाँधी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के द्वारा पर्याप्त धन उत्तराखण्ड सरकार को दिया गया लेकिन यह दुर्भाग्य है मान्यवर, कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के दिए हुए धन का, जो गरीबों के हित के लिए था, गरीबों के पीने के पानी के लिए था, गरीबों के पेट की भूख को मिटाने के लिए, जो धनराशि रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत और तमाम योजनाओं में दी गयी थी, उसका सदुपयोग नहीं कर पायी। आज हमें दुःख है, इस बात का कि अगर समय से सरकार ने प्रोजेक्ट बनाए होते जो आउट ले था, प्रदेश सरकार का, केन्द्र सरकार के द्वारा जो आउट ले तैयार किया गया था, अगर सरकार ने समय से प्रोजेक्ट बनाए होते, योजनाएँ बनाई होती, समय से केन्द्र सरकार के पास योजनाएँ गयी होती, अपने रिसोर्सेज, क्योंकि जब प्रदेश सरकार की केन्द्र सरकार से बचनबद्धता होती है कि जो हमारा आउट ले स्वीकृत हो रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज भी बढ़ायेंगे, प्रदेश की आमदनी बढ़ायेंगे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश सरकार से दो गलतियाँ हुई, कि समय से प्रोजेक्ट नहीं भेज पाई सरकार और जब समय से योजना केन्द्र सरकार को नहीं गयी तो उसका नतीजा यह हुआ कि समय से धनराशि नहीं आ पाई, और समय से प्रदेश में योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, प्रदेश सरकार अपने संसाधन नहीं जुटा पाई और उसी का नतीजा है, आज की तस्वीर, धन होने के बाद भी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी तमाम केन्द्रीय मंत्रियों से बातचीत होती है, तमाम भारत सरकार में ऐसी योजनाएँ है कि भारत सरकार खुले मन से धन देने के लिए तैयार है, केन्द्र सरकार के मंत्री कहते हैं, केन्द्र सरकार कहती है।

मानननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने, मैंने खुले मन से इसी सदन के अंदर कहा था जब पिछला बजट भाषण दिया था, मैंने कहा था कि अगर केन्द्र सरकार से किसी योजना में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा सहयोग लिया जा सकता था। माननीय अध्यक्ष जी, कल प्रीतम सिंह जी ने शाह जी के लिए निवेदन किया था और आज माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौशिक जी को ही दे दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जब से निशंक जी मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे लगता है कि आप में उत्सुकता ज्यादा है। पहले इनकी आवाज में थोड़ा चुप्पी होती थी क्योंकि आबकारी के साथ शिक्षा भी था, जब इनको ज्यादा मजा आ जाता था तो शिक्षा थोड़ा कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब शिक्षा चली गयी और अब तो शहरी विकास आ गया लेकिन एक दुर्भाग्य हो गया, कुम्भ हो गया इनके पास। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुम्भ को बाद में लेना चाहता था लेकिन जब आप कह रहे हैं तो कुम्भ को ही ले रहा हूँ और मंत्री जी की उत्सुकता को देखकर मुझे कुम्भ को पहले लेना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार से कुम्भ मेले के नाम पर सन् 2007–08 में 300 करोड़ रु0 भारत सरकार से स्वीकृत हुआ, पिछला खण्डूड़ी जी का बजट भी मेरे पास है, प्राविधान इन्होंने किया 58 करोड़ रु0 का। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ आज सरकार 500 करोड़ रु0 की माँग कर रही है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009–10 में। जब भारत सरकार ने आपको 300 करोड़ रुपये 2007–08 में कुम्भ मेले के लिए दिया था, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को जब कुम्भ मेले के लिए 300 करोड़ रुपये मिला था।

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, मैं क्षमा चाहता हूँ, सच तो यह है कि भारत सरकार से कुम्भ में अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला और जो 300 करोड़ रुपये की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, हमारे परिव्यय में सम्मिलित करने की कोशिश, उसको भारत सरकार ने अनुमति दी कि उसको अपने परिव्यय में सम्मिलित करें। मैं यह थोड़ी से आपकी जानकारी में बता रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को कुम्भ मेले की व्यवस्था के लिए 300 करोड़ रुपये 2007–08 में स्वीकृत किया, प्रदेश सरकार ने उस 300 करोड़ रुपये को विभाजित कर दिया अलग–अलग मदों में, सैफ गेम के लिए कर दिया, दूसरे मदों में कर दिया और जो खर्च किया केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार से यह जानकारी माँगी कि जो पैसा आपने व्यय किया है वर्ष, 2007–08 में, वह किस मद में किया है, जो एक्सपेंडिचर आपने किया है, वह किस मद में किया है, आप और

पैसा कुम्भ के लिए माँग रहे हैं और धन की माँग कर रहे हैं, लेकिन जो धन आपने खर्च किया है, आपने लगभग 40–50 करोड़ रुपये है, वह धन आपने किस–किस योजना पर खर्च किया है। जब प्रदेश सरकार यह जवाब भारत सरकार को नहीं दे पायी, एक तरफ माँग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्व में जो पैसा स्वीकृत हुआ है वह किस मद में खर्च कर रहे हैं, जो आउट ले आपको 300 करोड़ रु0 कुम्भ मेले के नाम पर स्वीकृत किया गया था, उसकी मदें आपने बदल दीं कुछ सैफ गेम में विभाजित कर दिया, कुछ दूसरे मदों में डाल दिया, पी0डब्ल्यू0डी0 के मदों में डाल दिया। तो माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि कुम्भ मेला केवल इस प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कुम्भ मेला सिर्फ इस देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कल माननीय निशंक जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि 12 साल बाद कुम्भ आता है। अगर प्रदेश सरकार की मंशा यह है कि वर्ष, 2009–10 में 500 करोड़ रुपये माँग कर हम केवल टेम्परली वर्क करना चाहें कि टैम्परेरी पुल लगेंगे, टैम्परेरी टैन्ट लगेंगे और कुम्भ निपटे तो यह जाँच करने वाला कोई नहीं कि यह जो 500–1000 करोड़ रुपये कुम्भ मेले के नाम पर खर्चा हुआ है, वह सही है या नहीं। भारत सरकार की मंशा थी कि आप कुम्भ मेले के नाम पर जो भी खर्च करें, जो भी तैयारी करें, वह परमानेण्ट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, खर्च परमानेण्ट निर्माण पर होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार की शुरू से नीयत रही है, इससे मंशा लगती है कि जो 500 करोड़ रुपये आज प्रदेश सरकार भारत सरकार से माँग रही है, आपने वर्ष, 2007–08 में क्यों नहीं माँगा, वित्तीय वर्ष, 2008–09 में क्यों नहीं माँगा, क्यों आपने 58 करोड़ रु0 की अपने बजट में वित्तीय वर्ष में प्राविधान किया, अगर आपकी मंशा साफ होती कि हरिद्वार में स्थाई पुलों का निर्माण करेंगे, स्थाई पार्किंग स्थलों का निर्माण करेंगे, स्थाई धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे, स्थाई टीन शेडों का निर्माण करेंगे। मान्यवर, तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार को धनराशि स्वीकृत करने में पीछे नहीं होती, लेकिन इस सरकार की मंशा साफ नहीं थी, क्योंकि आप सोचते थे, इस कुम्भ मेले में करोड़ों लोगों को आना है। मान्यवर, इसी वर्ष, 2009 में यात्री आने शुरू हो जायेंगे। आखिर क्या तैयारी है कुम्भ मेले के नाम पर ? भारतीय जनता पार्टी अपने को धार्मिक विचारधारा से ओत–प्रोत पार्टी कहती है और कहती है हम धार्मिक मेलों का, धार्मिक स्थलों का विकास और प्रचार–प्रसार करेंगे।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, आपका जन्म भी तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा जन्म भारत में उत्तराखण्ड की धरती पर हुआ है, इसके लिए मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं गणेश जोशी जी को बताना चाहता हूँ कि हरक सिंह रावत न भारतीय जनता पार्टी की गोद में पैदा हुआ है, न भारतीय काँग्रेस पार्टी की गोद में पैदा हुआ है, न उत्तराखण्ड क्रान्ति दल की गोद में पैदा हुआ है और ना ही किसी अन्य

राजनीतिक पार्टी की गोद में पैदा हुआ है, अगर हरक सिंह रावत पैदा हुआ तो भारत के नागरिक और उत्तराखण्ड की धरती पर पैदा हुआ है। मान्यवर, हमारी जिम्मेदारी पहले देश के प्रति है, फिर प्रदेश के प्रति है और उसके बाद राजनीतिक पार्टी के प्रति है। इसलिए माननीय गणेश जोशी जी, हम सब उत्तराखण्ड की गोद में पैदा हुए हैं और इस भारत माता की गोद में पैदा हुए हैं और इसलिए हमारी जिम्मेदारी पार्टी के प्रति बाद में है। (व्यवधान) मान्यवर, किसी अखबार ने लिखा है माननीय निशंक जी को विपक्ष दबाव में नहीं ले पायी। मान्यवर, हमने तो माननीय निशंक जी, इसलिए टीका–टिप्पणी कोई ज्यादा नहीं की, चूँकि ये जल्दी–जल्दी निपट जाय और जल्दी–जल्दी बाहर चले जायं। मान्यवर, जितना समय मुझे भाषण के लिए दिया है, उतने समय तक तो भाषण सुनना पड़ेगा, इसलिए शांति से बैठोगे तो जल्दी–जल्दी कथा समाप्त हो जायेगी। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, सभी जानते हैं कि पैजामे के अंदर नेकर पहनते हैं। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या आप नहीं पहनते हैं। (हँसी) मान्यवर, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ, माननीय कौशिक जी नहीं पहनते हैं चूँकि ये माननीय शूरवीर सिंह सजवाण जी ने मुझसे कहा था। (हँसी)

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, आज आप सुबह बहुत सीरियस थे, अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा आप भी तो कुछ मुस्कराइए। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

कृपया चर्चा जारी रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए मुझे लगा क्योंकि सभी चैनलों और सभी न्यूज पेपरों में भी बड़ी हैड लाईन बनी। मान्यवर, सरकार ने इस प्रदेश की गरीब जनता के लिए सस्ता कर दिया, क्या सस्ता किया, आटा, मैदा, सूजी। मान्यवर, इस सरकार की मंशा सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूँ, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा जब सुबह–सुबह अखबार में पढ़ा, सरकार ने अनाज सस्ता किया, गरीब जनता का ध्यान रखा। (व्यवधान) माननीय शैलेन्द्र जी, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कोटद्वार के लोग बहुत खुश हुए होंगे।

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, हमें तो पेट्रोल का दाम देखकर अच्छा लगा था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वह इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा, तो यहाँ बढ़ाना आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है। यदि पैट्रोल की कीमत प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी तो उसे बढ़ाना सबकी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरक सिंह रावत जी, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, या तो आप सभी माननीय सदस्यों को कहें कि वे टीका–टिप्पणी करना बन्द कर दें। अगर टीका–टिप्पणी होगी तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने, माननीय निशंक जी ने बहुत जोर देकर कहा, मैं देख रहा था कि और बात तो धीरे कहीं लेकिन जब आटे पर ट्रेड टैक्स कम कर दिया, बता रहे थे तो बहुत दबाव डाल रहे थे कि हमने ट्रेड टैक्स आटे पर कम किया। कितना कम किया ? वर्ष, 2007–08 में यह एक प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में आटे पर पहले से ही जीरो प्रतिशत है। माननीय शहजाद जी, आपको तो पता होगा, हमारा पड़ोसी राज्य है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ? उत्तराखण्ड में था वैट, जिसको ट्रेड टैक्स कहते हैं, पहले उसको सेल टैक्स कहते थे। उसको एक प्रतिशत कर दिया। आटे की कीमत कितनी है, 15 रुपया। ट्रेड टैक्स घटने से कितनी कीमत कम हुई ? 15 रुपये का एक प्रतिशत हुआ 15 पैसा। माननीय अध्यक्ष जी, कितना सस्ता किया इन्होंने आटा, जब ट्रेड टैक्स कम होगा तो 14 रुपया 85 पैसा किलो आटा बिकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी बड़े विद्वान व्यक्ति है। मैं सचमुच आपको विद्वान कह रहा हूँ। (व्यवधान) पन्त जी तो कभी–कभी व्यंग्यात्मक भाषा में कह देते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं भी सचमुच कहता हूँ। आप इतने विद्वान हैं कि आपका भाषण तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो प्रस्तावना ही चल रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय निशंक जी, कल आप सदन में नहीं थे, जब पन्त जी मुझे विद्वान कह रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि विद्वान तो आपके बगल में बैठते हैं, माननीय निशंक जी तो इन्होंने कहा, नहीं आप भी हैं तो मैंने कहा एक म्यान में दो तलवारें क्यों रख रहे हो, दो–दो विद्वान क्यों बना रहे हो ? यदि एक म्यान में दो तलवारें रहेंगी तो खटकेंगी तो इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये, तो मैंने कहा कि निशंक जी को ही विद्वान बना कर रखो। माननीय अध्यक्ष जी, 14 रुपये 85 पैसे किलो आटा बिकेगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई दुकानदार 14 रुपया किलो तो आटा बेचेगा नहीं। 15 रुपये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किलो ही बेचेगा, तो सरकार ने क्या सस्ता किया ? माननीय नौटियाल जी, 10 पैसा या 05 पैसा मार्केट में है भी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीधा संवाद मत कीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैदे पर उत्तर प्रदेश में ट्रेड टैक्स है, जीरो प्रतिशत, उत्तराखण्ड में ट्रेड टैक्स था, एक प्रतिशत। मैदे की कीमत है, 16 रुपया, इसमें 16 पैसा कम हो गया। सूजी पर उत्तर प्रदेश में जीरो प्रतिशत ट्रेड टैक्स है और उत्तराखण्ड में सूजी पर ट्रेड टैक्स 1 प्रतिशत था। सूजी की कीमत मार्केट में 16 रुपया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपको सस्ता करना ही था तो देशी घी सस्ता करना चाहिए था, जिसको हम वनस्पति घी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में देशी घी पर एक प्रतिशत ट्रेड टैक्स है और उत्तराखण्ड में कितना है, साढ़े बारह प्रतिशत्। (व्यवधान) माननीय विजया जी, जिसकी कीमत 220 रुपया है, जिसकी कीमत ज्यादा है, जिसका ट्रेड टैक्स कम करने से आम लोगों को फायदा हो सकता था। उस पर आपने ट्रेड टैक्स कम नहीं किया, जो अधिक कीमत की चीज थी, अगर उसमें ट्रेड टैक्स कम होता तो आम जनता को फायदा होता। इसी प्रकार से बेसन, उत्तर प्रदेश में 0 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में भी 0 प्रतिशत। दालें, उत्तर प्रदेश में अरहर पर ट्रेड टैक्स 0 प्रतिशत है और उत्तराखण्ड में इसका दाम 90 रुपये प्रति किलो है, इस पर उत्तराखण्ड में ट्रेड टैक्स है 1 प्रतिशत, अगर इस दाल पर यह ट्रेड टैक्स को कम करते, तो 90 पैसा कम कीमत होती। चूँकि 10 पैसा तो दुकानदार देता नहीं, या तो वह 90 रुपये ही बेचता या फिर 89 रुपये किलो बेचता, तो कम से कम इस प्रदेश के लोगों को, गरीब लोगों को एक रुपये प्रति किलो अरहर की दाल में फायदा होता। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से उत्तराखण्ड में चावल पर 4 प्रतिशत ट्रेड टैक्स है, इन्होंने नहीं घटाया, कोई परिवर्तन नहीं किया, ये बतायें अगर परिवर्तन किया हो तो 25 रुपये किलो चावल बिक रहा है, अगर इसमें भी 0 प्रतिशत किया होता तो जनता को इसमें फायदा हो सकता था।

बासमती चावल 40 रुपये किलो है, इस पर 4 प्रतिशत ट्रेड टैक्स है, कोई परिवर्तन नहीं हैं, इसी प्रकार से सरसों का तेल 70 रुपये किलो मिल रहा है। मान्यवर, हम उत्तराखण्ड के लोग हैं, बिना सरसों के तेल के हमारा चूल्हा नहीं जलता। बहन जी, हरी सब्जी बननी है, दाल बननी है, घर में कोई भी काम होना है, पूजा होनी है, दिया जलना है, माननीय शहजाद जी, तो सरसों का तेल चाहिये। (हँसी) बिना सरसों के तेल के इस प्रदेश की गरीब जनता हो, चाहे अमीर जनता हो, उनका चूल्हा नहीं जल सकता है। लेकिन इस सरकार ने इस प्रदेश की उस गरीब जनता के चूल्हे को जलाने की चिन्ता नहीं की है, इस पर कोई ट्रेड टैक्स समाप्त नहीं किया है।

इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने आरोप लगाया था कि सरकार हर कदम ऐसा उठा रही है जिससे [×××] भले ही असंसदीय हो, मैं वापस ले लेता हूँ। लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि [×××] शब्दजालों में, मोह–माया में इस प्रदेश की जनता को बाँधना चाहती है। लेकिन वर्ष, 2007 के चुनावों में इनकी [×××] और शब्दों के हेर–फेर में उत्तराखण्ड की जनता आ गई थी, लेकिन पूरी जनता भी नहीं आई थी, 36 सीटें इनको नहीं मिली थी, 34 ही सीटें मिली थी और बाद में अरविन्द पाण्डेय जी के आने से एक संख्या बढ़ गई। लेकिन जनता ने इनको विश्वास दे दिया था, लेकिन जनता अब इनके भ्रम को समझ गई है। इनके इस सरप्लस बजट, हेरा–फेरी, बटन खोलना, बटन बंद करना, जी करके बोलना, हम तो आपके कल्याण के लिये कुछ कर रहे हैं, इस सबसे और इनके भ्रम से, मोह से जनता निकल गई, जो इनका जाल था, उससे उत्तराखण्ड की जनता आज मुक्त हो गई है। इसलिये उत्तराखण्ड की जनता ने वर्ष, 2009 के लोक सभा चुनाव में काँग्रेस को जनादेश दिया।

इन्होंने काँग्रेस के शासनकाल के भष्ट्राचार की बातें की, वर्ष, 2007 में जब विधान सभा का चुनाव था, इन्होंने कहा कि काँग्रेस के शासनकाल में 56 घोटाले हुये। जनता ने कुछ हद तक विश्वास किया, फिर वर्ष, 2009 का लोक सभा चुनाव आया तो इन्होंने एक और शिगूफा छोड़ा कि उद्यान घोटाले का पर्दाफाश, जाँच कमेटी ने इसकी रिपोर्ट सौंप दी। अब उस घोटाले की बात ही नहीं हो रही है इसलिये लोक सभा चुनाव में उत्तराखण्ड की जनता ने इनको जोर का झटका, धीरे से कहाँ, जोर से दिया है। जोर से झटका, जोर से ही दिया है और उसी का नतीजा है कि कप्तान बदल गया, मैंने प्रेस के मित्रों से कहा था कि जो टीम जीरो पर आऊट हुई हो मान्यवर, अब तो नहीं कह सकते कि रन बनाये आपने। 5 में से पाँचों सीटें हारे हो कौशिक जी। (व्यवधान) जो जीता वो सिकन्दर। अब हम कितने पे हारे, कितने पे जीते, पाँचों जीत गये, हमारे पाँच बहादुर को, पाँचो पराक्रमी को, पाँचों पांडवों को भेजा, यह अमृता रावत जी मुझसे कह रही थी। (व्यवधान) वो तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी कह चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देखो ये मुझसे बुलवा रहे हैं, आपकी उपस्थिति का लाभ लेकर पन्त जी मुझसे बुलवा रहे हैं। खण्डूरी जी दिल्ली में प्रेस में बहुत अच्छी तरह से बोले, पूरे देश ने सुना कि कपकोट में क्या हुआ ? हमारी बात खण्डूड़ी जी ने कह दी। तो माननीय अध्यक्ष जी, जनता ने आपको पाँचों सीटें हरवा कर चेतावनी दी है, इसको चेतावनी समझो अपनी, मेरे मित्रों, इसको चेतावनी समझना चाहिए आपको और ये अच्छा है, चाहे हमारी सरकार थी, चाहे आज सरकार है, उप चुनाव किसी सरकार के मापदण्ड नहीं हुआ करते। आपको भी बड़ी गलत फहमी थी, बड़े बयान आ रहे थे लोक सभा से पहले आपके नेताओं के, आपके मुख्यमंत्री के, आपके मंत्रियों के कि हम बाजपुर चुनाव जीत गये, धुमाकोट चुनाव जीत गये, गढ़वाल उप चुनाव [×××] साढ़े चार हजार मतों से जीत गये, नगरपालिका हम 17 जीते, हम 18 जीत गये, पंचायत चुनाव हम जिला पंचायत जीत गये, ये चुनाव किसी का मापदण्ड नहीं हुआ करते हैं। हमारी भी सरकार थी। तुम 10 जिला पंचायत जीते हो, जब हमारी

नोटः–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

सरकार थी हम 12 जिला पंचायत अध्यक्ष जीते थे। तिवारी जी रामनगर में नामांकन करने के बाद एक दिन भी नहीं गये थे, खण्डूड़ी से ज्यादा वोट से जीते राम नगर में। हमने भी जीता है। हम नैनीताल पार्लियामेंट सीट का उप चुनाव महेन्द्र पाल जी डेढ़ लाख वोटों से जीते। जब हमारी सरकार थी हम हर उप चुनाव जीतते जा रहे थे, हर नगरपालिका चुनाव जीतते जा रहे थे और हम भी बड़े बयान करते थे, लेकिन जनता परीक्षण करती है।

मैं कल माननीय कौशिक जी से कह रहा था, जब आप कह रहे थे कि परीक्षण करा रहे हैं। जनता परीक्षण करती है इस प्रदेश का यह सौभाग्य है कि ढाई साल में हमारी परीक्षा होती है आम चुनाव के माध्यम से। वर्ष, 2007 में हम चुनाव में गये, आपकी सरकार बनी, वर्ष, 2002 में हम चुनाव में गये, हमको पाँच में केवल एक ही पार्लियामेंट के मेम्बर के0सी0 बाबा मिल पाये। हमारी परीक्षा प्रदेश की जनता ने ली। 2007 में आप जीते, 2009 में जनता ने आपकी परीक्षा ली और आप (व्यवधान) जीरो रन पर आउट होने वाली टीम, इतने उत्साह से बोलते हो, कौशिक जी, महेन्द्र सिंह धोनी जिस दिन जीरो रन पर आउट होता है या सचिन जिस दिन जीरो पर आउट होता है, बेचारा मुँह भी नहीं खोलता है, तुम तो बड़ा मुँह खोल रहे हो। जीरो रन पर आउट होने के बाद भी सीना चौड़ा कर रहे हो। ये सीना क्या इसलिए चौड़ा कर रहे हो कि जीरो रन पर आउट हो गये, लेकिन अपना कप्तान बदलवा दिया क्या इस बात के लिये सीना चौड़ा कर रहे हो। (व्यवधान) इस बात पर सीना चौड़ा कर रहे हैं कौशिक जी, कि जीरो रन पर आउट होने वाली टीम का हमने कप्तान बदल दिया, लेकिन निशंक जी, आप उस टीम के कप्तान बने हो, जो टीम जीरो रन पर आउट हुई थी और उस टीम में आप स्वयं भी खेल रहे थे, आप भी जीरो रन पर आउट हुए। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जीरो रन पर खेलने वाली यह टीम, इस टीम से आप कैसे आगे उत्तराखण्ड के विकास रूपी रन बनाओगे।

इसकी कल्पना नहीं है हमको और इसलिए हमको बहुत दुःख हो रहा है (व्यवधान) अरविन्द जी, आपको तो दुःख नहीं होगा, आप विधायक जीत गये, बड़ी मुश्किल से जीत गये, आपको क्या फर्क पड़ता है, मंत्री बने नहीं, आपके लिए क्या है, हमारी सरकार बने, इनकी सरकार बने, आपको तो पीछे बैक बेंचर रहना है। मान्यवर, गोविन्द शाह जी कहाँ गये, आज नहीं चिल्ला रहे हैं, जिसको पीछे बैठना है उसे क्या फर्क पड़ता है। वहाँ भी पीछे बैठो हमारी सरकार आ जायेगी तब भी पीछे बैठ जाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने रेल के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की बात की है, मुजफ्फरनगर से रुड़की रेल लाईन के लिए, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार ने यह योजना स्वीकृत की है, प्रदेश सरकार की मजबूरी है कि राज्याँश स्वीकृत करना है, बजट में प्राविधान करना इस सरकार की प्रतिबद्धता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने अगर कोशिश की होती तो हरिद्वार–कोटद्वार–रामनगर के लिए, आपने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा होता, भारत सरकार से पहल की होती। आपने टनकपुर–बागेश्वर रेल मार्ग के लिए पहल की होती, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन के लिए केन्द्र सरकार से आपने पहल की होती। अगर आपने कोई पहल की है तो वह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

यह तो सरकारी संकल्प गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं सदन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय निशंक जी दिल्ली गये थे, वित्त मंत्री जी से मिल कर आये, अच्छा होता आप रेल मंत्री से भी मिलकर आते। अगर हम स्वयं करा देंगे तो जैसे रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार की है, ये कहते हैं यह रोजगार हमने उपलब्ध करा दिया हैं आप हमसे कहें, आप जो भारत सरकार को पत्र भेजते हैं, उसकी एक प्रतिलिपि हमको दे दो, हम भी कोशिश करेंगे। जो रेल लाइन बनेगी उसमें केवल बी0जे0पी0 के कार्यकर्ता चलेंगे या काँग्रेस के कार्यकर्ता उसमें चलेंगे, उसमें तो सारे प्रदेश के लोग जायेंगे। हमें पहल करने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, कर्णप्रयाग तक रेल लाईन के लिए हम चलने को तैयार हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा चुनाव के कारण प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण इस प्रदेश की जो वार्षिक योजना थी, वह स्वीकृत नहीं हो पायी, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने पिछली बार भी कहा था इस बार भी कह रहा हूँ, जब हमारी सरकार थी प्रदेश में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में, तब हमारा बजट 2005–06 में 2700 करोड़ रुपये था। वर्ष, 2006–2007 में हमने बजट किया वह 4000 करोड़ का किया। काँग्रेस के शासनकाल में इसमें 48 प्रतिशत की वार्षिक योजना में वृद्धि हुई और बी0जे0पी0 की सरकार में वर्ष, 2007–2008 में आपकी वार्षिक योजना थी 4378 करोड़ रु0 की थी, आप इससे अंदाजा लगा लो कितनी वृद्धि हुई, चार हजार से केवल 78 करोड़ रुव ही आप वार्षिक योजना को बढ़ा पाये और इस सरकार ने पीठ थपथपाई कि नारायण दत्त तिवारी जी के मुकाबले खण्डूड़ी जी भी वार्षिक योजना की वृद्धि करने में कामयाब हुए, कितने कामयाब हुए 27 सौ से चार हजार की वार्षिक वृद्धि, 1300 करोड़ रु0 की वार्षिक वृद्धि। उसके विरूद्ध भारतीय जनता पार्टी और खण्डूड़ी जी की सरकार वर्ष, 2007–08 में कितनी वृद्धि कर पायी केवल 378 करोड़ की वार्षिक वृद्धि कर पायी, 2008–09 में 4775 करोड़ रुपये, लगभग 400 करोड़ रुपये। हमारे शासनकाल में वृद्धि हो रही 1300 करोड़ रु0 की वार्षिक योजना में और आपकी सरकार में वार्षिक वृद्धि हो रही है 300 करोड़ रुपये, 400 करोड़ रुपये। मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह आँकड़े हमारे नहीं है, यह आपके आँकड़े हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

मान्यवर, पिछले वर्ष कुल प्राप्तियाँ रु0 12112.38 थी, इस वर्ष के बजट में कुल प्राप्तियां रु0 13909.16 करोड़ है, तो इसमें पिछलें वित्तीय वर्ष के मुकाबले मुश्किल से 800 करोड़ रुपये की अधिक वृद्धि हुई है। यह बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की आमदनी बढ़ रही है, मार्केट में कीमत बढ़ रही है उसके एवज में आपकी राजस्व प्राप्ति में रु0 800 करोड़ की वृद्धि हो रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि यह इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा सूचक है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष कुल व्यय 12441.32 करोड़ रुपये था, इस वर्ष, 14737.78 करोड़ रुपये है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, समेकित घाटा है, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया वह है 828.22 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष राजस्व प्राप्ति 10456.56 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष आपने 10947.67 करोड़ रुपये इस वर्ष राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख आपने सदन के सम्मुख बजट में दर्शाया है। अर्थात 450 करोड़ रुपये की वृद्धि है। मैं सोचता हूँ यह वृद्धि बहुत कम है। राजस्व प्राप्ति बहुत कम है। राजस्व व्यय पिछले वर्ष, 8662.53 करोड़ रुपये था और इस वर्ष राजस्व व्यय आपका है 11161.11 करोड़ रुपये। व्यय अधिक हो रहा हैं पिछले वर्ष के मुकाबले व्यय इस समय 23 करोड़ अधिक हो रहा है, व्यय अधिक हो रहा है और आमदनी में राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष के मुकाबले केवल 450 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आँकड़े हैं, यह न तो केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए, न ही सदन के लिए यह आँकड़े तो पूरे प्रदेश के लिए हैं जो कि बहुत ही चिन्तनीय है। यह इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की आय आँकड़ों में 38.50 प्रतिशत केन्द्र सरकार से सहायता मिली है। अनुदान 2009–10 में केन्द्र सरकार से 30.21 प्रतिशत अनुदान मिला है। मान्यवर, केन्द्र से प्रदेश सरकार को जो सहायता मिल रही है। वह 38.05 प्रतिशत, वर्ष, 2009–10 में वह 0.21 प्रतिशत हैं। जो स्वयं का राजस्व प्रतिशत है, वर्ष, 2008–09 में वह 25.24 प्रतिशत है। जबकि वर्ष, 2009–10 में स्वयं राजस्व प्राप्ति का 23.99 प्रतिशत है। यह आँकड़े चिन्ता को इंगित करते हैं। मान्यवर, केन्द्र से जो राजस्व कर है वह 10.51 प्रतिशत है। कर राजस्व 9.71 प्रतिशत लोक लेखा के जो सार्वजनिक क्षेत्र से 5.44 प्रतिशत, ऋण और अग्रिम की वसूली 2.77 प्रतिशत, लोक ऋण से 17. 37 प्रतिशत है।

यह जो ग्राफ है, माननीय अध्यक्ष जी, यह ग्राफ आपकी कमजोर आर्थिक व्यवस्था की ओर इंगित करता है कि आप अपने प्रदेश के संसाधनों को जुटाने में और प्रदेश की आय के स्रोतों को बढ़ाने में आप सफल नहीं हो पाये। आपके द्वारा जो मितव्ययिता और फिजूल खर्ची की बात कही गयी थी, आप उसमें सफल नहीं हो पाये। इसलिए यह आपके कमजोर अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। ये ग्राफ आपके ग्राफ हैं, जो आँकड़े मैंने रखे हैं, ये आपके आँकड़े हैं। ये इस ओर संकेत कर रहे हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गयी

है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कुछ दिन पूर्व मीडिया के सामने एक बयान में कहा था कि वह दिन दूर नहीं है जिस दिन यह प्रदेश अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को वेतन देने में असफल हो जायेगा। मान्यवर, कितनी भयानक स्थिति होगी, कि बिहार की तरह प्रदेश सरकार का खजाना खाली होगा। कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन और भत्ते देने के लिए प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं होगा। उस दिन क्या स्थिति होगी प्रदेश सरकार की ? बिहार की तरह हमारा प्रदेश बन जायेगा। जहाँ चिकित्सकों को और शिक्षकों को दो–दो साल तक वेतन नहीं मिलता है। उस स्थिति में प्रदेश की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो मैंने आय के आँकड़े रखे थे और व्यय के जो आँकड़े हैं, जैसे वेतन, भत्ते और मजदूरी पर 34.08 प्रतिशत और निवेश ऋण पर 12.78 प्रतिशत और सहायता अनुदान पर 11.56 प्रतिशत, ब्याज लाभाँश 10.25 प्रतिशत और निर्माण में मान्यवर, कितना बड़ा इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश का निर्माण प्रदेश के विकास के लिए किया हो। मान्यवर, उसमें हम कितना व्यय कर रहे सड़कों पर, बिजली पर, पेयजल आदि पर, केवल 12.22 प्रतिशत खर्च किया। मान्यवर, यह किसी प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं कि सौ प्रतिशत में जो स्थायी निर्माण है और जो हमारी कैपिटल हैं। जो स्थाई निर्माण हैं, स्कूलों के भवन बनने हैं, सड़कें बननी हैं, पुल बनने हैं और बिजली के खम्भे लगने है। मान्यवर, इन पर प्रदेश के केवल 12.22 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे स्कूल बनेंगे और कैसे गाँव के लोगों को पीने को पानी मिलेगा ? यह भयानक स्थिति है इस प्रदेश सरकार के सामने है। यह ग्राफ आपका था और यह आपके बजट में था।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो ग्राफ का हिस्सा है, इसको आपने दिखाया है कि स्थायी निर्माण के वृहद् एवं लघु योजनाओं के लिए यह जो ग्राफ था। मान्यवर, यह बहुत भयानक स्थिति है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी पर पिछली बार आपने लक्ष्य रखा था रु0 500 करोड़ का और इस बार आपने लक्ष्य रखा है 598.21 करोड़ रु0 का। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आबकारी में आप केवल 98 करोड़ रु0 की वृद्धि करोगे तो कैसे आमदनी बढ़ेगी, इसीलिए जो राजस्व प्राप्तियां हैं, वे कम क्यों हो रही हैं कि आपके प्रदेश की आबकारी नीति इतनी अच्छी नीति नहीं है कि जिससे प्रदेश में आबकारी से जो सबसे बड़ा स्रोत है, प्रदेश की आय का, उस स्रोत का ऐसा विकास आप नहीं कर पाएं ऐसी नीति आप प्रदेश के सामने नहीं रख पाए। जिससे आपकी आमदनी बढ़ती।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, सबसे बड़ा स्रोत तो वैट है, मेरे ख्याल से।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह भी एक बड़ा स्रोत है। मान्यवर, चूँकि आबकारी मंत्री जी सामने दिख रहे थे, इसलिए आबकारी ले लिया। मैं सेल्स टैक्स पर भी आऊँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे हटा देता हूँ बड़ा स्रोत कह देते हैं, संशोधन कर देता हूँ। सबसे बड़ा नहीं बड़ा स्रोत। अब तो खुश हैं कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी में सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई। हिमाचल की शराब आपके यहाँ आ रही है, हरियाणा की शराब, पंजाब की शराब आपके यहाँ, उत्तर प्रदेश की शराब आपके यहाँ आ रही है। क्योंकि आपकी नीति आपकी आमदनी तब तक नहीं बढ़ सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आबकारी नीति बनाते हुए आप अगर केवल प्रदेश के नक्शे को निर्धारित करते हुए नीति बनायेंगे तो आपकी नीति और आपकी आमदनी नहीं बढ़ सकती है। आप उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति, हरियाणा की आबकारी नीति, पंजाब की आबकारी नीति, हिमाचल की आबकारी नीति, वहाँ कौन से ब्राण्ड बिक रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आपकी आबकारी नीति बनेगी तो निश्चित रूप से जो शराब की तस्करी है, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश को हो रहा है, वह अवैध तस्करी से हो रहा है। जो हमारी सीमाओं में आपकी दुकान में कम शराब बिकती है, कोटद्वार में, श्री शैलेन्द्र रावत जी बैठे हैं, ये रोज देखते होंगे कि कोटद्वार की शराब की दुकान, पिछले दो–तीन सालों से देख रहा हूँ कि घाटे की दुकान है और जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो सबसे फायदे की दुकान कोटद्वार की होती थी। पौड़ी जिले में, क्यों रावत जी, कौशिक जी, तुम हर समय शब्दों के जाल में न फंसा करो। माननीय अध्यक्ष जी, मंशा नहीं देखते, शब्दों के हेर–फेर में फंस जाते हैं, बीजेपी इसलिए फेल होती है कि शब्दों के हेर–फेर में फंस जाती है।

हम पोलिटिकल व्यक्ति हैं, अरे बड़े भाई के सामने, एक चीज सुनो शैलेन्द्र जी वहाँ बैठने से क्या बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता खत्म हो गया क्या ? बड़े भाई के सामने झूठ बोलोगे। माननीय अध्यक्ष जी, कोटद्वार शराब की दुकान उतने फायदे की नहीं रही अब जितना कि उत्तर प्रदेश के जब हम हिस्से थे। मान्यवर, कारण क्या है, उत्तर प्रदेश की शराब की दुकान, जैसे ही आप कोटद्वार से बैरियर क्रॉस करेंगे तो उत्तर प्रदेश लग जाता है, माननीय निशंक जी, आप भी जाते होंगे, वहाँ उन्होंने उत्तर प्रदेश की कोटद्वार शहर के बिल्कुल बगल में है। माननीय कौशिक जी, माननीय निशंक जी, दुकान में नहीं जाते हैं तो क्या बाहर गाड़ी से तो देखा होगा। मान्यवर, आप इसे गम्भीरता से समझें, मैं आपके लिये ये कह रहा हूँ इस विषय को।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस नीति को दिल्ली सरकार ने एडाप्ट किया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने भी किया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको विपक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव को नकारने वाली बात न करें कि हम विपक्ष में कोई बात कर रहे हैं तो उसको आप नकार दें। उत्तर प्रदेश की शराब की दुकान

कोटद्वार शहर के बॉर्डर पर खुली है, वहाँ तो भीड़ रहती है और कोटद्वार में कोई खरीदता नहीं है कारण क्या है ? मैंने लोगों से पूछा तो कहा कि वहाँ अच्छे ब्राण्ड बिक रहे हैं, मेरी कॉन्स्टीट्यून्सी लैण्सडाऊन है, मैं जब भी अपने क्षेत्र में जाता हूँ, कोटद्वार होकर जाना पड़ता है तो मैं देखता हूँ, क्यों श्री गुनसोला जी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप छाँट–छाँट कर नाम पुकार रहे हैं, क्या चक्कर है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय गुनसोला जी को ब्राण्ड की जानकारी नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गुनसोला जी को सभी ब्राण्डों की जानकारी है, लेकिन उन ब्राण्डों का आजकल टेस्ट क्या हो गया उसकी जानकारी नहीं है, पहले जानकारी थी क्योंकि माननीय गुनसोला जी संयमी हैं। मान्यवर, दिल्ली में एक दावत थी, मैंने सोचा कि मैं तो बी0जे0पी0 से आया हूँ और मैंने सुना था कि काँग्रेस के लोग बड़े ठाट–बाट से जीवन–यापन करते हैं। तो जब पेयजल की बात आई तो श्री गुनसोला जी ने कानों पर हाथ लगा दिया, श्री किशोर जी ने कानों पर हाथ लगा दिया तो हमने देखा कि सब लोग कानों पर हाथ लगा दे रहे हैं, उधर पेयजल की मेज लगी थी, उस तरफ कोई देखे तो सब ने हाथ लगा दिये तो मैंने सोचा कि काँग्रेस का कोई भी उधर नहीं देख रहा है, अब उल्टा हो गया है। मान्यवर, मैं श्री विजय पवार जी के स्वास्थ्य की बात कह रहा हूँ, बजट में स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, पवार जी ब्लड प्रेशर चेक करा रहे थे तो मैंने कहा आप अपने जीवनचर्या में कुछ सुधार करें और पीने के नाम पर सिर्फ जूस और पानी पिया करें, लेकिन माननीय कौशिक जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आबकारी नीति बनाते हुये आप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस ब्राण्ड की कीमत कितनी है और कितने में बिक रही है ? मान्यवर, अगर हमारी कीमत उससे कम होगी तो हमारी अधिक शराब बिकेगी। मार्केट का सीधा सा फार्मूला है, अधिक बिक्री तो आमदनी भी अधिक होगी, यह बात मैं आप से एक व्यापारी के रूप में कह रहा हूँ। अगर हम एक व्यापारी के रूप में आबकारी का व्यापार करेंगे तो और अधिक लाभ कमायेंगे। यदि आप सोचेंगे कि पैसा छीनेंगे और अधिक से अधिक टैक्स लगायेंगे तो इससे फायदा होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सस्ती ब्रांड की शराब बेचिये तो जिस दुकान में रोज दो सौ बोतलें बिक रही हैं, उसमें आपकी एक हजार बोतलें बिकेंगी। भले ही टैक्स कम मिलेगा । (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पिछली बार जब रेट कम किया था तो आपने उस वक्त कहा था कि आप रेट कम करके सबको शराबी बनाओगे और अब आप कह रहे हैं कम रेट करो। क्या करें एक बात बता दें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी शराब के ब्रांड की कीमत अगर 250 रु0 है तो आप उस ब्रांड की कीमत यहाँ पर 240 रु0 रखें। आपकी अधिक बिक्री होगी आपको भले ही एक बोतल में टैक्स कम मिलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यदि एक बोतल पर आपको 20 रु0 मिला और इस पर आपने टैक्स 20 रु0 के बजाय 10 रु0 कर लिया और आपको 1000 बोतल बिक गयी और आपने टैक्स 20 रु0 किया तब 200 बोतल बिक गयी तो फायदा किसमें हुआ। 10 रु0 टैक्स करने में और अधिक शराब की बिक्री होने पर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों की आबकारी नीति को ध्यान में रखते हुए इनके किस ब्रांड की कीमत क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए। यदि आपने इनसे कम कीमत रख दी तो मैं आज आपके साथ कह सकता हूँ, आपकी तस्करी नहीं होगी। मान्यवर, आपने तस्करी रोकने के लिए जो उड़न दस्ते और तमाम चीजें बन रही हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जब प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की तुलना में सस्ती शराब होगी तो कौन तस्करी करेगा ? मान्यवर, प्रदेश के अन्दर तस्करी रूक जायेगी और तस्करी रोकने के लिए आपको जो कर्मचारियों को वेतन–भत्ते देने पड़ रहे हैं और इसे रोकने के लिए जो गाड़ी, पैट्रोल और कर्मचारियों पर जो पैसा इनवेस्ट हो रहा है, वह बच जायेगा। मान्यवर, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क में आपने सात प्रतिशत से पाँच प्रतिशत किया जाना बताया है। जो स्टाम्प शुल्क कम किया है वह 8 से 7 प्रतिशत कम किया है, लेकिन इसको पाँच प्रतिशत तक होना चाहिए था। चूँकि जितना कम टैक्स लगेगा, उतना अधिक फायदा आपको होगा।

मान्यवर, पिक्चर हॉल और छवि गृह है, इनमें आपने टैक्स 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो केबिल आपरेटर हैं और इनके जो पे–चैनल हैं उसका टैक्स में कोई कमी नहीं की गयी। मान्यवर, इस समय केबिल का बहुत बड़ा नेटवर्क केबिल आपरेटरों का है। यह ठीक है कि पिक्चर हॉल भी हमारी धरोहर है और हमारे छवि गृह चलने चाहिए और इस पर टैक्स कम होना चाहिए। मान्यवर, मैं तो पिक्चर हॉल मालिकों के एक सम्मेलन में गया था जो आपने 40 प्रतिशत किया है, इसे और कम किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको केबिल आपरेटरों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था, जिसकी इस बजट में व्यवस्था नही की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा के क्षेत्र में कल माननीय श्रीमती अमृता रावत जी ने विद्युत समस्या के मामले में जब यहाँ पर उल्लेख किया और बहुत सारे तथ्य भी यहाँ पर रखे। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 1874 तोकों के विद्युतीकरण की बात की हैं लेकिन जो तोक हैं, एक तो राजस्व ग्राम हैं, उनका सम्पूर्ण विद्युतीकरण हमारी सरकार के समय में हो गया था। क्यों माननीय अमृता रावत जी, आप तो ऊर्जा मंत्री थीं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, 2012 तक करने का लक्ष्य था।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, 1874 तोकों का विद्युतीकरण करने की बात आपने की। हमारे प्रदेश की जो संरचना है, उसमें जो राजस्व ग्राम हैं, उनके आँकड़े आपके पास हैं, जो तोक हैं, उनके भी आँकड़े आपके पास हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ ऐसी भी तोक हैं, जिनको हम उप तोक कहते हैं, जिनका राजस्व विभाग में लेखा जोखा नहीं है। जब गाँव के ऊपर से सड़क गयी तो सुविधानुसार गाँव के 10–20 परिवार के लोगों ने जाकर सड़क के किनारे अपने घर बना लिये लेकिन उन गाँवों का उल्लेख आपके भू–अभिलेखों में नहीं है, तोकों में भी नहीं है। लेकिन जब हम अपने विधान सभा क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं, प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि रावत जी, हम 10–20 परिवार यहाँ पर रहते हैं, हमारे यहाँ विद्युतीकरण होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि न ये राजस्व ग्राम हैं, न तोक हैं, इनका विद्युतीकरण हो ही नहीं सकता। तो माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे क्षेत्र, जो बस्ती बन गये, जहाँ पर लोग रहने लगे, बाजार बन गये, ऐसी उप तोकों का विद्युतीकरण करने की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है, हमारी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, शिक्षा विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ, लगता है माननीय शिक्षा मंत्री जी सो रहे हैं।

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, उठा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप तो हमेशा उठे ही रहते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आपने उल्लेख किया कि एक विधान सभा क्षेत्र में एक इण्टर कॉलेज, एक हाईस्कूल का नवीनीकरण, नवनिर्माण, जीर्णोद्धार कराएंगे। निशंक जी, मुझे लगता है, आप भी कल्याण सिंह जी से कुछ शब्द चोरी कर लाए हैं। चोर कर तो नहीं कह सकते। उनका अनुसरण कर रहे हैं। चोर शब्द असंसदीय हो जाएगा। क्योंकि वे भी कहते थे, नवीनीकरण, जीर्णोद्धार, पुनरोत्थान। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, कल्याण सिंह जी की झलक आप में भी लगती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं कल्याण सिंह जी के मंत्रि–मण्डल में रहा हूँ तो, मुझमें, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय फोनिया जी में तो झलक होगी ही। उनके मंत्रि मण्डल के चौथे सदस्य माननीय पूरन शर्मा जी यहाँ नहीं हैं। हममें तो झलक होगी ही, क्योंकि हम उनके मंत्रि–मण्डल में रहे हैं। निशंक जी को भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सान्निध्य मिला है, पहले विधायक के रूप में और बाद में जब दुबारा कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो निशंक जी भी मंत्री–मण्डल में थे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र हैं कि एक–एक विधान सभा क्षेत्र में, मैं सोचता हूँ 30–35 से ज्यादा इण्टर कॉलेज होंगे। किसी में 25, किसी में 30, ऐसे ही हाईस्कूल भी होंगे, 30 40 से कम नहीं होंगे। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पर 20 25 हाईस्कूल हैं और 25 30 इण्टर कॉलेज हैं। अर्थात् औसतन एक विधान सभा क्षेत्र में 30 हाईस्कूल होते हैं कहीं 25 होंगे, कहीं 30 होंगे और कहीं 40 भी होंगे। अगर इन विधान सभा क्षेत्रों में आप एक साल में एक हाईस्कूल के भवन का नवीनीकरण करेंगे तो पूरे प्रदेश के हाईस्कूलों के भवनों का नवीनीकरण, जीर्णोद्धार करने के लिये कितना इंतजार करना पड़ेगा ? 30 साल।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, इनकी सरकार के पाँच साल के कार्यकाल में एक भी नहीं हुआ।

(व्यवधान)

*श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, उस कार्यकाल में इस क्षेत्र में एक इतिहास बना है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम कि इनके क्षेत्र में हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि निशंक जी पिछली बार विधायक नहीं थे। मैं अपनी विधान सभा की बात करूँ तो 22 इण्टर कालेजों के भवन बने हैं, सभी हाईस्कूलों के भवन बने। अमृता जी, आप तो एकेश्वर में देखती होंगी कि श्रीकोटखाल इण्टर कॉलेज, एकेश्वर इण्टर कॉलेज, मोहंदड़ी इण्टर कॉलेज, सतपुली इण्टर कॉलेज।......

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अमृता जी से क्यों पूछ रहे हैं, उनके क्षेत्र में एक भी नहीं बना है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, वर्तमान में जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें पिछले पाँच वर्ष में मात्र एक स्कूल बना था।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, बना तो था ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है, वह कह रहे हैं कि एक भी नहीं बना, उन्हें जानकारी दे दीजिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे पाँच साल को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं ? हमारे पाँच साल का डिप्रेशन ढाई साल

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक नहीं गया क्या ? अरे, अब तो लोक सभा का चुनाव भी हार गये हो भैया, अब तो डिप्रेशन से उबरो, कुछ करो, मेरे मित्रो। आप कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ? अभी अमृता जी कह रहीं थीं कि अगर एक वित्तीय वर्ष में एक हाईस्कूल और एक इण्टर कॉलेज बनाओगे तो 30 साल लगेंगे। मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी विधायक हैं, इन स्कूलों में जाते हैं, सांसद हैं, वह लोग भी जाते हैं। स्कूलों के भवन मुर्गीखाने जैसे बने हैं, हमने एक लाख रुपया दे दिया, एक डिब्बा बना दिया, सांसद ने पैसा दे दिया, एक डिब्बा और बना दिया। यह डिब्बे रेल के डिब्बे जैसे भी नहीं लगते हैं। मान्यवर, आप कभी पहाड़ में जायेंगे, वैसे भी आपको पहले भी सौभाग्य मिला है, आप उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास मंत्री रहे हैं, आपको गाँवों में जाने का अवसर मिला हैं। वह डिब्बे अगर रेल के डिब्बे जैसे भी दिखाई दें तो कुछ अच्छे लगें, लेकिन वह ऐसे लगते हैं, जैसे मुर्गीखाना, मैंने मुर्गीखाने भी देखे हैं, वह भी थोड़ा ठीक से बने होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। एक डिब्बे का मुँह इधर है, तो दूसरे का उधर है, एक में बरामदा बना है तो दूसरे में बरामदा ही नहीं होता। यह स्थिति सभी हाईस्कूलों और इण्टर कॉलेजों की है, जर्जर स्थिति में ये स्कूल हैं और बड़ी चिन्ता की बात है कि सरकार ने इण्टर कॉलेज और हाईस्कूल जिस तेजी के साथ, जिस अभियान के रूप में एक संकल्प लेना चाहिये था कि प्रदेश के भवन विहिन स्कूलों के भवनों का निर्माण यह सरकार करेगी। अगर यह सरकार ऐसा कर रही होती, ऐसा संकल्प लेती तो हम आज यहाँ पर वाह–वाह कर रहे होते, मेज थपथपा रहे होते।

माननीय निशंक जी, कल आप यहाँ पर नहीं थे, मैंने कहा था कि एक शिक्षक होने के नाते और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि शिक्षक एक शिक्षक ही होता है, न उसकी कोई जाति है, न धर्म है। शिक्षक चाहे हाईस्कूल का हो, शिक्षक चाहे इण्टर कॉलेज का हो, मान्यवर, शिक्षक, शिक्षक होता है और एक शिक्षक होने के नाते मैंने कल्याण सिंह की पीड़ा को देखा है, मुलायम सिंह जी, शिक्षक रहे हैं, मैंने उनकी पीड़ा को देखा है, क्योंकि वो भी जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक रहे। कल्याण सिंह जी भी, मुलायम सिंह जी भी, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होगा, कल मैंने नियम–58 के तहत मामला उठाया था कि आज पूरे प्रदेश का प्रशिक्षित नौजवान दर–दर भटक रहा हैं आपने वायदा किया था, उत्तराखण्ड के नौजवान से 2007 के चुनाव में जब आप गये थे, कम दाम, हर हाथ को काम, ये नारा, स्लोगन आपने दिया था, 'किसान पर मेहरबान, हर खेत को पानी', ये नारा आपने दिया था। क्या हुआ आपके इस नारे का, क्यों नहीं आपने ऐसी नीति बनाई जिससे उत्तराखण्ड के ये प्रशिक्षित नौजवान विद्यालय में शिक्षक हों, प्रधानाचार्य हों, भवन हों, लैब हों, आपने ढाई साल से ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है। आपका कार्यकाल ढाई साल होने जा रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोई काम नहीं किया है। उच्च शिक्षा की स्थिति ऐसी है, आपने कहा कि हमने कुछ

छात्रावास, महिला छात्रावास बना दिये, कुछ पुरुष छात्रावास बना दिये। मुझे जानकारी है कुछ छात्रावास यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के सहयोग से बने। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि 65 राजकीय महाविद्यालय में से 42 राजकीय महाविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज और ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज, बिना प्राचार्य के हैं, क्या स्थिति उच्च शिक्षा की होगी। 65 में से 42 पी0जी0 डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज में प्राचार्य नहीं है। ढाई साल से आप डी0पी0सी0 नहीं करा पाये, ढाई साल में आप प्राचार्य का चयन नहीं कर पाये और नतीजा क्या है, कुछ डिग्री कॉलेज में यह स्थिति है कि संविदा का विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग लेक्चरर प्राचार्य के चार्ज में हैं, अब विद्यालय की क्या स्थिति होगी। अधिकाँश डिग्री कॉलेज टीन शेड में चल रहे हैं।

सतपुली महाविद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र का, हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में, तमाम माननीय विधायकों के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जिनके भवन नहीं बने हैं, क्यूँ नहीं आप ध्यान दे रहे हैं। विश्वविद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि पंतनगर विश्वविद्यालय हड़ताल पर रहा, आपने कोई सुध नहीं। माननीय बेहड़ जी को यहाँ नियम–58 में बात उठानी पड़ी, माननीय महाजन जी ने भी उठाया। नैनीताल में हड़ताल रही राजकीय महाविद्यालय में, आप सिक्स पे कमीशन की बात करते हैं विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को सिक्स पे कमीशन आपने नहीं दिया। गढ़वाल विश्वविद्यालय को कोई उल्लेख आपने नहीं किया, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? गढ़वाल विश्वविद्यालय सेन्ट्रल विश्वविद्यालय बन गया है। 100 से अधिक महाविद्यालय है लेकिन आज उनका माई–बाप कौन होगा अगर वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध रहेंगे तो प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से क्या बातचीत की है, क्या प्रयास किये हैं। उस दिशा में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एक पंचायत बहुउद्देशीय भवन की बात आपने की है, यह पूर्व की योजना है, हर विधान सभा क्षेत्र में पहले से ही बहुउद्देशीय भवन हैं, पंचायत भवन जिनको हमने पहले ही बहुउद्देशीय भवन कहा है। राजीव गाँधी पंचायत भवन, यह हमारी सरकार थी तब से बन रहे हैं, इस सरकार ने इसका जोर–शोर से उल्लेख किया है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की बात हुई है, माननीय अध्यक्ष जी, संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत अकादमी, संस्कृति की बात आपकी सरकार करती हैं, धनाभाव के कारण दोनों भवनों पर काम नहीं चल रहा हैं संस्कृत विश्वविद्यालय और हरिद्वार में संस्कृत अकादमी दोनों के भवन धनाभाव के कारण बन्द पड़े हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ आपका ध्यान नहीं है, संस्कृत अकादमी की ओर आपका ध्यान नहीं हैं हमने यह कभी नहीं कहा कि आयुर्वेदिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेदिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, योग शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन योग प्रशिक्षित गाँधी पार्क में, विधान सभा के सामने रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। आयुर्वेदिक चिकित्सक जो प्रदेश की सेवायें कर रहे हैं, उनका

रजिस्ट्रेशन आपने ओपन नहीं किया है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में फार्मेसिस्टों के पद रिक्त है।

ये जो सिलसिला शुरू हुआ है प्रदेश के अन्दर, कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हमने खोला, संस्कृत विश्वविद्यालय हमने खोला, अब कैमेस्ट्री विश्वविद्यालय खुलेगा, गणित विश्वविद्यालय खुलेगा, फिर फिजिक्स विश्वविद्यालय खुलेगा। मैं सिर्फ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय होता है। जो हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय है, अगर उसके भवन को आप पूरा करते, जिस प्रकार गढ़वाल विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर की भी शिक्षा दी जा रही है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भी विश्वविद्यालय से जुड़ा है, उसमें बी0टेक0, बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0एस0सी0, टूरिज्म, पत्राचार भी हो रहा है। विश्वविद्यालय में हर तरह की शिक्षा दी जाती है। अगर आप संस्कृति विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई अलग आयुर्वेदिक शिक्षा को आप उसी में जोड़ देते और भी शिक्षा जोड़ी जा सकती थी। उसी विश्वविद्यालय को आप बहुत बड़ा व्यापक रूप देते, बजाय सस्ती लोकप्रियता के लिए हम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलकर अपनी पीठ थपथपायें। क्वान्टिटी की बात नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय खोलने से काम नहीं चलेगा। जो भी विश्वविद्यालय हम खोलें वह विश्वविद्यालय प्रदेश और देश को, उसकी गुणवत्ता क्या है, वह विश्वविद्यालय हमारे समाज को, प्रदेश को क्या दे रहा है, यह महत्वपूर्ण है, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, यह महत्वपूर्ण है, होना तो यह चाहिए था, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए एक नया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अब संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या होगा, कल आप होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए होम्यो चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल दो फिर यूनानी चिकित्सा के लिए यूनानी विश्वविद्यालय खोल दो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कह रहा हूँ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय होता है। विश्वविद्यालयों में जैसे साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, कम्प्यूटर फैकल्टी होती है, फिजिक्ल फैकल्टी होती, इनवायरमैंटल फैकल्टी होती है, अन्य बहुत सारी फैकल्टियाँ होती हैं। उसी तरह से वहाँ पर आयुर्वेदिक फैकेल्टी और अन्य फैकल्टियाँ होती तो उस विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा स्वरूप हो जाता तो लगता कि हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय, जो अपने आप में देश और दुनिया के सामने जैसे हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जे0एन0यू0 का स्वरूप है उसी तरह संस्कृत विश्वविद्यालय का स्वरूप हम पूरे देश और दुनियाँ के सामने रख सकते थे। दुनियाँ के सामने कहते कि हमारे हरिद्वार में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें आयुर्वेद की शिक्षा होती है, होम्यो चिकित्सा की शिक्षा होती है। ऐसी फैकल्टी होती जैसी जे0एन0यू0 में है। मैं सोचता हूँ कि वह ज्यादा उपयोगी होता।

यह तो एक तरह से नये–नये ऑफिस खोलने वाली बात हो गई। इससे शिक्षा के स्तर में चाहे वह आयुर्वेदिक शिक्षा हो, एकेडमिक शिक्षा हो, कम्प्यूटर शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो इसमें सुधार होने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चिकित्सा की बात कर रहा हूँ माननीय निशंक जी पहले चिकित्सा

मंत्री रहे हैं, आज भी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में इनके पास चिकित्सा मंत्रालय भी है, होना भी चाहिए। जिस विभाग में व्यक्ति काम करता है उस विभाग से मोह हो ही जाता है, लगाव हो जाता हैं। मोह तो नहीं कह सकता, लगाव कह सकता हूँ। मोह शब्द थोड़ा अच्छा नहीं होगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री थे स्वर्गीय श्री वीर बहादुर जी। आपको याद होगा आर्य जी। जब वे मुख्यमंत्री हो गये तो उनका लगाव सिंचाई विभाग से कम नहीं हुआ, वह उन्होंने अपने पास ही रखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लगाव हो जाता है। माननीय श्री केदार जी, मैं इसे गलत संदर्भ में नही कह रहा हूँ। पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। जिस विभाग में काम किया हो उससे लगाव होना भी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 108 की सेवा की शुरूआत की गई है। अभी कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर जा रहा था तो हर बिजली के खम्भे पर 108 सेवा का विज्ञापन लगा है, अच्छा है। लेकिन किसी सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिले यह उचित नहीं है। आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 108 की सेवा कितने में खरीदी गई। इसके क्रय के लिए विज्ञापन कब निकाले और उसके लोकार्पण में कितना खर्च हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इस 108 सेवा के लोकार्पण में, मात्र इसे हरी झण्डी दिखाने के नाम पर प्रदेश का 75 लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ है। सेवा के नाम पर हम भण्डारा करायें या धार्मिक कार्य कर रहें हो या स्वास्थ्य शिविर लगाने के नाम पर हम गलत तरीका अपनायें और हम कहें कि हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं तो जनता की सेवा के नाम पर जो आपकी नीयत खराब है। मैं कहूँ कि मैं दान कर रहा हूँ लेकिन जो दान के लिए पैसा आ रहा है, वह सही तरीके से ईमानदारी से आ रहा है या नहीं है, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। किसकी जवाबदेही होगी। सरकार को इस सम्बन्ध में श्वेतपत्र जारी करना चाहिए कि 108 की कीमत कितनी है और इसको खरीदने में विज्ञापन कब निकाले और उसमें लगे आक्सीजन सिलैण्डर की कीमत क्या हैं।

यह सवाल आज 108 पर लगा है माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सकों की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है ? माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के सामने स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज सबसे खराब हालत अगर किसी व्यवस्था की है तो वह स्वास्थ्य विभाग की है। वह केवल सरकार के सामने नहीं पूरे प्रदेश के सामने एक चुनौती है। स्वास्थ्य की इस प्रदेश में यह कैसी व्यवस्था है ? आज डॉक्टर नहीं है। सतपुली में हॉस्पिटल खुलवा दिया है, उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है। दुगड्डा में महिला डाक्टर नहीं है। पहाड़ों में माननीय शहजाद जी, या तो पद सृजित ही नहीं हैं। मान्यवर, पहाड़ में या अस्पताल है तो डॉक्टरों के पद सृजित ही नहीं हैं। (व्यवधान) माननीय कौशिक जी और शहजाद जी, आप हरिद्वार जनपद के विधायक नहीं हैं बल्कि आप सदस्य, उत्तराखण्ड विधान सभा भी हैं। आपका कार्य क्षेत्र उत्तराखण्ड प्रदेश का है, आप हरिद्वार से चुनकर आये हैं, लेकिन सदस्य, उत्तराखण्ड के हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाऐं इस तरह से जर–जर

और कष्टप्रद है। आज हमारे प्रदेश की महिलाएं, चाहे प्रसव हो, जंगल में घास काटते हुए गिर जाती हैं या जंगलों में जानवरों द्वारा उनको घायल किया जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो नजदीक में कोई चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाती है। मान्यवर, अगर चिकित्सालय है तो उसमें डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है। औषधि नहीं मिल पाती है, इसके लिए कौन चिन्ता करेगा ? क्या सरकार ने अपने बजट भाषण में कोई ऐसी मंशा नहीं दिखायी है ? केवल अपने बजट भाषण में इस 108 सेवा का गुणगान के अलावा कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, 1300 करोड़ रुपया भारत सरकार से चिकित्सा सेवा के मिशन के लिए मिला है। उसका कोई जिक्र कहीं नहीं किया है, इसका कुछ श्रेय तो केन्द्र को दे दो। प्रदेश सरकार के जिस स्रोत से आपको पैसा मिल रहा है उसकी पीठ थपथपाओ और जो पैसा केन्द्र सरकार से मिल रहा हो, केन्द्र सरकार को भी कह दो। क्या केन्द्र सरकार पर आरोप ही लगाते रहोगे।

मान्यवर, सरकार उम्मीद भी करती है कि केन्द्र सरकार हमको पैसा भी दे, विभिन्न योजनाओं में और आप उसकी बुराई करो यह कैसी बात है ? मान्यवर, सरकार हमारी बुराई भी करे और हमसे यानी केन्द्र सरकार से पैसे भी माँगते रहे, यह कैसी बात हैं यदि कोई चीज की माँग करते हो तो सभ्यता से करो, इस स्वास्थ्य सेवा में यह पैसा कहाँ से मिला है ? मान्यवर, केन्द्र सरकार को कभी धन्यवाद भी दिया करो और शिष्टाचार से करो और मीडिया के सामने आरोप तो नहीं लगाओं कि केन्द्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है और माँगो भी और धमकाओं भी, ऐसा कैसे चलेगा, धमका–धमका के माँगो। (हँसी) मान्यवर, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी। मान्यवर, जब हमने इस मेडिकल कॉलेज के लिए माँग उठायी थी तो पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन के सम्मुख आश्वासन दिया था कि इसके लिए धनराशि देंगे। इसके लिए इस बजट भाषण में जिक्र ही नहीं किया है। निशंक जी, पूरा मेडिकल कॉलेज अपने पेट में ले जाओगे क्या ? मान्यवर, आपने आयुर्वेदिक कॉलेज निगला और मेडिकल कॉलेज खा गयें, इतनी कृपा तो करो हमारे बेहड़ जी के ऊपर, इस मेडिकल कॉलेज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। माननीय निशंक जी, जब आप बजट भाषण पढ़ रहे थे तो बहुत चर्चा हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा यह बजट भाषण अधिकारियों ने बनाया है। माननीय निशंक तो नये–नये मुख्यमंत्री जी बने हैं, ये होता है, जब कोई नया दुल्हा आता है तो नयी बारात में दुल्हा को नयी मालायें पहनायी जाती हैं, नये कपड़े पहनाये जाते हैं। आपकी तो बड़ी सेवा हो रही थी और होना भी चाहिए था। आप हमारे प्रदेश के मुखिया बने हो आपको बजट की चिन्ता कहाँ थी ? मान्यवर, जब चर्चा हो रही थी कि बजट भाषण अधिकारियों ने तैयार किया और निशंक जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। मान्यवर, शायद अधिकारियों ने तैयार किया और माननीय निशंक जी ने खाली दस्तखत कर दिया। क्योंकि अभिनंदन आदि से कहाँ टाईम मिल रहा हैं। मैं देख रहा हूँ कि रात दो बजे तक निशंक जी के आवास पर भीड़ लगी रहती है। मैं खुद देख रहा हूँ अपने को, मैं तो नेता विपक्ष दल हूँ। 12–1 बजे घर जाता हूँ, भीड़ घेरे

रहती हैं सुबह उठता हूँ तो फिर भीड़ घेर लेती है, ज्ञापनों को लेकर लोग खड़े रहते हैं। मुझे जब पढ़ने का समय नहीं मिल पाता हैं मैं जितना भी पढ़ पाया, जितना भी तैयारी कर पाया हूँ, यहाँ बैठकर तैयारी की है। अपने ऑफिस जाता हूँ, वहाँ भीड़। ऑफिस में तैयारी नहीं हो पाती हैं। मैं कल अपने साथियों से कह रहा था भईया थोड़ा पढ़ने का समय दो।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं बीच में थोड़ा लंच टाईम में अपने ऑफिस गया था तब तक माननीय पन्त जी की दावत खाने में लग गया। राकेश जी, मेरे साढ़ू कहाँ है, वे तो आये नहीं। बड़े भाई राम तो आये नहीं। जब निशंक जी का परसो भोजन था, माननीय अध्यक्ष जी, वह अमृता जी कह रही थी।, कण्डारी जी होते तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन नहीं हैं, क्या करूँ ? फिर भी बोल रहा हूँ। निशंक जी ने कहा कि भाभी जी को बुलवा लो तो उन्होंने अपने पी0ए0 को भेजा और मेरी मिसेज को बुलवा लिया। माननीय कण्डारी जी ने देखा कि जैसे ही मेरी मिसेज आई वैसे कण्डारी जी भागने लगे तो अमृता जी ने पीछे से कहा कि ये हिन्दुस्तान का पहला जीजा है, जो साली को देखकर भाग रहा है। (हँसी) भाई साली दिख जाए और जीजा भाग जाए यह तो कल्पना के ऊपर है। लेकिन निशंक जी, जब हम विधायक साथी बैठे थे तो हम कह रहे थे कि निशंक जी को तो टाईम नहीं मिला तो किसी ने कहा वह भाषण तो अधिकारियों ने तैयार किया न कि निशंक जी ने। मैंने भी पढ़ा भाषण, मैंने कहा कि अधिकारियों ने तो तैयार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक–दो शब्द निशंक जी ने जोड़ दिए हैं। कहने लगे कि रावत जी, आप कैसे कह रहे हो। मैंने कहा कि पर्यटन विभाग में जब मैंने धरती का स्वर्ग पढ़ा तो मैंने कहा कहीं न कहीं निशंक जी ने थोड़ा बहुत इसको देखा है और एक–दो शब्द जोड़ा है, जिससे बजट ऐसा लगे कि बजट भाषण मैंने तैयार किया है, उसमें कुछ शब्द जोड़ दिए हैं। इसलिए आपने पर्यटन की बड़ी बात की, आपने धरती का स्वर्ग कहा। धरती का मतलब केवल भारत नहीं होता है शहजाद जी, दुनिया, पूरी धरती, ब्रहमाण्ड तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया, चन्द्रमा भी आ गया, बृहस्पति भी आ गया, शुक्र और शनि भी आ गया और जब शनि की बात दिनेश जी ने की हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक किस्सा सुना देता हूँ कि एक बार लक्ष्मी और शनि महादेव में बड़ा विवाद हो गया, लक्ष्मी ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और शनि महादेव ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, दोनों में विवाद हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, दोनों ने कहा कि ब्रह्मा जी ही तय करेंगे कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है।

दोनों ही ब्रह्मा जी के पास पहुँच गये कि महाराज, हम दोनों में यह विवाद हो रहा है कि शनि महादेव कह रहे हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं कह रही हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो प्रभु, आप बताओ कि कौन सर्वश्रेष्ठ है ? ब्रह्मा जी ने सोचा कि लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ कहता हूँ तो शनि का प्रकोप हो जायेगा और शनि को सर्वश्रेष्ठ कहता हूँ तो विष्णु जी की नाराजगी कौन लेगा तो उन्होंने

कहा कि इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है, ये विष्णु जी ज्यादा ठीक बता पायेंगे। दोनों विष्णु जी के पास चले गये, कि विष्णु जी हम दोनों में विवाद हो रहा है, हम ब्रह्मा जी के पास गये थे मान्यवर, और शनि को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो घर में लड़ाई हो जायेगी, पत्नी का प्रकोप हो जायेगा, उन्होंने कहा कि आपको शिव भगवान जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं तो अब दोनों भोले नाथ जी के पास चले गये, उन्होंने शिव भगवान से कहा तो उन्होंने सोचा कि दोनों के विवाद में कौन पड़े, उन्होंने कहा नारद मुनि जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं तो वे लोग वहाँ गये और कहा कि मुनि जी, हम दोनों में विवाद हो रहा है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव भगवान जी ने आपके पास निराकरण के लिए भेजा है तो नारद मुनि जी ने कहा कि आप दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो उन्होंने कहा मुनि जी, आप हम दोनों को क्यों लॉलीपॉप थमा रहे हैं, दोनों को क्यों खुश करना चाहते हैं, हममें से कौन श्रेष्ठ है, वह स्पष्ट बतायें, तो नारद जी ने कहा कि आप दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि लक्ष्मी आते हुये सर्वश्रेष्ठ है और शनि महादेव जाते हुये सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी के धन में लक्ष्मी आ जाए तो उसकी पूजा होती है और किसी के घर से शनि चले जाएं जो उसकी पूजा होती है कि शनि महादेव जी आप चले गये, अच्छा हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार में तो लक्ष्मी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, शनि भी नहीं, मैंने अभी खजाने की बात कही लक्ष्मी भी नाराज, धन भी नाराज, खजाना खाली है और शनि का प्रकोप है, यह स्थिति विस्फोटक है तो मैं आपके माध्यम से प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, उस खुदा, गॉड, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रभु! लक्ष्मी की कृपा हमारे प्रदेश को हो जाए, भले ही सरकार इनकी क्यों न हो।

मान्यवर, मैं पर्यटन की बात कर रहा था कि धरती का स्वर्ग है तो कैसा स्वर्ग बना रहे हैं, माफ करना हमारे यहाँ भी पर्यटन मंत्री थे, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे हमारे पर्यटन मंत्री हों या आपके पर्यटन मंत्री हों सच तो सच ही रहेगा, सरकार किसी की भी हो, मैं भी था तो उस समय काम भी किया, पर मैं तो उत्तराखण्ड बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, पुरस्कार मिल रहे हैं, हमारी सरकार में भी पुरस्कार मिले, आपकी सरकार में भी पुरस्कार मिला। माननीय प्रकाश पन्त जी, मैं जानना चाहता हूँ कि नेशनल या इण्टरनेशनल कौन सा एवार्ड मिला।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, गैलिलियों एवार्ड मिला, जो कि इण्टरनेशनल एवार्ड है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पुरस्कार स्वरूप इण्टरनेशनल एवार्ड मिला और जब श्री टी0पी0एस0 रावत जी मंत्री थे तो तब भी पुरस्कार मिला। मैं भी पर्यटन विभाग में एक छोटा सा राज्य मंत्री रहा हूँ, जैसे श्री खजान दास जी राज्य मंत्री हैं, वैसे ही मैं श्री फोनिया जी के साथ था। श्री खजान दास जी आप माननीय निशंक जी के साथ आपदा मंत्री हैं, मैं तो छोटा सा मंत्री था। अखबार में पढ़ता

था कि पुरस्कार मिल गये तो मैं सोचूँ कि पौड़ी वैसी की वैसी है, लैन्सडाउन जैसा था वैसे का वैसा है, श्रीनगर में कुछ हुआ नहीं, गंगा नदी में कुछ हो नहीं रहा है। मान्यवर, शीतला खेत में जो कुछ थोड़ा बहुत हमने दीवार बनायी थी, वह भी कम्पलीट नहीं और ओली में कुछ नहीं हो रहा है। ये पुरस्कार किस बात के मिल रहे हैं। माननीय पन्त जी, मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूँ जो हमारे साथ पर्यटन मंत्री थे, माननीय टी0पी0एस0 रावत, उनको भी कह रहा हूँ। मैं केवल आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चाहे हमारी सरकार के पर्यटन मंत्री रहे हों या आपकी सरकार के पर्यटन मंत्री रहे हों, ये पुरस्कार तो मिल रहे हैं। मान्यवर, पर्यटन परिषद् बन गयी, निदेशालय भी है, आप मुझे बताइये 30–40 साल पहले श्री रावत जी, श्रीनगर टूरिस्ट ऑफीसर थे, जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था, सन् 1981–82 में, जैसा कि माननीय निशंक जी भी जानते हैं। वह व्यक्ति आज भी उसी पद पर हैं, जिस पद पर पहले थे। मान्यवर, वे आजकल टिहरी जिले में हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप किस पद पर हो, मैंने सोचा टूरिस्ट ऑफीसर हो गये होंगे, रीजनल टूरिस्ट ऑफिसर हो गये होंगे, एडीशनल डायरेक्टर हो गये होंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर हो गये होंगे। कहने लगे साहब, मैं तो जिला पर्यटन अधिकारी तो हूँ लेकिन चार्ज पर हूँ, पद मेरा सहायक पर्यटन अधिकारी ही है। मान्यवर, राज्य बने 09 साल बीत गये हैं लेकिन अभी तक ढाँचा स्वीकृत नहीं हुआ। चाहे हमारी सरकार के पर्यटन मंत्री हों या आपकी सरकार के पर्यटन मंत्री। अभी विभाग का ढाँचा स्वीकृत नहीं हुआ, परमोशन आप नहीं कर रहे हो।

माननीय निशंक जी और मैं श्रीनगर की सड़कों पर घूमते थे। जब मैं लेक्चरर हुआ तो एक स्कूटर मेरे पास था, इस यथार्थ को हम भूले नहीं हैं। माननीय निशंक जी और मैं श्रीनगर की सड़कों पर घूमते थे और लोगों से सहयोग माँगते थे और लोग देते भी नहीं थे और हम शाम को सोचते थे यह एक कड़वी सच्चाई है, जो आदमी अपनी जमीन को छोड़ दे, वह आदमी दुनिया में कभी उन्नति नहीं कर सकता है। हम शाम को सोचते थे कि रोटी कहाँ खायेंगे और कौन सा परिवार हमें शाम को खाना खिलायेगा। आज तो माननीय निशंक जी मुख्यमंत्री हो गये और माननीय नेता सदन हैं और मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। मान्यवर, हमारा तो प्रमोशन पर प्रमोशन हुआ, पहले विधायक से, राज्य मंत्री से, मंत्री से और अब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। मान्यवर, यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है यह वर्ष, 1981 से 1988 तक की बात कर रहा हूँ। हम तो आज लालबत्ती और माननीय निशंक जी तो हैलीकॉप्टर में भी घूम रहे हैं और वे बेचारे जिनको साईकिल भी नसीब नहीं हो रही है। इस समय पर्यटन मंत्री जी कौन हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, अब नयी टीम में यह पता नहीं चल रहा है कि कौन बोलिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा और कौन बैटिंग करेगा। यही पता नहीं चल रहा है, कौन किस विभाग का मंत्री है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अरविन्द कुमार जी कह रहे हैं, आपका प्रमोशन इसी पद पर परमानेंट बना रहे तो अच्छा रहेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय कौशिक जी को बताना चाहता हूँ, मान्यवर, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं होती, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। हम तो यहाँ पर भी खुश हैं कि हमको सदन में गरीब जनता की पैरवी करने का मौका मिला है। हम तो खुश हैं, इस बात से कि हमको अपने नौजवानों की पैरवी करने का मौका, उसकी वकालत करने का मौका मिला है, हम खुश हैं। लेकिन माननीय कौशिक जी, हमारी लाचारी है, मजबूरी है, माफ करना। हम तो यहाँ रहना चाहते हैं लेकिन आप इतने (व्यवधान) सॉरी मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। (व्यवधान) शब्द को वापस ले लिया है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, ये इस प्रदेश की तस्वीर इतनी बिगाड़ देंगे कि हम यहाँ रहना भी चाहेंगे, तो जनता इनको धकिया कर, जैसे 5 पार्लियामेंट सीटों में जनता
ने इनको धकिया दिया, वैसे ही माननीय कौशिक जी, जब जनता आपको यहाँ से धकिया कर बाहर का रास्ता दिखा रही होगी, माफ करना मैं तो आपका भाई हूँ, मैं तो फिर भी कोशिश करूँगा कि धक्का जरूर दो लेकिन आहिस्ता से दो, जिससे कि कौशिक जी के घुटने और शरीर सुरक्षित रह जाएं। माननीय कौशिक जी, ढाई साल में तो लोक सभा के चुनाव में जनता ने आपको धकिया दिया, अगर इसी तरह की भाषा रहेगी, यही शब्दों का जाल बुनते रहोगे, करोगे कुछ नहीं, तो आपको जनता धकिया देगी। यहीं पर खड़े होकर खण्डूड़ी जी ने कहा था कि हरक सिंह जी, आपको यहाँ आने में 20 साल लगेंगे। कहा चले गये खण्डूरी जी ? (व्यवधान) जंगल में भेज दिया। खण्डूड़ी जी धनोल्टी के जंगल में पेड़ लगा रहे हैं। मैं इसलिए पर्यटन विभाग पर कहना चाहता हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय खण्डूड़ी जी इस सदन के माननीय नेता रहे हैं। यह अलग बात है कि इस स्थान पर कभी कोई होगा और कभी कोई होगा। यदि वे धनोल्टी गये हैं तो भी शान्ति के साथ गये हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अच्छा काम करने के लिए गये हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जंगल सुरक्षा के लिए गये हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको भले ही कप्तानी से हटा दिया हो, लेकिन इस प्रदेश के प्रति पर्यावरण की, पेड़ लगाने की, वनीकरण की उनकी जो जिम्मेदारी है, वे आज उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। इसके लिए हम उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं, इस सदन की तरफ से उनकी तारीफ करना चाहते हैं। (व्यवधान) उनका बयान आया था कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। (व्यवधान) निशंक जी, मैं क्या कहूँ, आपने तो पैर भी छू दिये, फिर भी खण्डूड़ी जी यहाँ पर तो आपको आशीर्वाद देते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हँसी मजाक बहुत हो गयी हैं इस हँसी मजाक में

भी हमने गॅंभीर बातें की हैं। पर्यटन का ढाँचा स्वीकृत होना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा ऊर्जा प्रदेश है, हम कहते हैं कि हमारा धार्मिक, साहसिक पर्यटन और सैलानियों का प्रदेश है। निशंक जी कहते हैं, यह धरती का स्वर्ग है, तो स्वर्ग को स्वर्ग बनाओ। इस स्वर्ग को नर्क क्यों बना रहे हो ?

श्री प्रकाश पन्त–

मानतीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पर्यटन विभाग के ढाँचे के बारे में 2–3 बार रिपीट कर दिया है, इसलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 227 पदों का ढाँचा पर्यटन विकास परिषद् का पूर्व से स्वीकृत है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, निदेशालय का नहीं हुआ है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, निदेशालय है ही नहीं। (व्यवधान) श्रीमन्, निदेशालय अस्तित्व में नहीं है क्योंकि पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ, कल भी, परसों भी जब मैंने पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से पूछा था तो, कल तक तो कुछ भी नहीं था। आज हुआ होगा, तो मैं नहीं कह सकता।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पर्यटन विकास परिषद् के गठन के बाद निदेशालय स्वतः समाप्त हो जाता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे सब मालूम है। अगर परिषद् आपने बना दिया तो 25–30 साल से जो कर्मचारी हैं, उनको किस स्थिति में आप रखेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बाकायदा उनसे विकल्प देने के लिये कहा गया है कि आप लोग आप्शन दीजिये, निदेशालय है ही नहीं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो आप्शन नहीं देंगे, वे कहाँ जायेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसीलिये तो यथास्थिति बनी हुई है, उसमें कुछ गतिरोध बना हुआ है, वार्ता चल रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने पर्यटन परिषद् बना दी और आज की तारीख तक यथास्थिति है। गतिरोध क्यों है, यह आप जानो या आप दोनों मंत्री जानें, लेकिन आज भी उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो कर्मचारी 25 साल पहले जिला पर्यटन अधिकारी थे, वह आज भी उसी पद पर हैं, जो 15 साल पहले रीजनल टूरिस्ट ऑफिसर था, वह वहीं पर हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आप कब आगे बढ़ाओगे ? मैं राजस्व विभाग में डेढ़ साल रहा, मेरा पटवारी आज तहसीलदार है और जो नायब तहसीलदार में भर्ती हुये थे, अगर उत्तराखण्ड में पी0सी0एस0 को छोड़ दिया जाय तो मैंने अपनी कलम से उन सब को एस0डी0एम0 बनवा दिया था। अगर एक व्यक्ति एक ही पद पर 25 साल तक रहेगा तो उसके काम करने की क्षमता घट जायेगी। मैं जब लेक्चरर बना था, तो रोज क्लास पढ़ाता था, फिर रीडर बना तो दो–चार साल उमंग रहती है, काम करने की इच्छा और हुई। अगर हम कर्मचारी से काम ले रहे हैं और हम उससे कहते हैं कि तुम जिम्मेदारी से काम करो तो हमारी और सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर जनता के हितों की और कार्यों की जिम्मेदारी कर्मचारी रखेगा तो कर्मचारी के और उसके हितों की रक्षा हम रखेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है, इसलिये आपसे निवेदन है कि इस दिशा में सचमुच ईमानदारी के साथ काम करने की आवश्यकता हैं। पुरस्कार की जरूरत नहीं है, भले ही हमें पुरस्कार न मिले, किसी विभाग को या सरकार को पुरस्कार उस प्रदेश और देश की जनता देती है। अगर उत्तराखण्ड में कोई सैलानी आता है और वह दिल्ली जाकर, लंदन जाकर आपकी तारीफ करता है कि उत्तराखण्ड में हास्पिटलिटी बहुत सुंदर है, मेहमाननवाजी बहुत सुंदर है, इतने अच्छे स्थल हैं। तो जो उसकी आत्मा कहेगी, जो शब्द वह कहेगा, वह हमारा असली पुरस्कार है। यह कागजों के पुरस्कार और प्रमाण–पत्र लेने से चार चाँद नहीं लगते हैं।

मान्यवर, कल समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में वृद्धावस्था, विकलाँग पेंशन की बात हुई थी। हमने अपनी सरकार के कार्यकाल में 133 प्रतिशत की वृद्धि की थी। माननीय मुख्यमंत्री, निशंक जी के मुँह से निकल गया कि हमने दोगुना कर दिया, 400 रुपये यह पेंशन थी, पहले उनके मुँह से निकल गया, बाद में उन्होंने कि हमने संख्या बढ़ाई।

(माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र सिंह रावत द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

शैलेन्द्र जी, माफ करें, सरलीकरण तो हमारी सरकार के ही समय हो गया था। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे माँग कर रहे हैं कि आज चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी 15 हजार रुपये वेतन ले रहा हैं। जब मेरी कमीशन से नियुक्ति

ए0के0 कॉलेज, शिकोहाबाद में हुई थी, तो मुझे पहला वेतन 716 के स्केल पर 1300 रुपये मिला था। आज जब हम यूनिवर्सिटी में हैं, तो लगभग 70 हजार रुपये वेतन मिल रहा है, उससे भी अधिक मिल रहा है। तो हमार वेतन बढ़ गया।

(माननीय मंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

जितना माननीय मंत्रियों को मिलता है, उतना ही मुझे भी मिलता है, ज्यादा नहीं है, आप ही के बराबर है। अरे त्रिवेन्द्र जी, आप हमारे भाई हो, भाई के बराबर रहना चाहता हूँ, भाई से अधिक कैसे ले सकते हैं। (हँसी)

(माननीय मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

मान्यवर, सब रावत एक ही हैं, आप रावतों में गोत्र विभाजन क्यों कर रहे हो ? इन पंडितों का काम ही यही है, गोत्रों का विभाजन करना। हम रावत हैं, इससे काम नहीं चल रहा है क्या, वह भी हरिद्वार के पंडित, जब तुम सारी दुनिया के लोगों का मुंडन करा देते हो तो हम रावतों का मुंडन कराने पर क्यों तुले हो, भैया ? (हँसी) मान्यवर, मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ जिस तरह महँगाई बढ़ी है चावल की कीमत, गेहूँ की कीमत, दाल की कीमत, तेल की कीमत बढ़ी है, कम से कम ढाई हजार रुपये पेंशन होनी चाहिए, ढाई हजार से कम पर कोई विधवा, कोई विकलांग, कोई वृद्ध जीवन–यापन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) केन्द्र सरकार जितना दे रही है, फिफ्टी परसेंट दे रही है न, बाकी आप कर दो। मैं कह रहा हूँ, माननीय वन मंत्री जी, बड़े भाई हैं इसलिए मैं जंगल मंत्री नहीं बोलूँगा, माननीय वन मंत्री जी, प्रदेश सरकार बहुत सारी योजनाएं, जो केन्द्र सरकार से नहीं हुई होती हैं, लेकिन अपने प्रदेश के गरीब, विधवा, विकलाँग, युवाओं के लिए अपने स्तर पर भी योजनाएं चलाती हैं। कुछ तो खुद करो, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ तो खुद करो। सबसे बड़ी चिन्ता अगर किसी की है, अरे हम मठ, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, पूजा–अर्चना करते हैं, उसे पूजा–अर्चना से, उस स्तुतिगान से कुछ नहीं मिलने वाला है।

अगर सही मायने में हमने इन वृद्ध, विधवा, विकलांगों के आँसू पोंछ पाये तो ये हमारी सच्ची तपस्या होगी, हमारी पूजा होगी, हमारी आराधना होगी और ये अच्छा काम इस सरकार को करना चाहिए। केन्द्र सरकार से क्या मिल रहा है, इसके हेर–फेर में नहीं पड़ना चाहिए। इन असहाय लोगों के आँसू पोंछने के लिए केन्द्र सरकार की ओर मत झाँकों, केन्द्र सरकार की ओर मत ताको, अपनी ओर देखो कि हम क्या कर सकते हैं इन गरीबों के लिए, इन

असहाय लोगों के लिए निशंक जी की सरकार क्या कर सकती है, ये सोचना चाहिए। महिला कल्याण में आपने विजया जी, महिला मंत्री, 50 लाख रखा, महिला कल्याण के लिए निधि अब 50 लाख में क्या होता है ? इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम 10 करोड़ के आस–पास महिला कल्याण निधि हो, जिससे हम महिलाओं के कल्याण के लिए कोई योजना बना सकें, कोई काम कर सकें। मैं माध्यमिक शिक्षा में एक बात भूल गया था, ये पी0पी0पी0 क्या हुआ ? पहले हम उत्तर प्रदेश में सोचते थे, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो जो प्रमोशन में होते थे, जो प्रोविएशन पीरियड में होते थे और जो पनिशमेंट में होते थे उनको उत्तराखण्ड में भेजा जाता था। उत्तर प्रदेश में निशंक जी हम यही तो कहते थे, मंत्रियों से जाके, मुख्यमंत्री से जाके कि भईया आपने उत्तराखण्ड में हमको तीन पी0पी0पी0 भेज दिये। अधिकारी या तो प्रोमोशन पर भेज दिये उत्तराखण्ड कि इसको काला पानी कर दो या प्रोविएशन पीरियड को भेज दिया था पनिशमेंट में भेज दिया। हम कहते थे कि तीन पी0। अब शिक्षा विभाग में मेरी समझ में नहीं आया, बिजली विभाग में सुन रहा था कि कुछ लोग जल विद्युत परियोजनाओं में कुछ पी0पी0पी0 हो गया है। कुछ लोग हँसी मजाक में कह रहे थे कि ये पी0पी0के0 हो गया है। हाँ वो दिनेश जी, आप ही कह रहे थे न, हाँ, दिनेश जी कह रहे थे, अब ये शिक्षा विभाग में भी पी0पी0पी0 चल गया। अरे कौशिक जी, ये शिक्षा विभाग से आपका पीछा छूट गया अब इसको पी0पी0के0 तो मत मारो भईया। (हँसी) ट्रेड टैक्स की बात हुई थी।

अरे, आप चिंता मत करो, ऐसा है भईया मैंने अपने भाषणों में कहा लोक सभा चुनाव में कि खण्डूड़ी जी ने, मुख्यमंत्री ने बजट भाषण दिया, अरे सुनो पाण्डे जी, मान्यवर, पिछली बार खण्डूड़ी जी ने सवा घंटा भाषण दिया तो 5 गिलास पानी पिया, मैंने सवा दो घंटा भाषण दिया तो एक बूँद भी पानी नहीं पिया। माननीय अध्यक्ष जी, जब मुझे लगेगा कि आपकी हँसी समाप्त हो गयी है तो मैं अपना भाषण समाप्त करा दूँगा। आपने कहा कि वाणिज्य कर 16.7 प्रतिशत हम बढ़ायेंगे, ट्रेड टैक्स अधिक मिलेगा। आपने प्राविधान में प्रस्तावित किया है 220.80 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष जी, इसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रेड टैक्स कैसे ज्यादा मिलेगा। अभी एक विवाद हुआ था जो इनकाउन्टर हुआ था, साहब, वह जो मोटर साईकिल थी वह एच0आर0 नम्बर की थी, इसलिए हमने दूसरे प्रदेश की मोटर साईकिल समझकर उनको रोका। हमारे प्रदेश के मुकाबले लोग दूसरे प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन इसलिए करा रहे हैं कि वहाँ ट्रेड टैक्स कम है, इससे उनको अधिक फायदा होता है, इसलिए उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो ट्रेड टैक्स है, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं, उसमें हमारी ऐसी नीति हो जिससे अधिक से अधिक लोग सेल्स टैक्स पेमेन्ट करें। हम किसी होटल में खाना खाते हैं तो साढ़े 12 परशेन्ट सेल्स टैक्स देते हैं, मदिरा पर 20 परशेन्ट टैक्स देते हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो ट्रेड टैक्स है यह अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें विचार

करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर हम टैक्स घटाकर आय बढ़ा सकते हैं, कम टैक्स करके अधिक आय कर सकते हैं, यह एक इकोनोमिक्स फाइनेंस का फार्मूला है कि कम टैक्स अधिक आमदनी, अगर हम इस नीति पर चलेंगे तभी प्रदेश को ट्रेड टैक्स में लाभ हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई अपने परिवार के सदस्य को कोई भूमि, सम्पत्ति दान करेगा उस पर आपने स्टाम्प शुल्क दो प्रतिशत प्रस्तावित कर दिया। इससे उन गरीब लोगों पर जो बहुत गरीब हैं अपनी सम्पत्ति को अपने परिवार के लोगों को दान कर रहे है उस पर आपने टैक्स लगा दिया। परिवहन में आपने जो परिव्यय रखा है 203 करोड़ रुपये बहुत कम है,ऊर्जा में आपने 550 करोड़ रुपये रखा जो बहुत कम रखा है। पेयजल के मामले में काफी कुछ सदन के सम्मुख आ चुका है, पम्पिंग योजनायें बन्द हैं। भैरवगढ़ी पम्पिंग योजना, पेयजल में आपने व्यवस्था की 118 करोड़ रुपये की। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में जैसे कल अमृता जी ने भी उल्लेख किया है द्वारीखाल, जयहरीखाल, दुगड्डा ब्लॉक के लिए हमारी सरकार में भैरवगढ़ी पम्पिंग योजना स्वीकृत हुई थी 23 करोड़ की, जिसकी लागत बढ़कर अब 50 करोड़ रुपये हो गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक पम्पिंग योजना की कीमत 50 करोड़ रुपये है। आप 110 करोड़ रुपये से प्रदेश की जनता को कैसे पानी पिलायेंगे। ट्यूबबेल के लिए क्या व्यवस्था होगी, हैण्ड पम्प कैसे लगेंगे ? यह बहुत ही सोचनीय विषय है। सिंचाई में 423 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। माननीय पन्त जी, आपके पास पेयजल विभाग है। पन्त जी ने खण्डूड़ी जी को पानी पिलाया। मैं देख रहा था जिस दिन निशंक जी, आपका भाषण हो रहा था तो आपको भी पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे। पन्त जी ने अच्छे–अच्छे को पानी पिलाया। हम क्या हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई में 423 करोड़ रुपये रखा है। कैसे काम चलेगा। वास्तव में यह राशि क्या बहुत कम नहीं है। उत्तराखण्ड के खेत–खलिहानों को और न ही हमको पानी मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मोटर मार्गों के लिए 1007 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। जब से आपकी सरकार आई, मुझे याद आती है माननीय तिवारी जी की। जब हम उनके पास 25 सड़कों के प्रस्ताव लैटर पैड में लेकर जाते थे यह सोचकर कि जब हम 25 लिखेंगे तो शायद 3–4 सड़कों के लिए हाँ कर दें। जैसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते थे शायद तिवारी जी भी ऐसा ही करेंगे। हम 15–16 कि0मी0 लम्बी सड़कों का प्रस्ताव लेकर जाते थे यह सोचकर कि 3–4 या 5 कि0मी0 के लिए हाँ कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी उस समय विधायक थे। मुझे तो ताज्जुब होता है कि चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों। आप उस समय इस बैंच में बैठते थे तो सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक हों, जब तिवारी जी के पास जाते थे और तिवारी जी 25 की 25 सड़कों के प्रस्ताव को मंजूरी दे देते थे और यदि 45 कि0मी0 की भी सड़क है, वे सहमति दे देते थे और वे शासनादेश जारी हो जाते थे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विजया बड़थ्वाल जी पूर्व में विधायक थी, तिवारी जी के शासनकाल में उनके बयानों को मैं अखबारों में पढ़ता था कि विजया जी को सड़कों की स्वीकृति पर उनका आभार व्यक्त

करते हैं। उनके चमचों के बयान, चमचा तो मैं नहीं कहूँगा कार्यकर्ता कहूँगा, कार्यकर्ताओं के बयान आते उनके द्वारा माला पहनाकर माननीय विजया जी का अभिनन्दन किया जाता। माननीय तिवारी जी आप पर बड़े मेहरबान रहे। माननीय तिवारी जी राज्यपाल बनकर हैदराबाद चले गये। माननीय विजया जी, आप से तो बहुत सीखने की आवश्यकता है। आपके पतिदेव श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। वे तो मेरे बड़े भाई के समान हैं। अब या तो उनसे सीखूँगा। तिवारी जी थे, आप पर तिवारी जी का वरदहस्त था। हमारी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष सरोजनी जी थीं, वे कहती थीं माननीय तिवारी जी को क्या हो गया है, माननीय विजय जी, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और सड़कों की व अन्य बहत सारी योजनायें इनकी स्वीकृत हो रही हैं उनका बयान होता था। क्यों अमृता जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ माननीय खण्डूड़ी जी का भी आप पर वरदहस्त रहा। विजया जी, हमको भी सिखा दें, यह कैसे सीख गईं आप। तिवारी जी तो अब राज्यपाल बनकर हैदराबाद चले गये हैं। लेकिन खण्डूड़ी जी अभी भी इस सदन के सदस्य हैं। उनके खिलाफ नहीं बोल सकती हैं आप।

माननीय अध्यक्ष जी, विजया जी कह रही कि हमारी अपनी सरकार में नहीं हुआ। मेरी विधान सभा में आइयें माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से और विधान सभाओं की स्थिति भी है। फतेहपुर से लैंसडाउन हॉट मिक्स सड़क, लैंसडाउन से रिखणीखाल को, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। हॉट मिक्स सड़क लैंसडाउन से मसकाली तक हॉट मिक्स सड़क, सतपुली से संगलाकोटी हॉट मिक्स सड़क, सतपुली से चौबट्टाखाल हॉट मिक्स सड़क। जो सड़के कच्ची थीं, सब पक्की जो पक्की थी, वह हॉट मिक्स और जिन गाँवों में सड़क नहीं थी वहाँ सड़क। मान्यवर, जो कच्ची सड़कें थीं, वह पक्की और जो पक्की थी उसमें हॉट मिक्स, यह माननीय तिवारी जी का शासन था, यानी काँग्रेस सरकार का शासन था। मित्रों, शिकायत कर लो आप पुराने 19 विधायक जीत के आये हो। इसमें कहीं न कहीं माननीय तिवारी जी का श्रेय होगा, इसको मन से स्वीकार करो। यदि तिवारी जी ने आपकी योजनाएं स्वीकृत नहीं की होती तो ऐसा कभी नहीं होता मित्रों, कि विपक्ष के पूरे–पूरे के विधायक लौट के आ जायें। आज तिवारी जी की सरकार नहीं है, यानी काँग्रेस की सरकार नहीं है, आप ये कहते हुए फिरोगे कि तिवारी जी ने कुछ नहीं किया यानी काँग्रेस की सरकार ने हमारी योजनाएं स्वीकृत नहीं की। यह नाइंसाफी तिवारी जी के प्रति नहीं कर रहे हो यानी काँग्रेस के प्रति नहीं कर रहे हो। आप आज बिस्तर में जाकर ठण्डे दिमाग से सोचना आँख बन्द करके कि तिवारी जी ने आपको क्या दिया था, क्या नहीं दिया था और अब क्या मिला ? (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, सैनिक कल्याण की बात कर रहा हूँ जिसे उपसुल कहते हैं, जिसका गठन हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। माननीय पन्त जी, आपने भी उसमें अंगुली उठायी थी, हमने भी उठायी थी। (हँसी) हाँ, जो गलत है, वह गलत है, चाहे सरकार में हो या न हों। हम किसी के बंधुवा मजदूर थोड़ी हैं। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय निशंक जी, वह उपसुल सैनिकों के भलाई के लिए बनाया गया है। वह भूतपूर्व सैनिकों के भलाई के लिए काम करे और उनकी विधवा महिलाओं के लिए काम करे और उनके परिवार के लिए काम करे। मान्यवर, अब तो वह ठेकेदार बन गये हैं। मान्यवर, मैं अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज

में गया था तो उनमें भूतपूर्व सैनिकों की नहीं और उनके परिवारों की नहीं लेकिन वह सब नियुक्तियाँ उपसुल के माध्यम से हुई हैं।

मान्यवर, क्या यह उपसुल ठेकेदार की कम्पनी है ? यह जो बेमानी हो रही है वह भूतपूर्व परिवार के लिए हो रही हैं। मान्यवर, यह उन नौजवानों बेरोजगारों के प्रति भी शोषण हो रहा है और ठेकेदारों के माध्यम से नौकरी दी जा रही है और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मान्यवर, तकनीकी शिक्षा के बारे में कहना है। पॉलिटैक्निकों के पास भवन नहीं हैं, प्रवक्ता नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं। श्रीनगर, सतपुली में हमने पॉलिटैक्निक स्वीकृत किया था। आज इस पॉलिटैक्निक में तीन वर्ष हो गये हैं किसी ने सुध नहीं ली। सतपुली के बच्चे श्रीनगर पॉलिटैक्निक में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मान्यवर, जो संविदा पर इन पॉलिटैक्निक में कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में चुप हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में इसका उल्लेख नहीं है। इन संविदा कर्मचारियों ने इतने लम्बे समय से अध्यापन का काम किया, उनका भविष्य क्या होगा, इस बारे में सरकार का ध्यान नहीं गया हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपदा मामले में कहना चाहता हूँ, जब मैं आपदा प्रबन्धन मंत्री था, इस समय हमने मुख्यमंत्री आपदा प्रबन्धन कोष का गठन किया था। हमने कहा था कि जिन महिलाओं को साप काटता है और जंगली जानवर मार देता है और पेड़ से घास काटते हुए हमारी महिलाएं गिर जाती हैं और चट्टान से गिर जाती है मान्यवर, इसके लिए मुख्यमंत्री आपदा प्रबन्धन कोष का निर्माण होना चाहिए था, इसका हमने निर्माण कराया और उनका खाता खोला था। लेकिन इनके लिए क्या योजनाएं हैं, इस दिशा में सरकार चुप है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के लिए और इनके बहुत सारे पत्र मेरे पास आये कि रावत जी, हमने मुख्यमंत्री का बजट भाषण पढ़ा जिन्होंने भारत को आजाद किया था। आज उनका आप उल्लेख करना भूल गये, आप उनका सम्मान करना भूल गये। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने देश के लिए इस भारत माँ की आजादी के लिए खुशी–खुशी फाँसी का तख्ता चूम लिया और अपने गले में फाँसी डाल दी, उनके सम्मान में एक शब्द नहीं है इस बजट भाषण में। आप और हम यहाँ बैठे हैं, खुली साँस ले रहे हैं, उन आजादी के दीवानों को हम कैसे भूल सकते हैं, आपने उल्लेख करना भी उचित नहीं समझा। कस्तूरी की मैं बात कर रहा हूँ, वन विभाग के मामले में लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, पूरे उत्तराखण्ड में जो आँकड़े हैं, एक ही कस्तूरी मृग रह गया है, सारे मारे जा चुके हैं, इसके लिए सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

हमारे जो व्यापारी है, फुटपाथ पर अपनी दुकान चलाते हैं, भारत सरकार ने 2004 में फुटपाथ नीति बनाई है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फेरी नीति, 2004 लागू की गयी, उन गरीब दुकानदारों के लिए जो सड़क के किनारे बैठकर दुकान चलाते हैं, जो राष्ट्रीय फेरी नीति है उसका उल्लेख नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, बहुत सारे विभाग जिनका उल्लेख मैं नहीं कर पाया हूँ, कृषि विभाग में हमारे त्रिवेन्द्र जी बैठे हैं, मैं इसलिए उल्लेख नहीं कर रहा हूँ कृषि विभाग का, कि सूखा पड़ गया है, कृषि ही नहीं है, फसल ही नहीं है तो त्रिवेन्द्र जी, आप क्या करोगे, लेकिन कृषि मंत्री

जी, आपको कुछ सोचना चाहिए, पिछली बार मैंने खण्डूड़ी जी को कहा था, मैंने चैक भेंट किये थे खण्डूड़ी जी को, मैंने कहा कि आपने सूखे के नाम पर चैक बँटवाए, ब्लॉक में लोग गये, मैंने सदन के सम्मुख बात कहीं, 100 रु0 जाने आने में खर्च हुए, खाना भी खाया और 200 रु0 खर्च हुआ और 10 रु0 के चैक मिले, 250 रु0 आने जाने में खर्च कर रहा है और चैक मिल रहे हैं 25 रु0 का और अधिकतम कितना 40 रु0 का, कृषि मंत्री जी नोट कर रहे हो, अरे नोट ही मत करते रहना। अरे इनके देने से नहीं चलेगा, निशंक जी की तरफ देखो, निशंक जी के पास बहुत बड़ा खजाना है, व्यक्तिगत भी खजाना है और मुख्यमंत्री जी के रूप में भी खजाना है, वित्त मंत्री जी भी तो आप ही हैं। इसलिए कहा मैंने कि व्यक्तिगत खजाना है और मुख्यमंत्री के रूप में खजाना है। त्रिवेन्द्र जी, दिनेश जी तो पुराने लैण्ड लार्ड आदमी हैं आप और हम जब गाँव में रहते थे तब भी ये देहरादून में रहते थे, जब हम देहरादून आने की सोचते थे, हम जब देहरादून आते थे और बस अड्डे में आ करके उतरते थे तो हम चकरा जाते थे कि किधर जाएं, हमको यह नहीं पता था कि धर्मपुर कहाँ है ? कौन चौराहा कहाँ है ? तब हमारे दिनेश जी यहाँ मोटर साईकिल में घूमते थे, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं हमारे दिनेश जी, आज कोई कह रहा था कि अगर दिनेश जी के बाल काले आ जाए तो देवानन्द से कम नहीं हैं, हमारे दिनेश जी (हँसी)।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए और केन्द्र से जो सूखे के नाम पर सहायता मिलती है, जो मिलती है, वह मिलती हो लेकिन इसको एक धार्मिक अभियान के रूप में, राज्य धर्म के रूप में इस सरकार को लेना चाहिए और उन गरीब किसानों को, जिनकी खेती सूख गयी है उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से आपका आभारी हूँ। बहुत कुछ कहना था, बहुत सारे विभाग हैं। मान्यवर, जब माननीय कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने थे तो मैं माननीय त्रिवेन्द्र जी के घर गया तो वहाँ पर मैंने गाय देखी तो माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दो डेरी देखने का सौभाग्य मिला, एक माननीय कण्डारी की बंशीवाला में मेरे साढू भाई की डेरी देखी तो वहाँ पर 15 भैंस थी और एक साल में 5 बची हैं तो मैंने दीदी से कहा जो माननीय कण्डारी जी की मिसेज हैं कि अब तो 5 भैंस हैं तो उन्होंने कहा रावत जी, सब भैंसे मर गई है और माननीय त्रिवेन्द्र जी, आपकी भैंसें सभी जीवित है।

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, सभी ठीक हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, लेकिन मुझे आपके चेहरे पर गाय के दूध की रौनक नहीं दिख रही है माननीय कौशिक जी के चेहरे पर रौनक दिख रही हैं माननीय श्री त्रिवेन्द्र जी, दूध का व्यापर करते हैं, कितना सम्मानजनक है। मान्यवर, हमारे

श्रीनगर के दुकानदार कह रहे कि हम माननीय कौशिक जी को फोन करते हैं कि 30 रुपया किलो वाला मावा भिजवा देना तो मैंने कहा कि ये 30 रुपये वाला कौन सा मावा है, माननीय निशंक जी, मैं सच कह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई मावे, दूध, पनीर की लड़ाई है, माननीय कौशिक जी कहते हैं कि माननीय शहजाद जी, आपका दूध नकली था इसलिए पनीर सही नहीं बन पाया, ये पनीर दूध की लड़ाई इस सदन में न लाया करें। (हँसी)

श्री शहजाद–

मान्यवर, अगर एक साल में 15 में 10 भैंस मारेंगे तो नकली दूध ही मिलेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से इस प्रदेश के नौनिहालों को गाय का शुद्ध दूध मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है कि जिसे हम कहते हैं भारत माँ, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं और यह उत्तराखण्ड यहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, अगर हम यह बात कहते हैं तो हमें इस विषय पर गम्भीरता के साथ सोचना होगा कि कैसे दूध इस प्रदेश में बढ़ सके, अच्छा दूध मिल सके हमारे लोगों को, उपभोक्ताओं को, प्रदेश की जनता को। इस दिशा में माननीय त्रिवेन्द्र जी, हमें कारगर कदम उठाने होंगे। अल्मोड़ा में महिला डेरी आपने बनाई है, 150 कर्मचारी, जो सुपरवाईजर हैं महिला डेरी में, आज तक नियमित नहीं हो पाये हैं, कल उनका टेलीफोन मुझको आया कि रावत जी, हम 10–15 साल से दैनिक वेतन संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नियमितिकरण करने की सरकार की कोई योजना नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि उस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए। मान्यवर, हमारा रावत भाई कैसे अच्छा कार्य कर सके, उनकी छवि कैसे निखर सके इसलिए उनको सुझाव दे रहा हूँ। मान्यवर, मैं घोड़े–खच्चरों की बात कर रहा हूँ इनकी बीमा योजना होनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा पर बहुत लोगों के घोड़े–खच्चर मरे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय कल आ गया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हाँ, कल यह विषय आ गया था, इस पर मैं इसलिए और बल दे रहा हूँ कि इस दिशा में आपने कल घोषणा कर दी हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने चाहे किसान हों, महिलाएं हो या अल्पसंख्यक हों। अल्पसंख्यक के मामले में कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की हैं चाहे वह ऊर्दू,

फारसी के जो तमाम संस्थाएं एवं मदरसे थे, उनका कैसे विकास किया जाय, अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था कैसे की जाय, उनके धार्मिक रीति रिवाज इस प्रदेश में कैसे सुचारू रूप से चल सकें, इस दिशा में कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, किसान के क्षेत्र में हो, युवक–युवतियों के क्षेत्र में हो, वृद्ध, विधवा, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक हो, इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने सबको निराश किया है और माननीय खण्डूड़ी जी का वर्ष, 2008–2009 बजट है और ये माननीय खण्डूड़ी जी का वर्ष, 2009–2010 का यह बजट है, इसको उठाकर के आप यदि देखेंगे। (व्यवधान)

*श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, यह वर्ष, 2009–2010 का बजट माननीय निशंक जी का है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय पाण्डे जी, मुझसे इसलिए गलती हो रही है, चूँकि जब 27 तारीख को माननीय निशंक जी ने शपथ ले ली और कल मैंने जो अखबार दिखाया था 28 तारीख को, उस पर माननीय खण्डूड़ी जी का विज्ञापन छपा था। जिस पर माननीय खण्डूड़ी जी का पूरा एक पेज का विज्ञापन छपा था। मान्यवर, मैं 27 तारीख को माननीय निशंक जी को शपथ दिलाकर, इनका अभिनन्दन करके हम दिल्ली चले गये थे। मैंने 28 तारीख को सुबह–सुबह देखा तो माननीय खण्डूड़ी जी का विज्ञापन छपा था, पहले तो मैंने आँखें घुमायी, कहीं मैं गलत तारीख का पेपर तो नहीं देख रहा हूँ, फिर मैंने सोचा इस अखबार में तारीख गलती से गलत पड़ गयी होगी, तब मैंने किसी से पूछा आज तारीख क्या है ? तो उन्होंने बताया 28 तारीख है और तब मैंने देखा अखबार में भी 28 तारीख छपा है, फिर मैंने सोचा प्रिंट में गलती हो गयी होगी, फिर मैंने दूसरा अखबार मँगाया तो उसमें भी 28 तारीख ही छपी थी तो मैंने सोचा 28 तारीख को मुख्यमंत्री माननीय खण्डूड़ी जी कैसे हो गये ? यह कोई हल्की बात नहीं है मान्यवर, यह बात ठीक है कि आपने विज्ञापन छपने को पहले दे दिया हो, लेकिन वह छपा 28 तारीख को, लेकिन यह बहुत बड़ी संवैधानिक भूल है, चाहे जिससे भी हुई हो, यह कैसे हो सकता है कि विज्ञापन मुख्यमंत्री के रूप में माननीय खण्डूड़ी जी का छपा हो। मान्यवर, जो राशन कार्ड लोग मुझे दिखाते हैं उस पर भी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय खण्डूड़ी जी का उल्लेख है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में लगभग बीस–पच्चीस लाख से ज्यादा राशन कार्ड होंगे। इतने राशन कार्डों पर जब हम मुख्यमंत्री के रूप में माननीय खण्डूड़ी जी देखेंगे तो मुझे भी कनफ्यूजन हो जायेगा कि मैं वर्ष, 2008–09 में माननीय निशंक जी को कह रहा हूँ और वर्ष, 2009–2010 में माननीय खण्डूड़ी जी को कह रहा हूँ, इसलिए पाण्डे जी, आप चिंता मत करो। मान्यवर, मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, पाण्डे जी, इशारा समझना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट है, दोनों ऐसे लग रहे हैं, जैसे नकल कर दी गयी हो। दोनों बजटों को, कल शाम को मुझे समय मिला तो मैंने देखा, यहाँ भी देख रहा हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी कह रहे थे समय मिला ही नहीं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया। (व्यवधान) मैं मास्टर आदमी हूँ, ऐसे पलटने से भी कुछ समझ में आ जाता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पूरा पढ़ा होता तो फिर क्या होता ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रीतम सिंह जी से मित्रता कुछ ज्यादा हो गयी हैं बार–बार छेड़ दे रहे हैं, आपको। अच्छा खासा खत्म हो रहा था भाषण।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे बड़े भाई हैं। उनमें और मेरे में तय हुआ है। जैसे एक दिन मुझमें और निशंक जी में तय हुआ। निशंक जी, उम्र में मुझसे कम लगते हैं।

*श्री राजकुमार–

मान्यवर, आपने अपनी उम्र घटा दी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सच है तो घटाऊँगा ही। आप तो दिखने में भी राजकुमार हैं और वैसे भी राजकुमार हैं। मान्यवर, मैं सोचता था, निशंक जी मुझसे उम्र में छोटे हैं, एक दिन मैंने निशंक जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है ? तब पता चला निशंक जी भी मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे दो साल बड़े हैं। मैं सोचता था प्रीतम सिंह जी कितने स्मार्ट आदमी हैं, मैं सोचता था, ये मुझसे छोटे होंगे लेकिन ये मुझसे कुछ दिन बड़े हैं। (व्यवधान)

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने पन्त जी के बारे में नहीं कहा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे नहीं पता है कि पन्त जी की उम्र कितनी है।

श्री रणजीत रावत–

आपकी उनसे अन्तरंगता नहीं रही कभी ?

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत अन्तरंगता है। संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेता की मित्रता नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। चोली दामन का साथ है। (व्यवधान) लेकिन वो फिल्म वाली चोली नहीं है। एक गाना है, (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह नहीं रहा हूँ। (व्यवधान) लेकिन मित्रता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता था और कहने के लिए बहुत कुछ है भी क्योंकि यह एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, दस व्यक्तियों का सवाल नहीं है, सौ व्यक्तियों का सवाल नहीं है, एक हजार व्यक्तियों का सवाल नहीं है, एक लाख व्यक्तियों का सवाल नहीं है, यह पूरे प्रदेश की एक करोड़ जनता का सवाल है और एक करोड़ जनता के हित में एक घण्टा क्या, चार घण्टा क्या, कई सौ घण्टे भी अगर हम विचार–विमर्श करें, उनके हित की बात करें, तो मैं यह सोचता हूँ कि यह कम है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, कहना तो बहुत कुछ चाहता था–

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले।

बहुत निकले अरमां मेरे फिर भी कम निकले।।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, (व्यवधान) माननीय शहजाद जी, अब कुछ आपके लिए भी रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि यह प्रदेश हम सबके बड़े संघर्ष और बलिदान के बलबूते पर मिला है। उन तमाम लोगों को भी मैं नमन करना चाहता हूँ, जिन शहीदों ने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी है। उनके बलिदान के बलबूते पर यह राज्य हमको मिला है। आज उनको नमन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उनके लिए सही मायने में हमारा नमन, सच्ची श्रद्धाजंलि तब होगी, जब उनके उस सपने को, उत्तराखण्ड राज्य बनाने का जो सपना उन्होंने देखा था और नारे लगाए थे–"आज दो अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो।" "बद्री, केदार से आयी आवाज, धारचूला से आयी आवाज उत्तराखण्ड दे सरकार।" गढ़वाली भाषा में कहा था, "कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखण्ड राज्य बनाएंगे।" उनके इस नारे और उनके इस सपने को पूरा करना है। (व्यवधान) गोपाल जी, इस उत्तराखण्ड राज्य के लिए हमने कभी नहीं कहा, हम भी एक आन्दोलनकारी रहे हैं। निशंक जी, इस बात के गवाह हैं, बेनाम जी भी यहाँ बैठे हैं, कि उत्तराखण्ड राज्य का आन्दोलन, जो कि पौड़ी से शुरू हुआ था, यहाँ पर कोई जन आन्दोलन, कोई संघर्ष ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसमें इस बेटे की, इस भाई की सक्रियता नहीं रही हो। मान्यवर, उन शहीदों को सही मायनों में हमारा नमन तब होगा, जब उनके सपने का उत्तराखण्ड बनेगा, उत्तराखण्ड आन्दोलन में जो शहीद होते हुये जब उत्तराखण्ड का उद्घोष करते हुये, जिन्होंने सीने पर गोली खाई थी। चाहे वह हंसा धनाई हों, राजेन्द्र रावत हों या खटीमा के भूतपूर्व सैनिक हों या श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू के शहीद बेंजवाल हों। उत्तराखण्ड आन्दोलन के जितने भी

शहीद हैं, नौजवान है, भूतपूर्व सैनिक हैं या महिलायें हैं, उन्होंने पीठ पर गोली नहीं खाई, सबने सीने पर गोली खाई है। हमने उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चुनौती देते हुये कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आपकी गोलियाँ कम पड़ेंगी, लेकिन उत्तराखण्ड की युवतियों, वीराँगनाओं और वीरों के सीने गोली खाने के लिय कम नहीं पड़ेंगे। आज उनके सपने को तभी साकार किया जा सकेगा, जब उनके सपनों के उत्तराखण्ड को बनाने में हम कामयाब हो सकेंगे। तो मैं समझूँगा कि हम अपने राष्ट्र धर्म और राज्य धर्म और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह करने में हम कुछ हद तक सफल हुये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण प्रस्तुत करने के लिये माननीय सदन में उपस्थित हुये, मुझे यह लग रहा था कि इस बार पिछले दो वर्षों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा बजट इस सदन में पेश किया जायेगा। वास्तव में उन गरीबों के प्रति, उन महिलाओं के प्रति, जिन्होंने इस उत्तराखण्ड को बनाने में अपना योगदान दिया है, उनका विशेष ध्यान रखा जायेगा। लेकिन इस बजट भाषण को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि पिछले बजट भाषण, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी बताया कि यह उसी की फोटोकॉपी है, केवल कुछ शब्दों का हेर–फेर इसमें किया गया है। पिछली बार बहुत जोर–शोर से चर्चा की गई थी कि जेण्डर बजट के माध्यम से हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिये बहुत सी योजनायें लागू करेंगे। लेकिन जेण्डर बजट पढ़ने के बाद पिछली बार भी यही एहसास हुआ था और इस बार भी यही एहसास हो रहा है कि महिलाओं को धोखा देने के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। न महिलाओं के उत्थान की कोई बात इस बजट में दिखाई देती है और नहीं महिलाओं का उत्थान यह सरकार करना चाहती है। हाँ, इतना जरूर है कि इस सदन में पिछली बार हमारी बहन राज्य मंत्री थी, इस बार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया है। कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है, सिर्फ थोड़ा सा स्तर बढ़ा दिया गया है। लेकिन इससे भला होने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के बारे में बहुत बढ़ा–चढ़ा कर बात की गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो गाईड लाईन के अनुसार मान्यवर, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए पूरे बजट का 19 प्रतिशत बजट इस जाति के उत्थान के लिए होना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह बड़े खेद का विषय है कि ये बजट 19 परशेंट नहीं रखा गया। पिछले साल भी बजट कम रखा गया था, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के

अन्तर्गत उन लोगों को लाभ देने के लिए कुछ भी कार्य इस प्रदेश में नहीं किये गये हैं। न ही यह सरकार अनुसूचित जाति के प्रति संवेदनशील है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब इतना बजट एस0सी0पी0 के लिए आता है, अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किया गया है, ये राज्य सरकार कोई दान में उन्हें नहीं दे रही है, भारत सरकार ने तय किया है कि 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों पर खर्च होना चाहिए, उनके भविष्य पर खर्च होना चाहिए। भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार बजट का निर्धारण होना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, खेद का विषय है कि भारत सरकार के गाईड लाईन की पूर्णतः यहाँ उपेक्षा की जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप वास्तव में उन अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो इसका ठीक प्रकार से उपयोग होना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय तिवारी जी ने एक योजना चलाई थी कि एस0सी0पी0 की योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश के अन्दर उन गरीबों को जो भूमिहीन हैं, उन्हें जमीन खरीद कर दी जायेगी। लेकिन पिछले बजट में इसका बजट शून्य था, इस बजट में भी वो शून्य कर दिया गया है।

कैसी सोच है, इस सरकार की अनुसूचित जाति के प्रति, यदि अनुसूचित जाति को आप लाभ देना चाहते हैं, क्यों नहीं पॉलीटैक्निक खोलते है एस0सी0पी0 के अन्तर्गत, क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाते हैं, क्यों नहीं एस0सी0 छात्रों को वहाँ दाखिले दिये जाते हैं ? जब पैसा आपके पास है जब बजट आपके पास है तो क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खोले जाते हैं, क्यों नहीं अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान किया जाता है, लेकिन सरकार कागजों में उत्थान करना चाहती है। धरती पर उत्थान नहीं करना चाहती है, यदि सरकार अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान नहीं करना चाह रही है। मैं कहना चाहूँगा, यदि इस बजट मे वास्तव मे आप अनुसूचित जाति का उत्थान करना चाहते हैं तो भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार जो पैसा लैप्स नहीं हो सकता है, प्रति वर्ष उस पैसे को लैप्स किया जा रहा है। पिछले बजट में भी देख लीजिए 500 करोड़ में से 150 करोड़ लैप्स किया गया, उससे पहले 300 करोड़ लैप्स किया गया, उससे पहले 10 करोड़ रुपया लैप्स किया गया। क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं योजना बन रही है, अनुसूचित जाति के लोगो के लिए ? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लाभ को देखते हुए, उनके नौजवानों को देखते हुए, उनकी छात्रवृत्ति बढ़ाई जाय, उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं, उनके लिए पॉलीटैक्निक खोली जाएं, उनके लिए आई0टी0आई0 खोली जाए, उनके लिए स्पेशल मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। भूमिहीन लोगों को पट्टे देकर उन्हें भूमि दिलायी जाय, जिससे कि वे अपनी रोजी–रोटी कमा सकें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, न युवाओं के लिए इसमें कोई बात की गयी है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस उत्तराखण्ड में जितने भी नौजवान और बेरोजगार साथी हैं, वो सरकार की तरफ देखते हैं, कब हमारी सरकार हमारी तरफ देखेगी, कब हमें नौकरी देगी, कब हमें नौकरी देकर

रोजी–रोटी देगी ? मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार युवकों के प्रति इसमें उपेक्षा की गयी है और किसी भी युवा साथी को रोजगार देने की बात इस बजट में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक के बारे में एक भी बात इस बजट के अन्दर नहीं कही गयी है। न उनके मदरसों के बारे में सोचा गया है, न एजूकेशन मिशन के बारे में सोचा गया है।

मैं कहना चाहता हूँ, जब उत्तराखण्ड में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, जब उत्तराखण्ड में मुस्लिम समाज के लोग निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, क्यों उनकी उपेक्षा की जा रही है, क्यों नहीं उनकी तरफ देखा जा रहा है, क्यों नहीं सरकार उनके उत्थान की बात करती है ? इस बजट में उनके उत्थान की बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गयी है। मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जरूर 108 के माध्यम से एक सुविधा पूरे उत्तराखण्ड में उपलब्ध करायी है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) लेकिन साथ–साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी 108 जब मरीज को उठाती है तो उसमें जो बैठे हुए कर्मचारी हैं, उन्हें यह पता तक नहीं होता है कि कौन सी सुई किस जगह लगायी जाय, कौन सी सुई किस जगह लगा कर इसका जीवन जहाँ तक जाना है, उसे बचाया जाय। उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है और डॉक्टरों की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, जिससे कि जहाँ तक वो जाने के लिए, जिस हॉस्पिटल में वो जाने के लिए जा रहा है, वहाँ तक पहुँच जाय और वहाँ तक जाकर उसका जीवन बच सके और जब वहाँ पहुँचता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद 108 उसे भर्ती कर देती है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ी विडम्बना की बात है, यह बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर डाक्टर नाम का कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, एक चपरासी उसे भर्ती करता है, वहाँ पर दवाई दिखाई नहीं देती है, दवाई कहाँ जाती है, क्यों नहीं बजट में प्राविधान किया गया, पूरे उत्तराखण्ड में हॉस्पिटलों के लिए दवाई का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं बजट को बढ़ाया गया, क्यों नहीं इस बजट में दवाईयों के लिए प्राविधान किया गया ? इस बजट में इसका प्राविधान किया जाना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने बजट भाषण में चाहे गलती से कहा है, चाहे भूल से कहा है, निवेदन करूँगा कि विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। जब इस सरकार ने इस राज्य में इतनी महंगाई बढ़ाई है तो उनकी पेंशन बढ़ाने का दायित्व भी इस सरकार का है।

आज 400 रुपये में कोई भी अपना भला नहीं कर सकता। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है इसे कम से कम 3000 रुपये प्रति व्यक्ति की जाय। मैं विद्युत के बारे में कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि हम विद्युत के बारे में सोच रहे हैं, इस प्रदेश को विद्युत प्रदेश बनाना चाहते हैं, इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाकर हिन्दुस्तान में इसका नाम रोशन करना चाहते हैं। यदि वास्तव में आप इसे ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहते हैं, यदि वास्तव में इसे हिन्दुस्तान में आदर्श प्रदेश बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं बड़ी–बड़ी जल विद्युत योजनायें बनाने का प्राविधान इस बजट में किया गया ? मान्यवर, पाँच वर्ष पहले बिजली की कोई कटौती नहीं की जाती थी। आज 8–8 घंटे हरिद्वार के अन्दर गाँवों में बिजली की कटौती की जा रही है, गाँव का किसान परेशान है, जब बिजली आती है, फावड़ा लेकर जब खेत में चला जाता है, जब बिजली का बटन दबाता है, खाल काटने के लिए जाता है तो बिजली भाग जाती है, पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। यदि बिजली सही प्रकार से वहाँ पहुँच जाय तो वहाँ के किसानों को निश्चित रूप से पानी मिलेगा और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री है, क्योंकि उन्होंने आदरणीय खण्डूड़ी जी को अपना आदर्श माना है, यदि वास्तव में वे कागजों में आदर्श मान रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि वे उनके आदर्श हैं। यदि वह उन्हें वास्तव में आदर्श मानते हैं, उन्होंने एक घोषणा की थी कि पूरे उत्तराखण्ड में घरेलू बिजली के सरचार्ज को माफ किया जायेगा, इस बजट में उसका प्राविधान होना चाहिए था और उस सरचार्ज को माफ किया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से यह घोषणा की थी और आज उनका दायित्व माननीय निशंक जी पर है, मैं, उनसे निवेदन करूँगा कि आप घरेलू सरचार्ज को माफ करने की घोषणा करें। इसके साथ–साथ कुटीर ज्योति भी आप दे रहे हैं, उसे फ्री दिया जाना चाहिए।

मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, यह अच्छी बात है कि कॉलेजों को स्मार्ट बनाये जाने की बात की जा रहीं है, कॉलेजों की बिल्डिंग को स्मार्ट मत बनाईये, बिल्डिंग को स्मार्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, कम्प्यूटर देने से काम नहीं चलेगा, आप वहाँ पर शिक्षक दीजिए, शिक्षक ऐसे दीजिए जो वहाँ के नौजवानों को, बच्चों को तराश कर हीरा बना सकें, ऐसे शिक्षक वहाँ दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे डी0एम0, एस0डी0एम0, मुख्यमंत्री बन सकें और प्रधानमंत्री बन सकें, ऐसी शिक्षा की यहाँ आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आबकारी के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस बजट में भी कहा है कि आबकारी की तस्करी को रोकने के लिए सचल दस्ते बनाये जा रहे हैं, तस्करी को रोकने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आबकारी मंत्री जी मन से तस्करी रोकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस

उत्तराखण्ड में आबकारी में शुल्क बढ़े, तो सोच लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान में सबसे सस्ती शराब उत्तराखण्ड में होनी चाहिए। जो तस्करी आज उत्तराखण्ड में हो रही है, हरियाणा से हो रही है, पंजाब से हो रही है, कल वह स्थिति दूसरे प्रदेशों की भी होगी, यह मैं आबकारी मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ। इसके साथ–साथ उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ, उच्च शिक्षा के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर राजकीय कॉलेज खोले जायेंगे, केवल छात्रावास बनाने से काम चलने वाला नहीं है, माननीय मख्यमंत्री जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद के अन्दर एक भी राजकीय विद्यालय, एक को छोड़ दीजिए क्योंकि लक्सर के माननीय विधायक जी ने पिछली बार एक विद्यालय स्वीकृत कराया था। तो मैं कहना चाहूँगा, पूरे हरिद्वार के अन्दर राजकीय विद्यालय नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बजट भाषण में घोषणा करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार में जनसंख्या के आधार पर आपको निश्चित रूप से वहाँ पर महाविद्यालय खोलने चाहिए। जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भला हो सके, वहाँ के लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, वे उन्नति कर सकें, तरक्की कर सकें, उन्हें रोजगार मिल सके। खाली कागजों में कहने से बात चलने वाली नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, परिवहन के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि आपने बजट में 140 बसें लेने की बात कही है। वास्तव में यह बात ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, परिवहन मंत्री जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें उससे पहले भर्ती तो कर लें। कहीं संविदा के चक्कर में न फसें, नहीं तो एक्सीडैंट होने में देर नहीं लगती है। योग्य ड्राइवरों और कन्डक्टरों को रखें। उनकी आयु भी निर्धारित होनी चाहिए। ड्राइवरों की उम्र 25 से 40 साल तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई के बारे में कहना चाहूँगा कि सिंचाई विभाग का बजट वास्तव में बहुत कम रखा गया हैं मैंने सदन में नियम–300 के अन्तर्गत प्रश्न लगाया था, उसमें जवाब आया था कि बाढ़ सुरक्षा और लघु सिंचाई के बारे में जब मैंने सवाल लगाया तो बाढ़ सुरक्षा के मामले में पिछली बार भी कोई बजट में प्राविधान नहीं किया गया था, और इस बार के बजट में भी इसका प्राविधान नहीं किया गया हैं बड़े ही खेद का विषय है। बाढ़ नियंत्रण पूरे उत्तराखण्ड की आवश्यकता है। पहाड़ों में नदी, नाले हैं। चाहे वह उत्तरकाशी हो, चाहे पिथौरागढ़ क्षेत्र हो या चाहे आपका हरिद्वार का क्षेत्र हो, बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष जमीनें कट जाती हैं। मैं कहना चाहूँगा, बाढ़ नियंत्रण के बारे में निशचित रूप से फिर से सोच लें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल मेरे प्रश्न के उत्तर का जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष–

सुरेन्द्र राकेश जी, 15 मिनट हो गये हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, 10 मिनट हुए हैं। मान्यवर, 73 करोड़ की योजना केवल भगवानपुर ब्लॉक की बनाई गई है और उसमें कहा गया कि हम इसे अतिशीघ्र करेंगे। जब बजट में ही प्राविधान नहीं होगा तो उस योजना का कहाँ से निर्धारण किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है बाढ़ नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से आप बजट में प्राविधान करें। माननीय अध्यक्ष

जी, पर्यटन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। हमारे पर्यटन मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, वे हरिद्वार के ही हैं। पहले ही मंत्री जी ने विशेष ध्यान रखा है, विधायकों की संस्तुति का। बड़ी चर्चा हो रही थी कि नहीं मिली उन्होंने दिया है। लेकिन माननीय पर्यटन मंत्री जी, आप हरिद्वार के निवासी हैं, आपने कम से कम इस बजट को तो देख लिया होता। बजट में हरिद्वार के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, हरिद्वार का कहीं कोई नाम नहीं है। बड़े ही शर्म की बात है। जब हरिद्वार का पर्यटन मंत्री हो और हरिद्वार के लिए बजट में कोई योजना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि हरिद्वार के लिए कोई पर्यटन से सम्बन्धित योजना अवश्य बनाते और बजट में प्रकाशित करा देते। मान्यवर, खाद्य आपूर्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष, 2001 में जिन बी0पी0एल0 पात्रों का चयन हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत ही खेद का विषय है कि वर्ष, 2001 में जिन परिवारों का चयन किया गया था, उनके राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और राशन कार्ड न होने के कारण उन्हें राशन भी नहीं दिया जा रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि चयनित बीवपी0एल0 परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र राशन कार्ड वितरित करें।

श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के बारे में कहना चाहता हूँ कि नवयुवकों को रोजगार दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास की बहुत बातें कही जाती हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ गया वह औद्योगिक विकास, जब पाँच साल पहले तिवारी जी की सरकार थी तो पूरे राज्य में औद्योगिक विकास की आँधी चारों तरफ बह रही थी अब कहाँ चली गई, क्यों नहीं आज बाहर से उद्योग लगाने के लिए राज्य में निवेशक आ रहे हैं, इसका क्या कारण है, ऐसी कौन सी नीति आपने बना दी है ? इस नीति का सुधार होना बहुत आवश्यक है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने आटा–सूजी पर 15 पैसे घटाये हैं, लेकिन आवश्यक वस्तु जो हैं, वे बहुत महँगी हैं। आज महँगाई बहुत ज्यादा है। आपकी सरकार ने महँगाई के नाम पर वोट माँग कर लोगों को आश्वासन दिया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज तेल, घी, चीनी और दालों पर भी आपको कर समाप्त करना चाहिए। जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके और महँगाई घट सके। वनों के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा वन मंत्री जी, आप भी देख लीजिए आपके विभाग में बहुत बड़े–बड़े घोटाले होते हैं, उन घोटालों को दबाने के लिए आप देखें करोड़ों रुपये पौधों पर खर्च कर दिये जाते हैं। जब करोड़ों रुपये उसमें लगाया जाता है। यदि पिछले 10 वर्षों से पौधे लगाये जा रहे होते और आज भी पौधे लगाये जाते रहे होते तो पूरे उत्तराखण्ड में पेड़ ही पेड़ होते, कहीं कोई दिखाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बजट भाषण में बोलने का मौका दिया। बात तो मुझे बहुत कहनी थी। एक बार पुनः आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी मैं, अब तक बजट भाषण पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा 3:15 घण्टे के बजट भाषण में बजट की आलोचना के सिवाय कोई भी तथ्य उनकी स्पीच से नहीं आया, जो हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए काम आता। आज आवश्यकता इस बात की थी कि विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसे सुझाव आते जिससे इस बजट में कुछ परिवर्तन होता। इस परिवर्तन से प्रदेश को अग्रणीय करने में सहायता मिलती। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके कर्मों से लगता है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार सम्भाला है, प्रदेश में कुछ तरह–तरह की चर्चाएं है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास ढाई साल का कार्यकाल बाकी है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल देखने पर ही पता लगेगा कि प्रदेश की दिशा किधर को बढ़ती है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो यह कहना है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने पिछले ढाई साल में ख्याति प्राप्त की है, इसी प्रकार से मेरा यह मानना है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश को नया मार्गदर्शन देंगे और नयी ख्याति प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक तो यही होता था कि यहाँ अस्पताल खुल जायें और मेडिकल कॉलेज खुल जायें। लेकिन इसकी शिक्षा कहाँ से मिले, इस पर विचार किसी ने नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में इन्होंने गढ़वाल मण्डल में राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज खोलकर कम से कम स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष जी, अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में कई जगह पर नर्सिंग का सुदृढ़ीकरण करने के लिए देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी और पौड़ी में जो नर्सिंग कॉलेज का प्रस्ताव रखा था, यह एक सराहनीय कार्य रहा है। मान्यवर, यहाँ के लोग दिल्ली में जाते थे और इलाज करने के लिए वहां पर अच्छे अस्पताल हैं लेकिन रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी। प्रदेश के गरीब लोगों को किराये पर वहां रहना पड़ता था, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में निःशुल्क रैन बसेरा की सुविधा दी गई, जिसे बनाकर इस प्रदेश की गरीब जनता पर पुण्य का काम किया है माननीय अध्यक्ष जी, नेत्र चिकित्सा के रूप में देहरादून में दो सौ शैय्या का नेत्र, चिकित्सालय भवन निर्माणाधीन है यह भी माननीय मुख्यमंत्री की देन है और इसी प्रकार से प्रदेश में गरीब लोगों के लिए बी0पी0एल0 कार्ड लेकर अस्पतालों में जाते थे बी0पी0एल0 कार्डधारी, हमने अमूमन देखा है कि जब भी कोई गरीब आदमी किसी अस्पताल में जाता है तो

उसको इण्टरटैन नहीं किया जाता था, उसको दवाई नहीं मिलती थी, डॉक्टर उनको लताड़ते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य मंत्री काल में उन्होंने कम से कम साढ़े छः लाख स्वास्थ्य कार्ड बनाकर ऐसे बी0पी0एल0 गरीबों को उनकी पहचान चिन्हित कर दी, अब जिसको लेकर वे लोग हर एक अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस बजट में खाद्य पदार्थों पर हम देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों की महँगाई, हालाँकि बहुत सारे हमारे यहाँ प्रदेश के ऐसे उत्पाद भी हैं, जिनके ऊपर महँगाई का असर है और जिनके ऊपर मंदी का भी असर है, हम देखते हैं कि जिन खाद्य पदार्थों के ऊपर महँगाई का असर है ऐसे पदार्थों के ऊपर वाणिज्य कर में पूर्ण छूट देना, मैं तो यह समझूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत लम्बी सोच है उन्होंने इस महँगाई के दौर में आम गरीब के पेट में रोटी जा सके, आटा जा सके, अन्न जा सके, ऐसा विश्वास, कर में छूट देकर प्रदेश को दिलाया है, माननीय अध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्रों में बैनामों पर जो 2 प्रतिशत आवास शुल्क में छूट दी गयी है, यह भी प्रदेश में बहुत बड़ी चर्चा थी कि प्रत्येक बैनामे पर, बैनामे के शुल्क के अलावा 6 प्रतिशत अन्य शुल्क लिया जाता है। अब जिसमें से 2 प्रतिशत एक ही मद में लिया जाता है, 2 प्रतिशत सीधा रजिस्ट्री करते समय और 2 प्रतिशत नगरपालिका तथा 2 प्रतिशत एस0डी0एम0 लेता था, वह भी विकास कार्यों के लिए लेता था, मद एक है और 2–2 प्रतिशत कर 6 प्रतिशत रजिस्ट्री कराने वाले को देना होता था, उसमें से 2 प्रतिशत की कमी लाना, यह भी मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की लम्बी सोच का नतीजा है।

प्रदेश की पाँच सौ न्याय पंचायतों के एक–एक गाँव को अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत लाना, मैं यह समझता हूँ कि अगर 5 सौ गाँव अगर चिन्हित कर लिए गए या चिन्हित हो जायेंगे, जिनका सही तरीके से विकास होगा, वह भी एक मैसेज जायेगा कि यह भी एक तरीका है नीचे के ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करने में, बजाय इसके बहुत बड़े क्षेत्र में योजना चलाई जाए और वह सफलता प्राप्त न करे इसलिए छोटी योजना के रूप में एक उदाहरण दे करके आगे बढ़ने का यह प्रयास है। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक विधान सभा में चाहे एक इण्टर कॉलेज और एक हाईस्कूल का सुझाव रखा गया है इसमें मैं जरूर कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हाईस्कूलों का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है, जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है, मैं इसमें सुझाव देना चाहूँगा कि सरकार को एक सर्वे कराना चाहिए कि जहाँ–जहाँ पर उच्चीकरण की आवश्यकता है, इन कॉलेजों को देने के बजाए अगर पूर्व के जो स्कूल और कॉलेज हैं, उनका उच्चीकरण किया जाए तो वह ज्यादा लाभान्वित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य मे मूल्य वर्धित वैट के सरलीकरण के प्रति जो निर्णय

इस सरकार के द्वारा बजट के रूप में लिए गए हैं, वह सराहनीय है क्योंकि वैट के ऊपर भी प्रदेश में भारी चर्चा है, महिलाओं द्वारा सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क की सीमा जो 10 लाख से 20 लाख की गयी है यह महिला वर्ग के लिए राज्य सरकार की बहुत बड़ी देन है, 30 वर्ष से कम अवधि के किराएनामे पर स्टाम्प शुल्क 7 प्रतिशत से 2 प्रतिशत किया जाना, सरकार ने सराहनीय निर्णय लिया है, जिससे आय में वृद्धि होगी लेकिन इसके साथ–साथ माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहूँगा कि सरकार के द्वारा दानकर्ता जो अपने परिवार में ही दान करे, उसके ऊपर जो 2 प्रतिशत अलग से कर लगाया गया है। मेरा सुझाव होगा कि यह कर राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे कर के रूप में प्रदेश को कोई बहुत बड़ी आय होने वाली नहीं है, बल्कि एक ऐसा मैसेज जायेगा कि इस सरकार ने एक नया कर इस प्रदेश की जनता के ऊपर रोपित किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की सम्पदा जड़ी–बूटियों का प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणकारी बनाये जाने हेतु राज्य में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोले जाने की बात कही गई है, मेरा इसके प्रति सुझाव है कि बड़े–बड़े विश्वविद्यालय खोलने के बजाय, इतना बड़ा खर्चा करने के बजाए अगर विद्यालय खोले जाएं और उनको मौजूदा विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कर दिया जाए तो थोड़े खर्चे में प्रदेश में ज्यादा लाभकारी कार्य होगा। माननीय अध्यक्ष जी, दीन दयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा, जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा 90 वाहनों की व्यवस्था की गई थी, यह एक अच्छा संदेश प्रदेश, पूरे देश में गया है, यह जो आपातकालीन सेवा चलाई गई है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य प्रदेशों में चर्चा चली है और कई प्रदेश इसका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, अभी इस बजट में 18 और गाड़ियों को जोड़ने की बात कही गयी है, यह सराहनीय विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, शिशु मृत्यु दर पर और काबू पाने के लिए सभी महिला चिकित्सालयों में एक–एक नवजात शिशु इकाई खोलने की बात कही गई है, मेरा कहना है कि यह मात्र महिला चिकित्सालयों में ही नहीं बल्कि जहाँ महिला चिकित्सालय नहीं हैं और जहाँ हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं सब में एक–एक सेल खोलना चाहिए जिससे महिलाओं को इसका लाभ मिले। निराश्रित बच्चों के पालन–पोषण, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों तथा विक्षिप्त महिलाओं के लिए पृथक्–पृथक् आवासीय गृहों का प्राविधान किया गया है। यह अति सराहनीय हैं, माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में मूल्य वर्धित कर वैट है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सारी पिछली सरकारों द्वारा उत्तराखण्ड को बड़े गर्व के साथ ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था।

पिछली सरकारों ने ऊर्जा प्रदेश तो कहा, लेकिन इसको ऊर्जा प्रदेश बनाया नहीं, यह प्रदेश अभी तक ऊर्जा प्रदेश नहीं है, मेरा यह सुझाव है कि जितना भी बजट इसमें रखा गया, है वह कम है। ऊर्जा का सम्बन्ध सिर्फ ऊर्जा

से नहीं, लाईट से नहीं बल्कि पानी से भी है, ऊर्जा जब कम होती है तो आदमी को पानी भी नहीं मिल पाता, लाईट नहीं मिल पाती, लाईट न मिलने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, इसका सम्बन्ध तरह–तरह से है। इसलिए जो ऊर्जा प्रदेश का सपना संजोया है, उसे पूरा करने के लिए एक अच्छा बजट इस बजट में रखा जाए और आने वाले वर्ष में इसका नतीजा प्रदेश को दिखाया जाए तो अच्छा होगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ ऐसी चीजें संज्ञान में लाना चाहता हूँ जिनका जिक्र इस बजट में नहीं हुआ है और किया जाना अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, थोड़ा घड़ी की तरफ देख लें, दो मिनट बाकी है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, अभी 10 मिनट समय हुआ है, मैं थोड़ा बोलूँगा। मान्यवर प्रदेश में नई प्रशासनिक ईकाइयों, जैसे तराई और भाबर नामक नये मण्डल के गठन की माँग है एवं आवश्यकतानुसार नये जनपदों, तहसीलों और कोतवालियों के परिसीमन एवं गठन की आवश्यकता के प्रति केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना अति आवश्यक विषय है, इसके लिए इस बजट में प्राविधान होना चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश में नये जिलों का गठन हो सके और नये मण्डल का गठन हो सके, ऐसी मेरी माँग है। मान्यवर, काशीपुर शहर के अन्दर से गुजर रहे राष्ट्रीय राज मार्ग–74 पर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, जनता बड़े लम्बे समय से इस मुसीबत से गुजर रही है, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री इसको देख चुके हैं और पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा काशीपुर की जनता को आश्वस्त किया गया था कि 6 महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाने का प्रयास किया जायेगा, मैं इस फ्लाई ओवर के लिए अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे इसके लिए इस बजट में प्राविधान करें। मान्यवर, काशीपुर से होकर निकल रहे दो राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाने वाले काशीपुर बाई पास का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। मान्यवर, काशीपुर से गुजरने वाले दोनों हाईवे शहर के अन्दर से गुजरते हैं और ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण 24 घंटे में 8–8 घंटे तक रोड ब्लॉक रहती है, इसलिए बाई पास का सुझाव मैं दे रहा हूँ, इसके लिए भी बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए।

मान्यवर, प्रदेश की नगरपालिकाओं में तहबाजारी शुल्क के नाम से किये जा रहे छोटे–मोटे गरीब किसानों एवं फल–सब्जी विक्रेताओं के शोषण की

रोकथाम के प्रति किसी और मद से नगरपालिकाओं को धन पूर्ति कराते हुए प्रतिबंधित किये जाने का प्रस्ताव इसमें आना चाहिए था। मान्यवर, मैंने यह देखा है कि छोटे–छोटे किसान जो लौकी, आलू, बैंगन आदि सब्जी अपने खेत में उगाकर अपनी चादर में बाँध करके सड़क पर बैठकर बेचते हैं, अगर उनकी वह सब्जी 30 रु0 की है तो शाम को नगरपालिका आकर उनसे 10 रु0 ले जाती है, इससे उनको लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए उन पीड़ितों के लिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि नगरपालिका को यह पैसा किसी भी मद में नहीं लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में हो रही पॉलीथीन थैलियों की बिक्री के कारण शहर में हो रही पशुओं की मौत एवं प्रदूषण वृद्धि को रोकने के लिए अन्य प्रदेशों की भाँति पॉलीथीन थैलियों पर रोक लगाया जाना अति आवश्यक है। मान्यवर, मैं यह भी प्रस्तावित करना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में आई0आई0टी0 निर्माण के लिए, दिये गये प्रस्ताव के लिए, माँगी गई दो सौ एकड़ भूमि की माँग को काशीपुर से पूरा कराते हुए, काशीपुर में आई0आई0टी0 निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा जाना अति आवश्यक है। अन्त में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि पॉलीथीन प्रदूषण के बारे में हमें इस पर अवश्य ध्यान देना होगा, चूँकि जिन बड़े शहरों में इस पर कंट्रोल हो गया, वहां की सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्त में माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने मुझे इस प्रदेश के युवाओं के शिखर राजनीतिज्ञ और वित्तीय नियंत्रण द्वारा आर्थिक मामलों के जानकार माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत बजट पर उसके परीक्षण के सन्दर्भ के क्रम में आपने मुझे विचार व्यक्त करने का सुअवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, योजना का आकार हर साल बढ़ता चला गया, ठीक उसी अनुपात में योजना का परिव्यय भी बढ़ता चला गया। यह किसी भी राज्य के या राष्ट्र के बजट का इतिहास रहा हैं लेकिन पहली बार स्थिति बन रही है कि योजना का आकार, आय–व्यय का आकार जो है, वह पिछली योजना के बराबर उसके स्तर तक खींचने के लिए, एड़ी–चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार असफल रही है। श्रीमन्, बजट के किसी भी प्राविधान को देखने से यह नहीं लगता कि यह रोजगार के नये अवसर आने वाले एक साल में बढेंगे और प्रदेश सरकार ने इसके मुकाबले के लिए प्रस्तुत बजट में किसी भी दिशा का संकेत नहीं दिया है।

श्रीमन्, जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से देश के गरीब राज्यों की सूची में उत्तराखण्ड पाँचवें पायदान पर है। श्रीमन्, इस तरह अंदाजा लगाया जा

सकता है कि राष्ट्रीय औसत से राज्य में एक तिहाई से ज्यादा गरीब हैं। श्रीमन्, गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले 623790 बी0पी0एल0 परिवारों में सबसे दयनीय स्थिति में 151240 अन्त्योदय कार्ड धारक हैं, जो गरीबी रेखा के आखिरी छोर पर हैं। श्रीमन्, राष्ट्रीय वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 24321 रुपये है और हमारे राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 15186 रुपये है। श्रीमन्, राष्ट्रीय योजना आयोग ने राज्य को आगाह किया है कि राष्ट्रीय औसत से राज्य में 10 फीसदी ज्यादा गरीब हैं। यह चिन्ताजनक स्थिति पूरे प्रदेश के लिए एक चुनौती है। श्रीमन्, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त उत्तराखण्ड राज्य को वाह्य सहायतित और केन्द्र पोषित योजनाओं में 90 प्रतिशत अनुदान और ऋण मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार उसका उचित इस्तेमाल नहीं कर पायी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? अतिरिक्त संसाधन जुटाना तो प्रदेश सरकार के बस में नहीं है लेकिन उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करना तो उसके हाथ में था।

श्रीमन्, वित्तीय नियंत्रण के टोटकों का इस सरकार का एक उदाहरण देख लीजिए। टाटा की पंतनगर स्थित फैक्ट्री की जमीन का किराया 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर कर दिया। मानो टाटा इतना गरीब आदमी हो कि प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती तो उसके बीबी–बच्चों के भूखे मरने की स्थिति हो जाती। श्रीमन्, टाटा के साम्राज्य की एक बानगी देखिये, दुनिया की 56वें नम्बर की टाटा की स्टील कम्पनी ने दुनिया की 5वें नम्बर की स्टील कम्पनी कोरस को 1210 करोड़ डॉलर में खरीदा। टाटा की फैक्ट्री को दी गयी जमीन का लीज रैन्ट घटाने से राज्य सरकार को और इस राज्य को प्रति वर्ष डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान हुआ है। जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सरकारी पैसे के वैन्टीलेटर से भी मुश्किल से साँस ले रही है। श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर आप उनका राजनीतिकरण करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरे प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी माननीय सदस्य इस बजट की चर्चा में इस परीक्षण के सन्दर्भ में अपने विचार रखते हैं, अगर उनके विचारों का इसमें समावेश नहीं होगा, तो हम इस छोटे से राज्य में, एक नये राज्य में, हम इसी प्रकार से झगड़ते रह जायेंगे और उत्तराखण्ड राज्य में जो विकास की संभावनायें हैं, उससे हम बहुत दूर रह जायेंगे। श्रीमन्, जो नई टैक्नोलॉजी है, नई तकनीक भी हमें लानी पड़ेगी, हमें आई0आई0टी0 और पॉलीटैक्निक खोलने होंगे, डिग्री कॉलेज खोलने होंगे और घुत्तू एवं पवालीकॉटा जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को रज्जु मार्गो से आच्छादित करना होगा। श्रीमन्, असल में हमें नेतृत्व की जरूरत है, केवल रानीतिक नेतृत्व की ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक नेतृत्व को भी जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने की सख्त जरूरत हैं श्रीमन्, गरीबों को, ग्रामीणों को रोजगार का प्रशिक्षण और सहायता देकर हम इस प्रदेश से गरीबी और भुखमरी के राक्षस का संहार कर सकते हैं। हुनर सिखाकर और आवश्यक मदद देकर जब किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, तो उसमें एक नये किस्म का आत्मविश्वास पैदा होता है और वह देश

या प्रदेश पर बोझ नहीं श्रीमन्, बल्कि उत्पादन में भागीदार बन जाता है। आज प्रदेश सरकार को यह तय करना होगा कि इस प्रदेश के अन्दर भुखमरी और गरीबी को कैसे मिटायेगी ?

श्रीमन्, एक छोटा सा एमाउंट, जो आय–व्ययक का यहाँ पर रखा गया है, जिसे माननीय नेता सदन ने बजट भाषण के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसके आय व्ययक के छोटे से एमाउंट को देखकर, सारांश में और ठेठ भाषा में कहना चाहूँगा कि इतने में नंगा क्या नहायेगा और क्या निचोड़ेगा ? इतना कम बजट और उस पर भुखमरी और गरीबी के राक्षस का संहार करने की बात कर रहे हैं। रोजगार का कहीं कोई सृजन नहीं है, आपका पाला–पोषा वित्तीय नियंत्रण पिछले दो वर्षों से प्रदेश की योजनाओं पर तबाही मचाता रहा लेकिन आपको कोई दुःख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। लेकन जब आपके ही खड़े किये हुये लोग और सदस्य आँखे दिखाने लगे, तब समझ में आई, पीर पराई।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो दूरवर्ती साधन विहीन क्षेत्र हैं, इस प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहाँ साधनों का घोर अभाव है, चाहे यातायात के साधन हों, सड़कों के नवनिर्माण का कार्य है, उच्चीकरण का प्रश्न है, हाईस्कूल, इण्टर कॉलेजों के उच्चीकरण हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने विकास के सवाल पर हर विधायक को कुछ न कुछ हाईस्कूल और इण्टर कॉलेजों के उच्चीकरण की व्यवस्था की थी, निर्माण के सवाल पर, मोटर मार्ग के निर्माण पर मान्यवर, ऐसे ही इस सम्बन्ध में प्रदेश की जनता को न्यायपूर्ण दिशा देने के लिए बगैर राजनीतिक दुष्प्रभाव से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, इस प्रदेश की जनता को न्याय मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ श्रीमन्, कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं, जो इस बजट के परीक्षण में अपने मूल्यवान विचार रखेंगे, उनका इस बजट में उनके मूल्यवान विचारों का समावेश भी होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष, 2009–10 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, पिछले बजट भाषण में मैंने इस बात को गम्भीरता के साथ कहा था कि मैं सरकार को समर्थन दे रहा हूँ, इसलिए इस बजट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ और आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज मैं विपक्ष में बैठा हूँ तो बेवजह इस बजट की खिलाफत भी नहीं करूँगा बल्कि जो चीज सही होगी उसको हमेशा स्वीकारना चाहिए और जो चीज इसमें जोड़ी जानी चाहिए उसकी भी हम चर्चा

करेंगे। क्योंकि बजट पूरे साल की आर्थिक व्यवस्था को नियन्त्रित करता है और अगर इसमें सब कुछ गलत होता तो सभी माननीय सदस्यगण सदन के अन्दर इस समय मौजूद नहीं होते, बल्कि वो बाहर होते, इससे यह साबित होता है कि यह बजट जन आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतरता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में शुरूआत में कहा कि पूरा विश्व आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थथपाहट) उनके द्वारा आम व्यक्ति के दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री आटा, मैदा, सूजी एवं बेसन से वाणिज्य कर समाप्त किया जाना, शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क समाप्त किया जाना, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उनके द्वारा सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में छूट हेतु सम्पत्ति की मूल्य सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना, ये तमाम चीजें उनके पूर्व वित्त मंत्री की सोच को क्रियान्वित करता है। राष्ट्र भाषा हिन्दी के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा भाषाओं में विकास हेतु राज्य में भाषा संस्थान एवं हिन्दी अकादमी की स्थापना की उन्होंने निश्चित रूप से बात की हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारी क्षेत्रीय बोली गढ़वाली और कुमाऊँनी के उत्थान का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है, न ही प्रदेश की फिल्म नीति बनाने का इसमें कोई जिक्र किया गया है।

निश्चित रूप से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फीजियोथेरेपिस्ट के 28 पद स्वीकृत किये गये हैं, महिलाओं के लिए 135 दिन के प्रसूति अवकाश को बढ़ा कर 180 दिन किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आंशिक एवं शैक्षिक सुविधा प्रदान करने के लिए नंदा देवी कन्या योजना के तहत 16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है, जो माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व में और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री होने का पूरा लाभ इस बजट में दिखाया गया हैं। मैंने अपने चुनाव, जो लोक सभा के चुनाव थे और उससे पहले भी इस बात को गम्भीरता के साथ कहा था कि भले ही हमारे काँग्रेस के सदस्यों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा 108 को केन्द्र सरकार की योजना कहा जा रहा हो। महोदय, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि केन्द्र सरकार के द्वारा भी इसे धन दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इस उत्तराखण्ड राज्य में इसकी पहल किसने की है, मैं समझता हूँ कि उसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल "निशंक" को जाता है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज तथा एक हाईस्कूल भवन का निर्माण और नवीनीकरण की बात कही गयी हैं। पूर्व में माननीय शिक्षा मंत्री माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा प्रत्येक विधायक को एक करोड़ रुपये की लागत से इंटर कॉलेज और हाईस्कूल के जीर्णोद्धार के लिए एस्टीमेट देने का प्रस्ताव रखा गया था, हम लोगों ने डेढ़ वर्ष पूर्व में ही एस्टीमेट उन्हें प्रदान कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पायी, अगर उसमें कार्यवाही हो पाती तो मैं समझता हूँ कि आज मदन कौशिक जी के सामने हम लोगों के लिए एक अच्छा

उहाहरण होता कि सरकार ने इससे पहले भी हाईस्कूल और इंटर कॉलेज खोलने की व्यवस्था की है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूर्व में यह कहा था कि सरकार ने अनेक जगह जो उच्चीकरण विद्यालयों का किया है, उसकी जगह अगर कई विद्यालयों को जोड़कर एक विद्यालय वहाँ पर बनाया जाता और उसमें शिक्षकों के लिए शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए और और छात्रों के लिए अगर हॉस्टल की व्यवस्था की जाती तो मान्यवर, यह एक इस राज्य के हित की बात होती और तमाम लोगों को इसका लाभ मिल पाता। मान्यवर, यह भी दुर्भाग्य है, इसमें उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है।

पूर्व में जो वर्ष, 2009–10 में माननीय खण्डूड़ी जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें शुरूआत में उत्तराखण्ड आन्दोलन की जन भावनाओं की कद्र की गई थी, पौड़ी, जहाँ से कि उत्तराखण्ड आन्दोलन की शुरूआत हुई, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष द्वारा, तमाम सदस्यों द्वारा इस बात को स्वीकारा जाता है और इसे स्वीकारने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि 8 अगस्त, 1994 को पौड़ी से उत्तराखण्ड आन्दोलन की शुरूआत हुई थी, इसमें पुनः पौड़ी की उपेक्षा की गई है। गंगवाड़स्यूं झील के लिए माननीय भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी द्वारा चुनाव से पहले यहाँ पर एक कृत्रिम झील बनाने के लिए, राँसी स्टेडियम के लिए 6–6 करोड़ की घोषणा की गई थी, पौड़ी में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, यह दुर्भाग्य है कि इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो खेल विभाग है, उसमें खेल और युवा कल्याण के लिए मात्र 25 लाख की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूँ कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढाई साल के बाद अब दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल सम्भाला है, उनके द्वारा हालाँकि घाटे का बजट पेश किया गया है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य अपने संसाधनों से और केन्द्र सरकार से जो धन मिलता है, उसका सही उपयोग करके जो अगला बजट पेश किया जायेगा वह फायदे का बजट होगा, ऐसी मेरी उम्मीद हैं। अन्त में सभी लोगों से निवदेन करना चाहूँगा कि सरकार को अच्छे कामों में हम सहयोग दें और जिन कार्यों को सरकार नहीं करती है, हमें बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे हम सत्ता पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों। नये मुख्यमंत्री जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। मैं दो लाइनों में अपनी बात समाप्त करूँगा और उम्मीद करूँगा कि निशंक जी भी इन बातों पर चलने का प्रयास करेंगे ताकि जनता को फायदा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दो लाइन पेश कर रहा हूँ–''दामन में जो भी हो हम झाड़ देते हैं और अच्छे खासों की हम जिन्दगी सवार देते हैं, अच्छे खासों की हम जिन्दगी सवार देते हैं।'' मान्यवर, वर्ष, 2009–2010 का बजट इन लाइनों की तरफ अग्रसारित होगा, यह आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।

श्री चन्दन राम दास–

मानननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" जी का वित्तीय वर्ष, 2009–2010 बजट अनुमानों पर, बजट भाषण पर पक्ष में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको अन्तर्मन से धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी हमारे कई पूर्व वक्ता इस बजट के पक्ष और विपक्ष में बोले, जैसा कि बेनाम जी ने कहा बजट का जो भी स्वरूप होता है उसमें बिल्कुल पोजिटिव प्वाइंट ही नहीं होते हैं परन्तु इस बजट को मैंने ध्यान से पढ़ा है, यह लगातार दो वर्षों के जैण्डर बजट के बावजूद मात्र रु0 828.22 करोड़ का जो घाटा हुआ है, उसका मुख्य कारण यह रहा कि प्रदेश में वित्तीय व्यवस्था न होने के बावजूद भी यह देश का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग दिया और जितना भी भारत सरकार से हम को ऋण मिला उसमें 611.50 करोड़ रुपये का हमने प्रतिदान दिया और जो ऋण के विपक्ष में ब्याज अदायगी हमने दी है, वह रु0 1510.91 करोड़ हमने दिया हैं। इस प्रकार 4425.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रभार होने के बावजूद माननीय निशंक जी ने इस बजट को कर मुक्त देकर बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को, निशंक जी को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ–साथ जैसे आटा, मैदा, सूजी, बेसन आदि पर जो पिछले वर्ष के बजट में तीन प्रतिशत वैट छूट दी गयी और इस बार उसको जीरो कर दिया गया है। मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मात्र 15 पैसे का लाभ दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप एक प्रतिशत की भी छूट देते हैं, तो उसमें टैक्सों में कटौती होती है, जिस कारण जो मूल्य होता है, वह बहुत नीचे आता है। मैं समझता हूँ कि इससे एक रुपया, दो रुपये का कम से कम लाभ होगा तो आम गरीब के लिए दो रुपये की छूट भी बहुत अच्छी होती हैं। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूँगा। शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल छूट देकर, शहरी क्षेत्र के व्यापारियों को भी काफी इसमें राहत दी है, इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूँगा। महिलाओं के क्षेत्र में सम्पत्ति पर टैक्स पर उनको पिछली बार जो छूट थी, उसकी छूट दुगनी करके महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सम्पत्ति खरीदने के लिए बहुत अच्छा मौका इस सरकार ने दिया है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता इससे दिखाई देती है, इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूँगा। मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछले बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास के अलावा दीन दयाल आवास, अटल आवास की व्यवस्था की प्रत्यक्ष व्यवस्था की है और इस साल सरकार ने ग्रामों का चयन करके 500 ग्रामों में अटल आवास की योजना बनाई है, जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूँगा। अनुसूचित जाति के लिए सरकार की बहुत सी योजनायें हैं। चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलाँग पेंशन हो और चाहे विधवा पेंशन हो, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमने पेंशन नहीं बढ़ाई। पुरानी सरकार में 125 से बढ़ाकर 150 रुपये पेंशन की गई। पिछली सरकार ने जाते–जाते यह कहा कि

400 रुपये पेंशन की व्यवस्था की है। मैं आपको बता दूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बजट का प्राविधान करके 400 रुपये पेंशन की। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय सदस्य जानकारी तो रखें। 400 रुपये तो काँग्रेस सरकार में पेंशन की गई थी, गलत जानकारी सदन को दे रहे हैं।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, आप इसका परीक्षण करवा लें, हमें भी पता हैं मान्यवर, राज्य की नीतियों को शुद्ध रखने के लिए और क्षेत्र की जो अन्य नदियाँ हैं, उनका भी पर्यावरण साफ रखने के लिए राज्य में नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। जो कि बहुत अच्छा प्रयास हमारी सरकार ने किया हैं मान्यवर, कन्या धन योजना में पिछली सरकार में गौरा देवी कन्याधन योजना मिलती थी परन्तु अनुसूचित जाति के लोगों को मिलती थी, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश की बी0पी0एल0 परिवार की बहनों को जो इण्टर पास कर रही हैं, उनके लिए 25 हजार रुपया एफ0डी0 के रूप में दे रहे हैं। पिछली सरकार में मात्र अनुसूचित जाति के लोगों के लिए था, इस सरकार ने सभी जाति की बहनों के लिए कन्या धन योजना शुरू की हैं क्योंकि जब कन्या पैदा होती है तो कई लोग मुँह सिकोड़ते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने नन्दा देवी कन्या धन योजना के नाम से पाँच हजार रुपये की एफ0डी0 का प्राविधान, जब लड़की पैदा होगी उसी दिन से कर दिया हैं ताकि भ्रूण हत्या रूके और कन्याओं का सम्मान हों। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ बार–बार 108 योजना का नाम आता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सीमित करें।

श्री चन्दन राम दास–

हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए डॉक्टर हैडगेवार आरोग्य रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की चेष्टा की है। मान्यवर, उसमें अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, ईसीजी मशीन लगाकर गाँव–गाँव में सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास किया है। आयुर्वेदिक विद्यालय यहाँ खुल रहा है, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी कई लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि हमने डिग्री कॉलेज खोल रखे हैं, मैं अपने जिले का उदाहरण देता हूँ। हमारे जिले में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही गयी है, परन्तु कोई पद सृजन नहीं हुए, यू0जी0सी0 से उसका एफीलेशन नहीं हुआ, खाली मात्र बोर्ड लगा दिया, अपना नाम उजागर करने में रह गये। आज

हमारे क्षेत्र की स्थिति क्या है ? इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में जो भी डिग्री कॉलेज खुले वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था हो और पूरे साज–सज्जा की व्यवस्था हो। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ऐसा काम करेगी। मैं पुनः सदन को और माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री किशोर उपाध्याय, श्री सुरेन्द्र राकेश, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री तस्लीम अहमद, श्री नारायण पाल, श्री केदार सिंह रावत, श्री गोपाल सिंह राणा तथा श्रीमती आशा नौटियाल की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से श्रीमती आशा नौटियाल की सूचना, जो जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा के दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा अध्ययन हेतु हो रही दिक्कतों के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत तथा श्री नारायण पाल की सूचना, जो जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सितारगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शक्तिफार्म में लम्बे समय से तैनात कर्मचारियों द्वारा कार्य पर ठीक से ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गई।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालय में भवन आदि न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, स0वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण (अल्मोड़ा) की मूलभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु 28 नाली, 4 मुट्ठी भूमि दान स्वरूप विभाग को प्राप्त है। निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से आगणन तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, इसका आगणन बहुत पहले आ चुका है। कब तक इस पर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शीघ्र ही इस पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उत्तरकाशी में वन विभाग द्वारा इमारती प्रकाष्ठ की बिक्री न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, स0वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

वन मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत उत्तरकाशी शहर एवं गंगोरी नामक स्थान पर फुटकर बिक्री केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य बनने के पूर्व से ही स्थापित है। उत्तरकाशी स्थिति डिपो से इमारती प्रकाष्ठ एवं जलौनी लकड़ी की आपूर्ति स्थानीय जनता को की जाती रही है परन्तु विगत वर्षों में यह अनुभव किया गया कि प्रकाष्ठ की बिक्री न होने के कारण 1 वर्ष पश्चात् बिक्री हेतु बीबी वाला डिपो लाना पड़ा। प्रकाष्ठ की बिक्री न होने का कारण मुख्यतया स्थानीय जनता को हक–हकूक, पी0डी0 एवं नाप खेत से प्रकाष्ठ की सुगम सुलभता है। फुटकर बिक्री डिपों में बिक्री हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रकाष्ठ से आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है। गंगोरी फुटकर डिपों में जलौनी के साथ–साथ इमारती प्रकाष्ठ का डिपो भी स्थापित करने हेतु निर्देश प्रबन्ध निदेशक, उत्तराँचल वन विकास निगम के पत्र संख्या–वि0सी0 197/18–5/फुटकर बिक्री डिपो स्थापना, दिनांक 07 जुलाई, 2009 द्वारा दिये जा चुके हैं। उत्तराँचल वन विकास निगम द्वारा राज्य में स्थानीय जनता को निजी उपयोग हेतु प्रकाष्ठ एवं जलौनी फुटकर बिक्री द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, इस हेतु 52 फुटकर बिक्री केन्द्र स्थापित किए गये हैं। उत्तराँचल वन विकास निगम द्वारा सम्पूर्ण राज्य में एक ही दर पर प्रकाष्ठ की आपूर्ति की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 6 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून : **महेश चन्द्र,**

दिनाँक : 16 जुलाई, 2009 सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तरालेख्य का संलग्नक–

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त की गयी धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	वापस की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, सीला त0	04–05	1.00	0.75	0.00	0.75
2.	पंचायत घर निर्माण, पनास तल्ला	04–05	1.00	0.75	0.00	0.75
3.	प्रा0 वि0 तलाई चार कमरों की छत मरम्मत	04–05	1.00	0.75	0.00	0.75
4.	महिला मिलन केन्द्र भवन निर्माण, कन्दलेखा	04–05	1.00	0.75	0.00	0.75
5.	पंचायत घर निर्माण, सुन्दरखाल	02–03	1.00	0.75	0.00	0.75
6.	महिला मिलन केन्द्र भवन निर्माण, नागणी	06–07	1.25	1.25	0.00	1.25
7.	महिला मिलन केन्द्र भवन निर्माण, सुंगरिया बड़ा	06–07	1.00	0.75	0.00	0.75
8.	महिला मिलन केन्द्र भवन निर्माण, सुंगरिया छोटा	06–07	1.00	1.00	0.00	1.00
9.	बारात घर निर्माण, मंगरौ	06–07	1.25	1.25	0.00	1.25
10.	महिला मिलन केन्द्र अनु0 लौहराखोला बंवासा मल्ला	06–07	1.25	1.25	0.00	1.25
11.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, लैंगल	06–07	1.00	0.75	0.00	0.75
12.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, अनु0 बस्ती पनास	06–07	1.00	0.75	0.00	0.75
13.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, कोटा	06–07	1.00	0.75	0.75	0.00
14.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, चोरखिण्डा	06–07	1.25	0.94	0.00	0.94
15.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, मैठाणा	07–08	1.25	0.94	0.00	0.94

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त की गयी धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	वापस की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
16.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, पंयाखोली सांवली	07–08	2.50	1.87	0.00	1.87
17.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, भतकण्डई	07–08	1.25	0.94	0.00	0.94
18.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, खोपरगढ़ी	07–08	1.25	0.94	0.00	0.94
19.	प्रा0वि0 तलाई छत मरम्मत	07–08	1.00	0.75	0.00	0.75
20.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, भौखण्ड	07–08	1.25	0.94	0.00	0.94
21.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, एरोली	06–07	1.25	1.25	1.25	0.00
22.	महिला मिलन केन्द्र निर्माण, रिखाड़	07–08	1.25	0.95	0.95	0.00
23.	तलाई कसाणी में महिला स्नानागार	07–08	0.30	0.22	0.22	0.00
24.	मिटकोट अनु0 बस्ती में बारात घर का निर्माण	07–08	1.25	0.94	0.94	0.00
25.	भैराड़ अनु0 बस्ती में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	07–08	1.25	0.94	0.94	0.00
26.	चोरखिण्डा में प्रवेशद्वार	07–08	0.50	0.38	0.38	0.00
27.	जिवई में महिला स्नानागार का निर्माण	07–08	0.30	0.22	0.22	0.00
28.	डालागांव में महिला मिलन केन्द्र का पुस्ता	07–08	0.30	0.22	0.22	0.00
29.	भरपुर बड़ा अनु0 बस्ती में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	07–08	1.25	0.94	0.94	0.00
30.	रा0इ0का0 बैजरों में अतिरिक्त कक्ष	07–08	1.25	0.94	0.94	0.00
31.	गढ़कोट सत्यनगर में सी0सी0	07–08	1.00	0.75	0.75	0.00
32.	महिला मिलन केन्द्र, ठंगा में अवशेष कार्य	07–08	0.50	0.38	0.38	0.00
33.	स्यूंसी अनु0 बस्ती में शौचालय	07–08	0.50	0.38	0.38	0.00
34.	मंगरौ में स्नानागार का निर्माण	07–08	0.30	0.23	0.23	0.00

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त की गयी धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	वापस की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
35.	बेदीखाल बाजार धर्मशाला में रैन बसेरा भवन की छत निर्माण	07—08	0.40	0.30	0.30	0.00
36.	दलमोटा में बारात रसोईघर का निर्माण	07—08	0.40	0.23	0.23	0.00
37.	सेरामल्ला बारातघर में रसोईघर का निर्माण	07—08	0.40	0.30	0.30	0.00
38.	डांडखिल में बारात रसोईघर का निर्माण	07—08	0.40	0.30	0.30	0.00
39.	दीवादर्शन धाम सौंपखाल में यात्रीशेड का निर्माण	07—08	1.00	0.75	0.75	0.00
40.	बंवासा के कसाणा तोक में महिला मिलन केन्द्र का अतिरिक्त कार्य	07—08	0.20	0.15	0.15	0.00
41.	जखणी में महिला मिलन केन्द्र अवशेष कार्य	07—08	0.25	0.19	0.19	0.00
42.	कोटा में पेयजल मरम्मत कार्य	07—08	0.40	0.30	0.30	0.00
43.	ग्राम बजरिया लैंगान में महिला मिलन केन्द्र आंगन निर्माण	07—08	0.30	0.22	0.22	0.00
44.	नऊ नागणी एवं मंगरो बडेरूढैया में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	07—08	2.50	1.87	1.87	0.00
45.	भरपुरबड़ा में हीरालाल के मकान से कृपाल के मकान तक सी0सी0	07—08	0.50	0.38	0.38	0.00
	योग :—		41.45	32.56	14.49	18.07

नत्थी ''ख''

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्मित योजनाओं की सूची

वर्षः–2007–08 एवं 2008–09

क्र0 सं0	योजना का नाम	ग्राम	विकास खण्ड का नाम	तोक	लागत (लाख रु0)
1	2	3	4	5	6
1.	सिं0 यो0 साल्ड गूल	साल्ड	भटवाड़ी	1. उनाली तोक, 2, भुतखाल, 3. मराडी, 4. खक्यार्क	6.25
2.	सिं0 यो0 किमडारा तोक निसमोर गूल/हौज	निसमोर	भटवाड़ी	1. किमडारा तोक, 2. क्यार्क	5.76
3.	सिं0 यो0 हरोना तोक ज्ञाणजा गूल	ज्ञाणजा	भटवाड़ी	1. हरोना तोक, 2. फलेरी तोक	3.98
4.	सिं0 यो0 अठाली गूल	अठाली	भटवाड़ी	1. कुन्डोडा तोक	3.48
5.	सिं0 यो0 गमदिडगाँव गूल	गमदिड़गाँव	भटवाड़ी	1. घटक्यार्क तोक, 2. एडिया तोक, 3. सेमलू, 4. रगडा तोक, 5. बुगोड, 6. मठ, 7. सिंन्दरवाली तोक	14.14
6.	सिं0 यो0 गमदिड़गाँव विस्तार गूल	गमदिड़गाँव	भटवाड़ी	1. पानी नाला तोक, 2. खुम्पा तोक, 3. केमडारू, 4. राजगढ़ तोक, 5. छानतोक, 6. फेडी तोक	12.85
7.	सिं0 यो0 गेठी तोक मल्ला गूल/हौज	मल्ला	भटवाड़ी	1. गेंठी तोक, 2. मगरी तोक	4.21
8.	सिं0 यो0 हेप्टा से हरोली हीना गूल	हीना	भटवाड़ी	1. हैप्टा से हरोला, 2. क्यारका, 3. हेप्टा द्वितीय, 4. हीना गाँव	13.95

1	2	3	4	5	6
9.	सिं0 यो0 गोढुका तोक निराकोट गूल	निराकोट	भटवाड़ी	1. गुटका तोक, 2. जसपुर गाँव	3.50
10.	सिं0 यो0 नगरा तोक निसमोर गूल	निसमोर	भटवाड़ी	1. नगरा तोक, 2. सेलाणी तोक, 3. गडीयारा तोक	3.49
11.	सिं0 यो0 लोकार तोक गूल/हौज	कंकराडी	भटवाड़ी	1. लोकार तोक, 2. भेटियाली तोक–मस्ताडी	4.26
12.	सिं0 यो0 स्कूल से मचीना तोक हीना गूल	हीना	भटवाड़ी	1. हेप्टा से हरोला तोक, 2. क्यार्का तोक, 3. हेप्टा द्वितीय, 4. हीना तोक	4.17
13.	सिं0 यो0 दुड़ी ढंगार तोक दिलसौड़ गूल	दिलसौड	भटवाड़ी	1. दुड़ी ढंगार तोक	3.48
14.	सिं0 यो0 ताला तोक जामक मरम्मत गूल	जामक	भटवाड़ी	1. ताला तोक	5.27
15.	सिं0 यो0 पाटा संग्राली गूल	पाटा संग्राली	भटवाड़ी	1. पाटा तोक, 2. संग्राली तोक	6.26
16.	सिं0 यो0 डाबा तोक माण्डों गूल	माण्डों	भटवाड़ी	1. ढाबा तोक, 2. क्यार्का तोक	3.47
17.	सिं0 यो0 पुगड़ी तोक साल्ड गूल	साल्ड	भटवाड़ी	1. पुंगडी तोक, 2. पुन्नू तोक, 3. पेरा तोक	6.17
18.	सिं0 यो0 भग्यास तोक जखोल गूल	जखोल	भटवाड़ी	1. भग्यास तोक	3.44
19.	सिं0 यो0 परिहारी से बोड़ी तोक नेताला गूल	नेताला	भटवाड़ी	1. परिहारी से बौडी तोक	3.50
20.	सिं0 यो0 शिव मन्दिर से घाट स्यावा गूल	स्यावा	भटवाड़ी	1. शिव मन्दिर के घट तोक, 2. दुगोला से भुनेटा तोक	5.25
21.	सिं0 यो0 कामर ब्रान्च गूल	कामर	भटवाड़ी	1. कामर तोक, 2. ब्रांच गूल कामर	19.53
22.	सिं0 यो0 घटुगा तोक उत्तरौं गूल	उत्तरौं	भटवाड़ी	1. घटुगां तोक	3.49
23.	सिं0 यो0 कुण्डा तोक तेताला गूल	नेताला	भटवाड़ी	1. कुण्डा तोक	3.47

1	2	3	4	5	6
24.	सिं0 यो0 किशनपुर गूल	किशनपुर	भटवाड़ी	1. किमुड तोक, 2. फलकोटा तोक, 3. द्यूल प्रथम, 4. द्यूल द्वितीय, 5. द्यूल तृतीय तोक, 6. एजिवाला तोक, 7. गर्वियाण तोक, 8. गाडका दुगडा तोक	14.84
25.	सिं0 यो0 मानपुर गूल	मानपुर	भटवाड़ी	1. एरियाणी तोक, 2. पडका तोक, 3. सेमलू तोक, 4. नैत तोक, 5. डडोरी तोक, 6. बिट्टा तोक	9.71
26.	सिं0 यो0 मानपुर (E.R.M.) गूल	मानपुर	भटवाड़ी	1. सिराडी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 2. गाड तोक, 3. खरादी तोक, 4. डडोरी तोक, 5. कमनियाण तोक	12.39
27.	सिं0 यो0 थलन गूल	थलन	भटवाड़ी	1. रवाडा तोक, 2. पुनाहू तोक, 3. गाड तोक	5.17
28.	सिं0 यो0 थलन (E.R.M.) गूल	थलन	भटवाड़ी	1. बोरियाल तोक, 2. डोमा प्रथम, द्वितीय, 3. सोलकुडी तोक	4.75
29.	सिं0 यो0 चामकोट गूल	चामकोट	भटवाड़ी	1. पौराण तोक	3.48
30.	सिं0 यो0 बौंगाड़ी गूल/हौज	बौंगाड़ी	भटवाड़ी	1. बौटियाला तोक, 2. सानी तोक, 3. समाई तोक, 4. नाग तोक, 5. शेरपुर हैड, 6. कफोन हैड, 7. गोद तोक हैड	8.90
31.	सिं0 यो0 हरत तोक गूल	भडकोट	डुण्डा	हरत तोक	2.03

1	2	3	4	5	6
32.	सिं0 यो0 मटियाला गाड़ से तमदनी गूल	मट्टी	डुण्डा	टियाला गाड़ से तमदनी तोक	3.64
33.	सिं0 यो0 नौताड़ तोक गूल	न्यूगांव	डुण्डा	नौताड़ तोक	4.40
34.	सिं0 यो0 सिराराम से गढ़थाती गूल	बडेथ	डुण्डा	सिराराम से गढथाती	3.96
35.	सिं0 यो0 हलोटू प्रथम गूल	न्यूगाँव	डुण्डा	हलोटू प्रथम	4.80
36.	सिं0 यो0 सेरी गडेरा चौंठी तोक गूल	सिरी	डुण्डा	सेरी गडेरा चौंठी तोक	2.04
37.	सिं0 यो0 सिलक्यारा तारा तोक गूल	सौंद	डुण्डा	सिलक्यारा तारा तोक	1.96
38.	सिं0 यो0 मुलाणी खड्ड से भिडाड़ा गूल	सिलक्यारा सौंद	डुण्डा	मुलाणी खड्ड से भिडाड़ा तोक	2.79
39.	सिं0 यो0 मुलाणी से कस्तुरा सौंन्द गूल	सौंद	डुण्डा	मुलाणी से कस्तूरा तोक	2.94
40.	सिं0 यो0 माडिया तोक सिलक्यारा गूल	सिलक्यारा सौंद	डुण्डा	माडिया तोक	1.48
41.	सिं0 यो0 रायकूल तोक गूल	बोन	डुण्डा	रायकूल तोक	1.87
42.	सिं0 यो0 तल्ला मांगली सेरा गूल	मांगली सेरा	डुण्डा	तल्ला मांगली सेरा तोक	1.47
43.	सिं0 यो0 धारका पैन्दा तोक गूल	बोन	डुण्डा	धारका पैन्दा तोक	1.37
44.	सिं0 यो0 बिलक्यारका तोक रतूड़ीसेरा गूल	रतूड़ी सेरा	डुण्डा	बल्क्यारका तोक	2.09
45.	सिं0 यो0 गडेराधार तोक पंज्याला गूल	पंज्याला	डुण्डा	गडेराधार तोक	2.38
46.	सिं0 यो0 परियारा हेडा से धनारी गूल	चकोन	डुण्डा	पनियारा हेडा तोक	2.44
47.	सिं0 यो0 भेटी तोक ढुंगी गूल	ढुंगी	डुण्डा	भेटी तोक	2.23
48.	सिं0 यो0 रेणूवासा खटटू गूल	रेणूवासा खट्टू	डुण्डा	रेणूवासा खटटू	2.36
49.	सिं0 यो0 कुनेरी नामे तोक गूल	बडेथ	डुण्डा	कुनेरी नामे तोक	11.00

1	2	3	4	5	6
50.	सिं0 यो0 बाण तोक निचली ग्योनोटी गूल	ग्योनोटी	डुण्डा	बाण तोक	2.60
51.	सिं0 यो0 घटक्यार्क तोक गूल	भटवाडी	डुण्डा	घटक्यार्क तोक	2.07
52.	सिं0 यो0 चिनदुमकी तोक गूल	ढुगांलगांव	डुण्डा	चिनढुमकी तोक	1.49
53.	सिं0 यो0 विल्यारा तोक गूल	भटवाडी	डुण्डा	विल्यारा तोक	4.08
54.	सिं0 यो0 फड़खेत तोक गूल	बगसारी	डुण्डा	फड़खेत तोक	1.89
55.	सिं0 यो0 गीटतल्ला तोक गूल	चकोन	डुण्डा	गीटतल्ला तोक	1.84
56.	सिं0 यो0 बटक्यारका तोक चकोन गूल	चकोन	डुण्डा	बटक्यारका तोक	3.51
57.	सिं0 यो0 क्यारकी तोक चकोन गूल	चकोन	डुण्डा	क्यारकी तोक चकोन	2.55
58.	सिं0 यो0 परियारा तोक गूल	ढुगांलगांव	डुण्डा	परियारा तोक	1.69
59.	सिं0 यो0 फेडू नामे तोक बग्याल गाँव गूल	बग्यालगांव	डुण्डा	फेडू नामे तोक	2.13
60.	सिं0 यो0 हेटा तोक दिगथेल गूल	दिगथोल	डुण्डा	हेटा तोक	2.59
61.	सिं0 यो0 खोला तोक भाकड़ा गूल	भाकड़ा	डुण्डा	खोता तोक	0.97
62.	सिं0 यो0 ठाण्डी से बेड़ेहारी मज्यागाँव गूल/हौज	फोल्ड	डुण्डा	ठाण्डी से वेडेहारी तोक	1.85
63.	सिं0 यो0 चांवली तोक गूल	हिटाणू	डुण्डा	चांवली तोक	3.01
64.	सिं0 यो0 कैड़ीगाड बिट्टा तोक गूल	हिटाणू	डुण्डा	कैड़ीगाड़ बिट्टा तोक	2.74
65.	सिं0 यो0 परियारा तोक गूल	भटवाडी	डुण्डा	पनियारा तोक	2.12
66.	सिं0 यो0 ज्वैड़ा कवाव तोक गूल	ढुगांलगांव	डुण्डा	ज्वैडा कवाव तोक	2.71
67.	सिं0 यो0 गडारा चिलमुड़ गाँव गूल	चिलमुड़गांव	डुण्डा	गडारा तोक	2.21

1	2	3	4	5	6
68.	सिं0 यो0 दिगथोल तोक भटवाड़ी धनारी गूल	भटवाड़ी धनारी	डुण्डा	दिगथोल तोक	2.15
69.	सिं0 यो0 बौका विट्टा कैडत्री गाड गूल	पुजारगांव	डुण्डा	दौका विट्टा केड़ी गाड	1.37
70.	सिं0 यो0 बाड़ी तोक पिपली गूल	पिपली	डुण्डा	दाडी तोक	3.00
71.	सिं0 यो0 हैना वाटा तोक पटफड़ी गूल	पटुड़ी	डुण्डा	हैना वाटा तोक	1.17
72.	सिं0 यो0 बाटे नामे तोक ढुगाल गाँव गूल	ढुगालगाँव	डुण्डा	बाटे नामे तोक	0.77
73.	सिं0 यो0 ढुमका तोक ढुंगाल गाँव हौज/गूल	ढुगांलगाँव	डुण्डा	ढुमका तोक	1.81
74.	सिं0 यो0 कुनेरी नामे तोक गूल	पंजियाला	डुण्डा	कुनेरी नामे तोक	2.62
75.	सिं0 यो0 उपला सांगुड़ा गूल	मांगली सेरा	डुण्डा	उपला सागुंड़ा	2.95
76.	सिं0 यो0 पिनाका पेड़ तोक विड़गाँव सिंगोट गूल	सिंगोट	डुण्डा	पिनाका पेड़ तोक	1.32
77.	सिं0 यो0 तोड़िया तोक सिंगोट गूल	सिंगोट	डुण्डा	तोड़िया तोक	2.15
78.	सिं0 यो0 मोल्यिा सेरा से अब्बल के खेत गूल	सिंगोट	डुण्डा	मोल्यिा सेरा से अब्बल के खेत	1.57
79.	सिं0 यो0 हरिजन बस्ती साल्ड कुराह गूल/हौज	कुराह	डुण्डा	हरिजन बस्ती	1.35
80.	सिं0 यो0 चोडीकांवडा तोक गूल	उपरीकोट	डुण्डा	चोडीकांवडा तोक	3.52
81.	सिं0 यो0 खेता से उढगली तोक गूल	गढ	डुण्डा	खेता से उढगली	1.99
82.	सिं0 यो0 रायकूल से अखोरियान बौन गूल	बौन	डुण्डा	रायकूल से अखोरियान	1.19
83.	सिं0 यो0 बहारी तोक जुगुल्ड़ि गूल	जुगुल्ड़ि	डुण्डा	बहारी तोक	5.09

1	2	3	4	5	6
84.	सिं0 यो0 बगोरा से कैडियान पंजियाला गूल	पंजियाला	डुण्डा	बगोरा से कैडियानी तोक	3.67
85.	सिं0 यो0 ऐठणीं तोक पंजियाला गूल	पंजियाला	डुण्डा	ऐठणीं तोक	3.04
86.	सिं0 यो0 कुमाटा तोक बौन गूल	बोन	डुण्डा	कुमाटा तोक	2.41
87.	सिं0 यो0 चान्दपुर खरवां बड़ेथी गूल	खरवां	डुण्डा	चान्दपुर तोक	2.41
88.	सिं0 यो0 पिपल के पेड़ से पुजारगांव तोक गूल	गढ	डुण्डा	पीपल के पेड़ से पुजारगांव तोक	2.30
89.	सिं0 यो0 गडियारी तोक कुराह गूल/हौज	कुराह	डुण्डा	गडियारी तोक	1.40
90.	सिं0 यो0 सांगूसेरा से बैसाखू के खेत गूल	कुंसी	डुण्डा	सांगूसेरा से बैसाखू के खेत	1.20
91.	सिं0 यो0 पायां से धनियाडू गूल	नाकुरी बरसाली	डुण्डा	पांया से धनियाडू तोक	1.75
92.	सिं0 यो0 मुयल्याण तोक गूल/हौज	पाव	डुण्डा	मुल्याण तोक	1.34
93.	सिं0 यो0 कैल्यानी तोक गूल	गेंवला	डुण्डा	कैल्यानी तोक	3.10
94.	सिं0 यो0 कैल्यानी तोक मरम्मत गूल	गेंवला	डुण्डा	कैल्यानी तोक मरम्मत	2.51
95.	सिं0 यो0 चवान सिंह के खेत से ठडियार तोक गूल/हौज	भैन्त	डुण्डा	चवान सिंह के खेत से ठडियार तोक	1.95
96.	सिं0 यो0 भेल से चौंदियाड़ा तोक दिखोली गूल	चोंदियाटगाँव	डुण्डा	भेल से चौंदियाड़ा तोक दिखोली	2.04
97.	सिं0 यो0 गाड तोक घुत्ति डागरा उडरी गूल	उडरी	डुण्डा	गाड तोक घुत्ति डागरा	1.60
98.	सिं0 यो0 भेलगडी से फेडुली गूल	भडकोट	डुण्डा	भेलगडी से फेडुली तोक	1.59
99.	सिं0 यो0 लेगड़ियान से सेमलू भैन्त गूल/हौज	भैन्त	डुण्डा	लेगड़ियान से सेमलू तोक	1.10

1	2	3	4	5	6
100.	सिं0 यो0 थलेन्डा तोक भड़कोट गूल	भड़कोट	डुण्डा	थलेन्डा तोक	1.56
101.	सिं0 यो0 रौलिया तोक बड़ेथगूल	बड़ेथ	डुण्डा	रौलिया तोक	3.00
102.	सिं0 यो0 नगवालगांव धारमती तोक गूल	हुल्डियांण	डुण्डा	नगवालगांव धारमती तोक	2.25
103.	सिं0 यो0 भैन्त गाड़ द्वितीय गूल	भैन्त	डुण्डा	भैन्त गाड द्वितीय	1.53
104.	सिं0 यो0 पंचुणी का पनियारा तोक गोरसाड़ा गूल	गोरसाड़ा	डुण्डा	पंचुणी का पनियारा तोक	2.64
105.	सिं0 यो0 हौज से चोपड़ा तोक गोरसाड़ा गूल/पाईप	गोरसाडा	डुण्डा	हौज से चोपड़ा तोक	1.56
106.	सिं0 यो0 क्यारकी तोक भड़कोट गूल	भड़कोट	डुण्डा	क्यारकी तोक	2.54
107.	सिं0 यो0 भाटुका पानी तोक भैन्त गूल/हौज	भैन्त	डुण्डा	भाटुका पानी तोक	0.90
108.	सिं0 यो0 तिरबुजी मुण्डखोली भैन्त गूल/हौज	भैन्त	डुण्डा	तिरबुजी मुण्डखोली तोक	1.03
109.	सिं0 यो0 भुतक्वाड् भटक्यार्क/मथ्या हलोटु गूल	न्यूगांव	डुण्डा	भुतक्वाड़ भटक्यार्क/मथ्या हलोटु तोक	3.54
110.	सिं0 यो0 चुलीखेत प्रथम गूल	उडरी	डुण्डा	चुलीखेत प्रथम	1.59
111.	सिं0 यो0 चुलीखेत द्वितीय गूल	उडरी	डुण्डा	चुलीखेत द्वितीय	1.49
112.	सिं0 यो0 घरसानी तोक गूल	न्यूगांव	डुण्डा	घरसानी तोक	2.67
113.	सिं0 यो0 भीड़मनहारी तोक गूल	हुल्डियांण	डुण्डा	भीड़मनहारी तोक	3.57
114.	सिं0 यो0 गढवियाण तोक गूल	न्यूगांव	डुण्डा	गढवियाण तोक	3.57
115.	सिं0 यो0 दनोड़ी से बैलिया माटा भेटियारा गूल	भेटियारा	डुण्डा	दनोड़ी से बैलिया माटा तोक	2.22
116.	सिं0 यो0 भैलिया तोक न्यूगांव गूल	न्यूगांव	डुण्डा	भैलिया तोक	1.57
117.	सिं0 यो0 बान्दरागाड़ से बन्दा तोक गूल	उडरी	डुण्डा	बान्दरागाड़ से बन्दा तोक	2.15

1	2	3	4	5	6
118.	सिं0 यो0 औडार तोक गूल	कुमारकोट	डुण्डा	औडार तोक	2.09
119.	सिं0 यो0 भैलिया तोक न्यूगांव गूल	हुल्डियांण	डुण्डा	घटुगाड तोक	2.90
120.	सिं0 यो0 पालीकोल पाल तोक न्यूगांव गूल	न्यूगांव	डुण्डा	पालीकोल पाल तोक	2.95
121.	तल्ला शील नामें तोक गुल	भडकोट	डुण्डा	तलला शील नामें तोक	2.97
122.	सिं0 यो0 ल्यांण तोक गूल/हौज	गढथाती	डुण्डा	ल्यांण तोक	3.96
123.	सिं0 यो0 नागनी तोक गूल/हौज	हुल्डियांण	डुण्डा	नागनी तोक	1.67
124.	सिं0 यो0 भमोरू गाड मध्ये गूल	उडरी	डुण्डा	भमोरू गाड मध्ये	1.33
125.	सिं0 यो0 ढुमाक तोक गूल	न्यूगांव	डुण्डा	ढुमका तोक	1.63
126.	सिं0 यो0 चम्फुवा तोक गूल	न्यूगांव	डुण्डा	चम्फुवा तोक	1.93
127.	सिं0 यो0 लोणी तोक दिखोली गूल	दिखोली	डुण्डा	लोणी तोक	2.89
128.	सिं0 यो0 चवाड़ तोक पोखरियाल गांव गूल	पोखरियालगांव	डुण्डा	चवाड़ तोक	1.27
129.	सिं0 यो0 सिमयारा तोक गूल	भेटियाला	डुण्डा	सिमयारा तोक	2.12
130.	सिं0 यो0 नैपड़/रोलिका बण तोक गूल	नैपड	डुण्डा	नैपड/रोलिका बण तोक	2.44
131.	सिं0 यो0 चौंड़ागाड़ जामा पटाली गूल	सौड	डुण्डा	चौड़ागाड़ जामा पटाली	1.89
132.	सिं0 यो0 न्यूसारी तोक गूल/हौज	न्यूगांव	डुण्डा	न्यूसारी तोक	1.25
133.	सिं0 यो0 ठडियार से जगत के खेत तोक गूल/हौज	भैन्त	डुण्डा	ठडियार से जगत के खेत तोक	2.04
134.	सिं0 यो0 शिलगदार तोक गूल	बडेथ	डुण्डा	शिलगदरा तोक	3.45
135.	सिं0 यो0 खेडू घट से बन्दाखांली गूल	न्यूगांव	डुण्डा	खेडू घट से बन्दाखांली	2.19
136.	सिं0 यो0 उपला नैल तोक नैपड़ गूल	नैपड	डुण्डा	उपला नैल तोक	1.12

1	2	3	4	5	6
137.	सिं0 यो0 खोली तोक द्वितीय गूल/हौज	न्यूगांव	डुण्डा	खोली तोक द्वितीय	1.83
138.	सिं0 यो0 पोज्याड़ा तोक बागी गूल	बागी	डुण्डा	पोज्याड़ा तोक	2.94
139.	सिं0 यो0 चलगडरी से दौडित्रयाण गूल	चोंदियाटगांव	डुण्डा	चलगडरी से दौथिाण तोक	2.15
140.	सिं0 यो0 चलगडरी से बजियाण तोक गूल	चोंदियाटगांव	डुण्डा	चलगडरी से बजियाण तोक	1.34
141.	सिं0 यो0 पनियारा से ओडारा तोक सिरी गूल	सिरी	डुण्डा	पनियारा से ओडार तोक	4.17
142.	सिं0 यो0 हलोटू न्यूगांव गूल/हौज	न्यूगांव	डुण्डा	हलोटू तोक	1.58
143.	सिं0 यो0 धौंतरी से छमाली गूल	सिरी	डुण्डा	धौंतरी से छमाली तोक	5.50
144.	सिं0 यो0 लौगड़ियांण से प्यारी तोक गूल	भैन्त	डुण्डा	लौगड़ियांण से प्यारी तोक	1.32
145.	सिं0 यो0 गेटी से अनुड़ी कमद गूल	कमद	डुण्डा	गेटी से अनुड़ी तोक	4.79
146.	सिं0 यो0 बडियार तोक पाव गूल	पाव	डुण्डा	बडियार तोक	0.89
147.	सिं0 यो0 कुर्सिल तोक गढ़ गूल	गढ़	डुण्डा	कुर्सिल तोक	0.92
148.	सिं0 यो0 मरम्मत गडली नहर गूल	लोदाडा	डुण्डा	गडली नहर मरम्मत	1.96
149.	सिं0 यो0 बेसिक पाठशाला सेरा मध्ये सौड़ गूल	लोदाडा	डुण्डा	बेसिक पाठशाला सेरा मध्ये सौडत्र तोक	1.50
150.	सिं0 यो0 कराना तोक मरम्मत बौन गूल	बौन	डुण्डा	कराना तोक मरम्मत	2.57
151.	सिं0 यो0 नौताड तोक बरसाली गूल	मांगली सेरा	डुण्डा	नोताड तोक	1.38
152.	सिं0 यो0 सेन्टा नहर तोक मरम्मत गूल	पाव	डुण्डा	सेन्टा नहर तोक मरम्मत	1.37
153.	सिं0 यो0 मुल्यांण तोक मरम्मत गूल	पाव	डुण्डा	मुल्यांण तोक मरम्मत	0.71
154.	सिं0 यो0 बडियार गांव गूल मरम्मत	पाव	डुण्डा	बडियार गांव तोक मरम्मत	1.38
155.	सिं0 यो0 कन्दली खाल पयांसारी गूल	खुरमोला	डुण्डा	कन्दली खाल पयांसारी	2.00

1	2	3	4	5	6
156.	सिं0 यो0 सकोरा तोक मांगली सेरा गूल	मांगली सेरा	डुण्डा	सकोरा तोक	2.06
157.	सिं0 यो0 कैडीरौ तोक बगोन जेमर गूल	जेमर	डुण्डा	कैडीरौ तोक	1.51
158.	सिं0 यो0 पिपल के पेड़ से नरसिंग गढबरसाली गूल	गढ	डुण्डा	पिपल के पेड़ से नरसिंग तोक	0.92
159.	सिं0 यो0 झालियाधार तोक गूल	न्यूगांव	डुण्डा	झालियाधार तोक	1.92
160.	सिं0 यो0 घटगाड तोक/ओडार तोक गूल	न्यूगांव	डुण्डा	घटगाड तोक/ओडार तोक	1.41
161.	सिं0 यो0 खोली तोक गूल मरम्मत	न्यूगांव	डुण्डा	खोली तोक मरम्मत	1.26
162.	सिं0 यो0 खोया तोक खरवां बड़ेथी गूल	खरवां	डुण्डा	खोया तोक	2.57
163.	सिं0 यो0 जसपुर हाईड्रम मरम्मत गूल	जसपुर	डुण्डा	जसपुर हाईड्रम मरम्मत	6.04
164.	सिं0 यो0 कवां/पम्पलाडु तोक कवां गूल	कवां	डुण्डा	कवां/पम्पलाडु तोक	1.29
165.	सिं0 यो0 खांणी तोक हुल्डियांण गूल	हुल्डियांण	डुण्डा	खांणी तोक	2.86
166.	सिं0 यो0 फेडू खान्दे तोक हिटाणू गूल	हिटाणू	डुण्डा	फेडू खान्दे तोक	3.78
167.	सिं0 यो0 बिटा नामे तोक हिटाणू गूल	हिटाणू	डुण्डा	बिटा नामे तोक	4.55
168.	सिं0 यो0 जिवाला तोक गूल	सिंगोट	डुण्डा	जिवाला तोक	2.18
169.	सिं0 यो0 सुन्दरु का छांजा तोक गूल	बोन	डुण्डा	सुन्दरु का छांजा तोक	2.03
170.	सिं0 यो0 मटियाला गाड़ से टेम्टा मट्टी गूल	मट्टी	डुण्डा	मटियाला गाड़ से टेम्टा	2.80
171.	सिं0 यो0 तल्लासारीखड से बटीउलख्यारी गूल/हौज/पाईप	जेमर	डुण्डा	तल्लासारीखड से बटीउलख्यारी	5.60

अनुलग्नक–15

नत्थी ''ग''

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

ख0वि0अ0 बीरोंखाल द्वारा भेजा गया विवरण

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड	संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था	भौतिक प्रगति	द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने का कारण
मा0 विधायक का नाम–श्रीमती अमृता रावत		विधान सभा क्षेत्र–बीरोंखाल					
	वर्ष, 2004–05						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जिवई में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	बीरोंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
2.	डुमलोट में महिला स्नानागर का निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
3.	गडोली गाड़ में पुलिया निर्माण	बीरोंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
	वर्ष, 2005–06						
1.	ग्राम व तोक चोरखिण्डा में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	बीरोंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
2.	ग्राम व तोक लोदनी में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	बीरोंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
3.	ग्राम कसाणी तोक बाडयूगांव में महिला प्रसूति गृह	बीरोंखाल	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
4.	बमराड़ी तोक मंगरो में महिला मिलन केन्द्र	बीरोंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
5.	खिटोटिया के तोक खतेयूं में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	बीरोंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
6.	डाडा तल्ला के तोक सागुड़ियूं बाड़ियों में महिला प्रसूति गृह निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
7.	ग्राम कमलिया के कमलिया तल्ला में महिला प्रसूति गृह का निर्माण	बीरौंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	वयेड़ा के तोक भैस्वाड़ा में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	बीरौंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
9.	धोबीघाट सिलोली के तोक कुरकण्डई में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	बीरौंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
10.	डाबरपुरा अनु0जा0 बस्ती में बारातघर का निर्माण	बीरौंखाल	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
11.	ग्राम कैलाड़ में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	बीरौंखाल	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
	वर्ष, 2006–07						
1.	ग्राम सभा एरोली म0 के ग्राम एरोली में म0मि0के0 का नि0	बीरौंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
2.	ग्राम मरखोला काण्डा त0 में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरौंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
3.	अनु0 जाति बस्ती चौरखिण्डा में बारात घर का निर्माण	बीरौंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
	वर्ष, 2007–08						
1.	ग्राम पटोटिया अनु0 बस्ती में महिला स्नानागर का निर्माण	बीरौंखाल	0.300	0.220	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
2.	ग्राम खालागाँव में महिला मिलन केन्द्र के भवन का निर्माण	बीरौंखाल	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
3.	ग्राम बौखण्ड में महिला स्नानागर का निर्माण	बीरौंखाल	0.300	0.220	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
4.	ग्राम तलाई कसाणी में अनु0 जा0 के लिए महिला स्नानागर का निर्माण	बीरौंखाल	0.300	0.220	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
5.	ग्राम भिडकोट में अनु0 बस्ती में बारात घर का निर्माण	बीरौंखाल	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
6.	ग्राम सिलोली में महिला स्नानागर का निर्माण	बीरौंखाल	0.300	0.220	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
7.	ग्राम भैराड़ के अनु0 बस्ती में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरौंखाल	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
8.	ग्राम चोरखिण्डा त0 तथा मल्ला की अनु0 बस्ती में प्रवेशद्वार का निर्माण	बीरौंखाल	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त

अनुलग्नक–16

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड	संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था	भौतिक प्रगति	द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने का कारण
9.	ग्राम मटेला में महिला स्नानागर का निर्माण	बीरौंखाल	0.300	0.220	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
10.	ग्राम कुण्ड में महिला स्नानागर का निर्माण	बीरौंखाल	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
11.	ग्राम पंजेणा में महिला स्नानागर का निर्माण	बीरौंखाल	0.300	0.220	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
12.	ग्राम रिंगवाड़ में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरौंखाल	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
13.	ग्राम स्यूसी अनु0 बस्ती में दो शौचालय निर्माण	बीरौंखाल	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
14.	ग्राम मंगरो में महिला स्नानागर का निर्माण	बीरौंखाल	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
15.	ग्राम खलचौंरी में रसोईघर का निर्माण	बीरौंखाल	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
16.	ग्राम सभा भाखण्ड के तोक दलमियासैंण में थापल तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	बीरौंखाल	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
17.	ग्राम दलमोटा (सांवली) में बारात रसोईघर का निर्माण	बीरौंखाल	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
18.	ग्राम सेरा मल्ला (सांवली) में बारात रसोईघर का निर्माण	बीरौंखाल	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
19.	ग्राम डांडखिल (सांवली) में बारात रसोईघर का निर्माण	बीरौंखाल	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
20.	ग्राम भरोली (सांवली) में यात्री शेड का निर्माण	बीरौंखाल	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ढौंर में पंचायत भवन का जीर्णोद्धार का निर्माण	बीरोंखाल	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
22.	चौण्डी में सी0सी0 मार्ग निर्माण	बीरोंखाल	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
23.	ग्राम महादेवसैंण में पंचायत भवन जीर्णोद्धार	बीरोंखाल	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
24.	तलाई में दो शौचालय निर्माण	बीरोंखाल	0.600	0.450	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
25.	बाड़ा में सी0सी0 निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.220	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
26.	भरपुर हीरालाल के मकान से कृपाल के मकान तक सी0सी0 निर्माण	बीरोंखाल	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
27.	लैंगल में सी0सी0 मार्ग निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
28.	भैंस्वाड़ा में सी0सी0 मार्ग निर्माण	बीरोंखाल	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
29.	ग्राम सभा ककरोड़ा के ग्राम बन्दूण में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.870	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
30.	ग्राम सभा भाखण्ड के तोक खेतू में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.870	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
31.	ग्राम सभा नऊ नागणी एवं मंगरौ के बढेरू ढैया नामक स्थान पर महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.870	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
32.	ग्वीन मल्ला में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	1.900	1.420	ख0वि0अ0	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त
33.	रा0इ0का0स्यूंसी में विद्यालय के कक्ष मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु	बीरोंखाल	0.500	0.380	प्रधानाचार्य	P	योजना की बोर्ड सहित फोटो अप्राप्त

खाविoअo पोखड़ा द्वारा भेजा गया विवरण

अनुलग्नक–17

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड	संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था	भौतिक प्रगति	द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने का कारण
मा0 विधायक का नाम–श्रीमती अमृता रावत		**विधान सभा क्षेत्र–बीरोंखाल**					
	वर्ष, 2003–04						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्राम गवाणा मल्ला से गवाणा तल्ला तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.350	0.175	ग्राम प्रधान	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
2.	बांसई मल्ली से बांसई तल्ली सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.350	0.175	ग्राम प्रधान	P	मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है
3.	ग्राम असलोट में सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.150	ग्राम प्रधान	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
4.	चौबट्टाखाल बाजार में नाली निर्माण हेतु	पोखड़ा	0.300	0.150	ग्राम प्रधान	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
5.	गिवाली सी0सी0 निर्माण	पोखड़ा	0.200	0.100	ग्राम प्रधान	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
6.	ज0इ0का0 कमलपुर में अति0 कक्षा कक्ष निर्माण	पोखड़ा	1.200	0.750	ख0वि0अ0	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
7.	गडरी मल्ली में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.600	ख0वि0अ0	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
	वर्ष, 2004—05						
1.	आनन्दपुर मिगडी में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
2.	मालकोट में महिला स्नानागार निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
3.	कनोठ में स्नानागार का निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
4.	बांसई में महिला स्नानागार का निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
5.	धार की बीणा में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	फोटा ग्राफ अप्राप्त
6.	ग्राम पालीधार में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	वसूली होनी है
	वर्ष, 2005—06						
1.	ग्राम सभा घण्डियाल के ग्राम कनोटा में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	पोखड़ा	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है
2.	बिजोरा पानी में शौचालय का निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	वसूली की जा रही है
3.	मन्दिर से सलाणा तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	वसूली की जा रही है
4.	ग्राम सन्दणा गडरी पेयजल मरम्मत हेतु (विशेष मरम्मत कार्य)	पोखड़ा	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	वसूली की जा रही है
5.	बासई से मोटर मार्ग गांव तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	वसूली की जा रही है
6.	ज0उ0मा0वि0 दांथा में क्रीड़ास्थल का समतलीकरण एवं पुस्ता निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
7.	खाण्डाई ग्राम सभा मयालगांव में पेयजल टंकी निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
8.	ग्राम कुणज में महिला स्नानागार का निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	वसूली की जा रही है
9.	ग्राम पाटलियूं में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	पोखड़ा	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
10.	ग्राम पंचायत बड़ेथ में महिला प्रसूति गृह निर्माण	पोखड़ा	0.250	0.190	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त

अनुलग्नक–18

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड	संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था	भौतिक प्रगति	द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने का कारण
	वर्ष, 2007–08						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्राम धड़गाँव में आश्रम से भूमिया मन्दिर तक सी0सी0 निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
2.	ग्राम वस्यूर में मजगांव के पनघट पर विश्रामस्थल निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	N	भूमि विवाद
3.	मयाल गांव तल्ला में शौचालय का निर्माण	पोखड़ा	0.250	0.190	ख0वि0अ0	N	भूमि विवाद
4.	दलमाणा एवं थापला के सावधिस्थल में यात्री शैड का निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है
5.	ग्राम नौगांव में महिला मिलन केन्द्र निर्माण	पोखड़ा	1.250	0.940	ख0वि0अ0	N	फोटो ग्राफ अप्राप्त
6.	ग्राम बगड़ीगाड़ अनु0 बस्ती में महिला मिलन केन्द्र मिलन	पोखड़ा	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
7.	ज0इ0का0 लियाखाल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	पोखड़ा	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है
8.	नवज्योति शिशु निकेतन मिगडी गवाणी के लिए कक्षा कक्ष निर्माण	पोखड़ा	1.500	1.130	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
9.	ग्राम गडरी मल्ली के स्थान पित्रधार में विश्राम कक्ष	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
10.	ग्राम भेटी में पंचायत भवन का विस्तारीकरण/सौन्दर्यकरण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	ग्राम बड़ेथ में कृषि सुरक्षा हेतु चार दीवारी	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
12.	ग्राम गुडिण्डा में 300 ली0 क्षमता का जलाशय निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	
13.	स्थान खत्ता से निंडा तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	
14.	सेड़ियाखाल से पडियारगांव के बीच अनु0 बस्ती में सी0सी0 निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	
15.	मिगडी में लंटिलखोला में मिलन केन्द्र निर्माण	पोखड़ा	1.250	0.940	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
16.	चोपड़ा में भिलेश्वर महादेव सी0सी मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
17.	सलाण में पुरुष एवं महिला शौचालय निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
18.	पालीधार में यात्री शैड निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
19.	झलपाणी में पुरुष एवं महिला शौचालय निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
20.	चरगाड में शौचालय निर्माण	पोखड़ा	0.250	0.190	ख0वि0अ0	P	अनारम्भ
21.	अनु0 बस्ती गवाणी में शौचालय निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है
22.	ज0इ0का0 कुटियाखाल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	पोखड़ा	1.250	0.940	ख0वि0अ0	N	अनारम्भ
23.	ग्वीला तल्ला में दो महिला स्नानगृह का निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
24.	ग्वली तल्ला व मल्ला में पानी कीहौज निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	फोटो ग्राफ अप्राप्त
25.	ग्राम सभा मालकोट में पानी की हौज निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	N	अनारम्भ
26.	ग्राम सभा दांथा में सी0सी0 मार्ग का निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
27.	ग्राम गडरी में बस अड्डे से सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.380	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
28.	ग्राम गिंवाली में पंचायत घर मरम्मत	पोखड़ा	0.300	0.230	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
29.	ग्राम गिंवाली में चार शौचालय निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित
30.	ग्राम भेंटी में सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	ख0वि0अ0	P	मूल्यांकन अपेक्षित

अनुलग्नक–19

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड	संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था	भौतिक प्रगति	द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने का कारण
	वर्ष, 2007–08						
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	प0इ0का0 तिलखोली में छात्र–छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु	पोखड़ा	0.500	0.380	प्रधानाचार्य	P	मांग पत्र अप्राप्त
32.	प्रा0वि0 ओडगांव की सुरक्षा दीवार का निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	प्रधानाचार्य	P	मांग पत्र अप्राप्त

अनुलग्नक–20

खण्ड0वि0अ0 पोखड़ा द्वारा भेजा गया विवरण

वर्ष 2004–05

मा0 विधायक का नाम :–श्रीमती अमृता रावत, विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकाखण्ड का नाम	संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था	व्यय धनराशि	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि	भौतिक प्रगति	द्वितीय किस्त अवमुक्त न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जू0 हाईस्कूल सिमारखाल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	एकेश्वर	1.25	0.94	खण्ड विकास अधिकारी	0.94	0.31	प्रगति पर	कर्मचारी के हस्तान्तरण होने के कारण

वर्ष 2005–06

मा0 विधायक का नाम :–श्रीमती अमृता रावत, विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकाखण्ड का नाम	संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था	व्यय धनराशि	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि	भौतिक प्रगति	द्वितीय किस्त अवमुक्त न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ग्राम–सीमी में सड़क से गाँव तक खड़िंजा सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	एकेश्वर	0.80	0.60	खण्ड विकास अधिकारी	0.60	0.20	प्रगति पर	द्वितीय माँग प्रस्ताव पर आपत्ति
2.	ग्राम–सीला दन्द्राकोटी में प्रसूति गृह निर्माण	एकेश्वर	0.50	0.38	खण्ड विकास अधिकारी	0.38	0.12	प्रगति पर	एम0बी0 शेष
3.	ग्राम उच्चाकोट में बारातघर का निर्माण	एकेश्वर	1.00	0.75	खण्ड विकास अधिकारी	0.75	0.25	प्रगति पर	माँगा प्रस्ताव प्रेषित है

अनुलग्नक—21
वर्ष 2007—08

मा0 विधायक का नाम :—श्रीमती अमृता रावत, विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकाख खण्ड का नाम	संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था	व्यय धनराशि	भुगतान हेतु अवेशष धनराशि	भौतिक प्रगति	द्वितीय किस्त अवमुक्त न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ग्राम नरस्या क्षतिग्रस्त 100 मी0 पैदल मार्ग का पुनर्निर्माण	एकेश्वर	0.50	0.38	खण्ड विकास अधिकारी	0.38	0.12	प्रगति पर	माँग प्रस्ताव प्रेषित है
2.	ग्राम हलाई की अनु0 बस्ती के लिए पेयजल योजना का निर्माण	एकेश्वर	0.80	0.75	खण्ड विकास अधिकारी	0.40	0.05	प्रगति पर	एम0बी0 होना शेष है
3.	ग्राम चितरोली अनु0 बस्ती में सी0सी मार्ग का निर्माण	एकेश्वर	0.50	0.38	खण्ड विकास अधिकारी	0.20	0.12	प्रगति पर	द्वितीय माँग प्रस्ताव प्रेषित है
4.	ग्राम पंचायत रिंगवाडी के अनु0 जाति बस्ती के लिए सी0सी0 मार्ग का निर्माण	एकेश्वर	0.50	0.38	खण्ड विकास अधिकारी	0.38	0.12	प्रगति पर	फोटो अप्राप्त
5.	जनता इन्टर कॉलेज सुरईडांग में प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण	एकेश्वर	1.50	1.13	प्रधानाचार्य	0.50	0.37	प्रगति पर	कार्य पूर्ण न होने के कारण

अनुलग्नक–22

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

मा0 विधायक का नाम–श्रीमती अमृता रावत विधान सभा क्षेत्र–बीरोंखाल

वर्ष, 2008–09

कार्य का कोड	क्र0 सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृति धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संख्या	अवमुक्त हेतु अवेशष धनराशि	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
773	1.	घोड़पाला तल्ला में शौचालय निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
4322	2.	एरोली मल्ली अनु0जा0 के लिए सी0सी0 मार्ग	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
4367	3.	हिंडोलागैरी में स्वीकृत बडेरोढैया मिलन केन्द्र हेतु अतिरिक्त धनराशि	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
4374	4.	रिखाड़ में महिला मिलन केन्द्र पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोखाल	0.100	पी
4381	5.	शिशु निकेतन बैजरौं में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	प्रधानाचार्य	0.650	पी
4457	6.	प0इ0का0 चौखाल में कक्षा कक्ष का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	प्रधानाचार्य	0.650	पी
4460	7.	प0इ0का0 ललितपुर खाटली में एक कक्षा कक्ष का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	प्रधानाचार्य	0.650	पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4464	8.	पंचायत भवन महादेवसैंण का अवशेष निर्माण कार्य	बीरोंखाल	0.500	0.350	ग्राम प्रधान	0.150	पी
4586	9.	रा0इ0का0 भरोलीखाल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	प्रधानाचार्य	0.650	पी
4712	10.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीरोंखाल के लिए बेलोरो/मैक्स एम्बुलेन्स क्रय हेतु	बीरोंखाल	5.200	5.200	सी0एम0ओ0, पौड़ी	0.000	पी
4749	11.	डुनैला मल्ला अनु0 बस्ती में सी0सी0 मार्ग निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.000	सी
4761	12.	दुबलान में बारात रसोईघर का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
4799	13.	चौण्डला में पेयजल मरम्मत	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
4855	14.	ज0हाईस्कूल पाल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	प्रधानाचार्य	0.650	पी
4871	15.	जू0हा0स्कूल धोबीघाट में शौचालय निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
4872	16.	जू0हा0स्कूल घोडपाला में दो कक्षा कक्षों की दीवार निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.220	प्रधानाचार्य	0.080	पी
4902	17	नौगाँव (बाजार) में पेयजल योजना का जीर्णोद्धार	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
4903	18.	नौगांव श्मशान घाट में शवयात्री शेड का नि0	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0,	0.100	पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4926	19.	अनु0 बस्ती भमरई में महिला स्नानागृह के आंगन का पुस्ता एवं चबूतरा निर्माण हेतु	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
4927	20.	अनु0 बस्ती डांग में महिला मिलन केन्द्र की चार दीवारी निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
4938	21.	अनु0जा0 बस्ती ग्वालियर से पंदेरा रौला की पुलिया तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
4951	22.	ग्वीनखाल में पेयजल मरम्मत	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
4988	23.	ग्राम घोड़पाला मल्ला डांडवाली बस्ती में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
4992	24.	ग्राम घनश्याली अनु0 बस्ती में सी0सी0 मार्ग (ख0वि0अ0 को पूर्ण भुगतान)	बीरोंखाल	0.300	0.300	सी0एम0ओ0, पौड़ी	0.00	पी
4994	25.	ग्राम घनसाली में लोहार खोला अनु0जा0 बस्ती में महिला स्नानागार का निर्माण (दो सेट)	बीरोंखाल	0.600	0.450	ग्राम प्रधान	0.150	पी
5001	26.	ग्राम खौंद अनु0 बस्ती में सी0सी0 मार्ग निर्माण (70 मीटर)	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी

उपरोक्त योजनाओं के द्वितीय किस्त के माँग पत्र कार्यदायी संस्थाओं से अप्राप्त है।

अनुलग्नक–23

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

मा0 विधायक का नाम–श्रीमती अमृता रावत विधान सभा क्षेत्र–बीरोंखाल

वर्ष, 2008–09

कार्य का कोड	क्र0 सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृति धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संख्या	अवमुक्त हेतु अवेशष धनराशि	भोतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5014	27,	ग्राम खेतू में अनु0 जा0 बस्ती में महिला स्नानागृह का निर्माण (दो सेट)	बीरोंखाल	0.600	0.450	ग्राम प्रधान	0.150	पी
5017	28.	ग्राम खलधार में अनु0जा0 बस्ती में सी0सी0 मार्ग का निर्माण	बीरोंखाल	0.500	0-350	ग्राम प्रधान	0.150	पी
5032	29.	ग्राम ठंगा मल्ला में पेयजल योजना का निर्माण	बीरोंखाल	0.800	0.600	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.200	पी
5034	30.	ग्राम ठंगा तल्ला में पेयजल हेतु टेंक का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5040	31.	ग्राम बंवासा मल्ला में यात्री शेड का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5071	32.	ग्राम बंवासा मल्ला में प्रसूति गृह का निर्माण	बीरोंखाल	0.500	0.350	ग्राम प्रधान	0.150	पी
5075	33.	ग्राम बुंगधार मल्ला में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5095	34.	ग्राम कण्डूली छोटी में पेयजल टैंक का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5113	35.	ग्राम काण्डा मल्ला में शौचालय निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
5115	36.	ग्राम काण्डा तल्ला में यात्रीशेड का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5139	37.	ग्राम कोलरी में पेयजल मरम्मत	बीरोंखाल	0.300	0.200	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
5143	38.	ग्राम कदोला में महिला शौचालय का निर्माण (दो शेट)	बीरोंखाल	0.600	0.450	ग्राम प्रधान	0.150	पी
5145	39.	ग्राम कदोला अनु0 जा0 के लिए पेयजल मरम्मत	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5184	40.	ग्राम मासी में रैलिंग (बच्चों को स्कूल जाने के रास्ते में) लम्बाई 300 मीटर का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5202	41.	ग्राम मटकुण्डा में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
5214	42.	ग्रम ढिस्वाणी मल्ली महिला मिलन केन्द्र हेतु अतिरिक्त धनराशि	बीरोंखाल	0.500	0.350	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.150	पी
5249	43.	ग्राम थकुलसारी छोटी में अनु0जा0 बस्ती में पेयजल योजना की मरम्मत	बीरोंखाल	0.400	0.300	ग्राम प्रधान	0.100	पी
5323	44.	ग्राम भटवाड़ी में यात्रीशेड का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5330	45.	ग्राम पंचराड़ में पुलिया का निर्माण	बीरोंखाल	0.500	0.350	ग्राम प्रधान	0.150	पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5360	46.	ग्राम पनास में यात्री शेड निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5389	47.	ग्राम घोड़ियाणा डांगू मल्ला में शौचालय निर्माण	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
5416	48.	ग्राम सभा नाकुरी में अनु0 बस्ती में पेयजल टेंक का मार्ग निर्माण (ख0वि0अ0 को पूर्ण भुगतान)	बीरोंखाल	0.400	0.400	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.000	पी
5423	49.	ग्राम सीला में पुलिया निर्माण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5433	50.	ग्राम सुगरखाल की अनु0जा0 बस्ती में महिला केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
5492	51.	ग्राम देकुण्डाई में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
5530	52.	ग्राम चन्दोली में पेयजल टैंक मरम्मत	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी

उपरोक्त योजनाओं के द्वितीय किस्त के माँग पत्र कार्यदायी संस्थाओं से अप्राप्त है।

अनुलग्नक–24

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

मा0 विधायक का नाम–श्रीमती अमृता रावत विधान सभा क्षेत्र–बीरोंखाल

वर्ष, 2008–09

कार्य का कोड	क्र0 सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृति धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संख्या	अवमुक्त हेतु अवेशष धनराशि	भोतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	53.	ग्राम नडिया में पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु	बीरोंखाल	0.500	0.350	ग्राम प्रधान	0.150	पी
	54.	ग्राम नवासू/सीला में महिला स्नानगृह का नि0	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी00डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
	55.	ग्राम ग्वीन मल्ला में यात्री शेड का निर्माण	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी00डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
	56.	ग्राम लाछी के अनु0 जा0 बस्ती में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	बीरोंखाल	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
	57.	ग्राम लाछी सैंणगोध में यात्री विश्रामगृह का निर्माण	बीरोंखाल	0.500	0.350	ग्राम प्रधान	0.150	पी
	58.	कफलगैरी रौली में पुलिया निर्माण	बीरोंखाल	1.000	0.750	बी00डी0ओ0, बीरोंखाल	0.250	पी
	59.	मगरी में मिलन केन्द्र के अतिरिक्त कार्य के निर्माण हेतु	बीरोंखाल	0.400	0.300	बी00डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
	60.	बंगार में शुलभ शौचालय हेतु	बीरोंखाल	0.300	0.220	बी00डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	61.	बैजरो बाजार में शौचालय का निर्माण (दो सेट)	बीरोंखाल	0.600	0.450	ग्रामप्रधान	0.150	पी
	62.	खुशबू पब्लिक स्कूल संगलाकोटी में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण	एकेश्वर	2.500	1.850	प्रधानाचार्य	0.650	पी
	63.	ज0इ0का0 सुरखेत में सभा कक्ष/अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	एकेश्वर	2.500	1.850	ग्रामप्रधान	0.650	पी
	64.	ज0इ0का0 सुरईडांग में प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि	एकेश्वर	1.500	1.100	प्रधानाचार्य	0.400	पी
	65.	ग्राम बमोली में पानी टैंक निर्माण	एकेश्वर	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, एकेश्वर	0.100	पी
	66.	ग्राम बड़ेथ अनु0जा0 बस्ती के लिए सी0सी0 मार्ग का निर्माण	एकेश्वर	1.000	0.750	बी0डी0ओ0, एकेश्वर	0.250	पी
	67.	ग्राम बड़ेथ में अनु0 जा0 के लिए प्रसूति गृह का निर्माण	एकेश्वर	1.000	0.750	ग्राम प्रधान	0.250	पी
	68.	ग्राम रिंगवाड़ी के मन्दिर के समीप विश्राम कक्ष तथा स्नानागर एवं शौचालय का निर्माण	एकेश्वर	3.000	2.250	बी0डी0ओ0, एकेश्वर	0.750	पी
	69.	ग्राम संगलाकोटी में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	एकेश्वर	2.500	1.850	बी0डी0ओ0, एकेश्वर	0.650	पी
	70.	ग्राम सभा पाथर के स्थान जड़पानी में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	एकेश्वर	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
	71.	ग्राम सतपाली में अनु0जा0 के लिए मोटर मार्ग से गाँव तक सी0सी0 मार्ग	एकेश्वर	1.000	0.750	बी0डी0ओ0, एकेश्वर	0.250	पी
	72.	ग्राम नौंगाव में पानी के लिए टैंक का निर्माण	एकेश्वर	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, एकेश्वर	0.100	पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73.	ग्राम लटिबाँ में पानी के टैंक का निर्माण	एकेश्वर	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, एकेश्वर	0.100	पी
	74.	ग्राम लटिबाँ में अनु0जा0 बस्ती में सी0सी0 मार्ग का निर्माण	एकेश्वर	1.000	0.750	ग्राम प्रधान	0.250	पी
	75.	घरतोली में अनु0जा0 बस्ती में पेयजल टैंक का निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, पोखड़ा	0.100	पी
	76.	खड़किया तोल से तल्ली गांव मलली में पेयजल योजना का निर्माण	पोखड़ा	0.800	0.600	बी0डी0ओ0, पोखड़ा	0.200	पी
	77.	ग्राम सभा गडोली ग्राम झल्लू में पेयजल योजना की मरम्मत	पोखड़ा	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, पोखड़ा	0.080	पी
	78.	झलपाड़ी में प्रसूति गृह का निर्माण	पोखड़ा	0.800	0.600	बी0डी0ओ0, पोखड़ा	0.200	पी

उपरोक्त योजनाओं के द्वितीय किस्त के माँग पत्र कार्यदायी संस्थाओं से अप्राप्त है।

अनुलग्नक–25

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

मा0 विधायक का नाम–श्रीमती अमृता रावत विधान सभा क्षेत्र–बीरोंखाल

वर्ष, 2008–09

कार्य का कोड	क्र0 सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृति धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संख्या	अवमुक्त हेतु अवेशष धनराशि	भोतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4358	79.	बिहार राज्य बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने हेतु प्रेषित	पोखड़ा	5.000	5.000	आयुक्त, पौड़ी	0.000	पी
4412	80.	गिंवाली में अनु0जा0 बस्ती में टैंक निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, पोंखड़ा	0.100	पी
4446	81.	भदुली में अनु0 जा0 बस्ती मे पेयजल टैंक निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, पोंखड़ा	0.100	पी
4456	82.	प0इ0का0 कुंण्जखाल में छात्र–छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु	पोखड़ा	0.500	0.350	प्रधानाचार्य	0.150	पी
4527	83.	प्रा0वि0 गडरी में पुस्ता निर्माण	पोखड़ा	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, पोंखड़ा	0.080	पी
4630	84.	रा0का0उ0मा0वि0 पोखड़ा में शौचालय पुस्ता एवं चारदीवारी का निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	बी0डी0ओ0, पोंखड़ा	0.250	पी
4688	85.	स0शिशु मन्दिर गवाणी में खेल मैदान के निर्माण हेतु	पोखड़ा	1.000	0.750	प्रधानाचार्य	0.250	पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4719	86.	सेड़ियाखाल में मोटर मार्ग से धेड़गांव सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 निर्माण/पक्कीकरण	पोखड़ा	3.500	2.500	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.900	पी
4725	87.	डयूला मल्ला में कोलीछानी में पुलिया निर्माण	पोखड़ा	0.800	0.600	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.900	पी
4760	88.	दांथा में श्मशान घाट में शेड निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.200	पी
4796	89.	चमनाऊ में प्रसूति गृह निर्माण	पोखड़ा	0.800	0.600	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.200	पी
4833	90.	ज0इ0का0 लियाखाल में विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	प्रधानाचार्य	0.650	पी
4845	91.	ज0इ0का0 कुटियाखाल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	प्रधानाचार्य	0.650	पी
4945	92.	गांव गोदिया मेंपेयजल योजना की मरम्मत	पोखड़ा	0.300	0.220	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.080	पी
4981	93.	ग्राम धैड़गांव में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.650	पी
4986	94.	ग्राम घड़ियाल/कुमरखोला में अनु0जा0 के लिए महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
5047	95.	ग्राम बीणा मल्ली में खलिदा ढैया के क्षतिग्रस्त मार्ग और पुस्ते का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य।	पोखड़ा	0.500	0.350	ग्राम प्रधान	0.150	पी
5281	96.	ग्राम तिलखोली में अनु0जा0 बस्ती के लिए पेयजल योजना का निर्माण	पोखड़ा	0.500	0.350	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.150	पी
5315	97.	ग्राम भेंटी अनु0जा0 बस्ती में प्रसूतिगृह का निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	ग्राम प्रधान	0.250	पी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5399	98.	ग्राम सभा कुई में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	पोंखड़ा	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
5404	99.	ग्राम सभा हड़कोट मल्ला में पेयजल टैंक का निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5428	100.	ग्राम सौंडल में नोल्यूं डबरा चमनाऊ सौंडल पैदल मार्ग पर सकिन गदेरे में पुलिया का निर्माण	पोखड़ा	1.000	0.750	ग्राम प्रधान	0.250	पी
5444	101.	ग्राम सन्दणा में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
5449	102.	ग्राम सलाण में बारात घर का निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
5605	103.	ग्राम अस्कोट में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.650	पी
5623	104.	ग्राम गडरी में अनु0जा0 बस्ती में महिला मिलन केन्द्र का निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी

उपरोक्त योजनाओं के द्वितीय किस्त के माँग पत्र कार्यदायी संस्थाओं से अप्राप्त है।

अनुलग्नक–26

विधान सभा बीरोंखाल की वर्ष, 2008–09 तक, ऐसी योजनाओं का विवरण जिनकी, द्वितीय किश्त अवमुक्त नहीं हुई हैं।

मा0 विधायक का नाम–श्रीमती अमृता रावत विधान सभा क्षेत्र–बीरोंखाल

वर्ष, 2008–09

कार्य का कोड	क्र0 सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृति धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संख्या	अवमुक्त हेतु अवेशष धनराशि	भोतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5625	105.	ग्राम गडौली में अनु0 जा0 बस्ती में महिला मिलन केन्द्र	पोखड़ा	2.500	1.850	ग्राम प्रधान	0.650	पी
5703	106.	कनोठाखाल बांसई गदेरे में पुलिया निर्माण	पोखड़ा	0.800	0.800	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.200	पी
5706	107.	मयालगांव तल्ला में पेयजल टैंक का निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5715	108.	महरगांव मल्ला में शौचालय का निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5739	109.	मसमोली में यात्री शेड का निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5745	110.	बीणागाड अनु0 जा0 बस्ती में सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखड़ा	2.500	1.850	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.650	पी
5759	111.	बस्यूर में पेयजल टैंक का निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5764.	112.	बडेथ में पेयजल टैंक निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
5775	113.	बगड़ीगाड अनु0जा0 बस्ती में शैचालय निर्माण	पोखड़ा	0.400	0.300	बी0डी0ओ0, बीरोंखाल	0.100	पी
		वर्ष 2008–2009 का योग		121.600	92.990			

उपरोक्त योजनाओं के द्वितीय किस्त के माँग पत्र कार्यदायी संस्थाओं से अप्राप्त है।

अनुलग्नक–27

विधायक निधि–विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल।

द्वितीय किश्त हेतु प्रेषित मांग पत्रों में विभिन्न प्रकार की कमियों/त्रुटियाँ पाये जाने के कारण कार्यदायी संस्था को वापस भेजे गये माँग पत्रों का विवरण :–

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम, जिन्हें मांग पत्र वापिस भेजा गया	पत्रॉंक	दिनाँक
1.	खंड विकास अधिकारी, पोखड़ा	400/03–04	28.04.2009
2.	,, ,, ,, एकेश्वर	1125/03–04	16.06.2009
3.	,, ,, ,, पोखड़ा	5781/03–04	18.10.2009
4.	,, ,, ,, पोखड़ा	2220/04–05	11.09.2008
5.	,, ,, ,, बीरोंखाल/एकेश्वर	838/04–05	28.05.2008
6.	,, ,, ,, एकेश्वर	172/04–05	11.04.2008
7.	,, ,, ,, पोखड़ा	172/04–05	11.04.2008
8.	,, ,, ,, बीरोंखाल	170/04–05	11.04.2008
9.	,, ,, ,, पोखड़ा	1682/04–05	12.07.2007
10.	,, ,, ,, बीरोंखाल	1294/04–05	22.06.2007
11.	,, ,, ,, बीरोंखाल	3475/05–06	22.12.2008
12.	,, ,, ,, बीरोंखाल	2294/05–06	22.09.2008
13.	,, ,, ,, बीरोंखाल	2149/05–06	05.09.2008
14.	,, ,, ,, एकेश्वर	2070/05–06	28.08.2008
15.	,, ,, ,, पोखड़ा	2068/05–06	28.08.2008
16.	,, ,, ,, बीरोंखाल	722/05–06	21.05.2008
17.	,, ,, ,, एकेश्वर	360/05–06	01.05.2008
18.	,, ,, ,, एकेश्वर	359/05–06	01.05.2008
19.	,, ,, ,, पोखड़ा	319/05–06	28.04.2008
20.	,, ,, ,, पोखड़ा	217/05–06	21.04.2008
21.	,, ,, ,, पोखड़ा	172/05–06	11.04.2008

1	2			3	4	5
22.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	170/05–06	11.04.2008
23.	,,	,,	,,	एकेश्वर	9638/05–06	10.03.2008
24.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	9501/05–06	28.02.2008
25.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	6442/05–06	07.12.2007
26.	,,	,,	,,	पोखड़ा	6441/05–06	07.12.2007
27.	,,	,,	,,	एकेश्वर	1001/06–07	07.06.2008
28.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	723/06–07	21.05.2008
29.	,,	,,	,,	पोखड़ा	215/06–07	21.04.2008
30.	,,	,,	,,	एकेश्वर	171/06–07	11.04.2008
31.	,,	,,	,,	एकेश्वर	9424/06–07	18.02.2008
32.	,,	,,	,,	एकेश्वर	1297/06–07	22.06.2007
33.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	1048/07–08	10.06.2009
34.	,,	,,	,,	पोखड़ा	926/07–08	03.06.2009
35.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	223/07–08	18.04.2009
36.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	5106/07–08	19.03.2009
37.	,,	,,	,,	पोखड़ा	4214/07–08	03.02.2009
38.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	2136/07–08	02.09.2008
39.	,,	,,	,,	बीरोंखाल	2118/07–08	23.08.2008
40.	,,	,,	,,	पोखड़ा	2069/07–08	28.08.2008

जिला विकास अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 8 विधान सभा/145–26–06–2012–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।